राज्य वित्त
वर्ष 2007-08 के बजटों का अध्ययन[1]

प्रस्तावना

राजकोषीय सुधार और समेकन का अनुसरण करने के प्रति बढ़ते स्वीकरण के वातावरण में राज्य सरकारों ने 2007-08[2] के लिए अपने बजट प्रस्तुत किए। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के क्रमिक रूप से कानून बन जाने से राज्य सरकारों के लिए एक नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। राजकोषीय असंतुलनों को घटाने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांतों की बिना पर कर उछाल में सुधार सहित बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से होने वाले पहले से बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों से सहायता मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू कर दिया जो राज्यों के लिए कर राजस्व बढ़ाने में संपूर्ण सफलता रही है।

2007-08 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा। मानव संसाधन विकास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2007-08 में अधिक राशि आबंटित करके सामाजिक क्षेत्र व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी संरचना विकास को दी गई प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन प्रस्तावित किए हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने सरकारी-निजी साझेदारी ढांचे के माध्यम से बुनियादी संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रस्ताव रखे हैं। राज्य सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत शहरी बुनियादी संरचना का विकास कार्य भी प्रारंभ किया है।

राज्य सरकारों ने राजस्व बढ़ाने और व्यय प्रबंधन में सुधार लाने को उद्देश्य में रखकर किए गए उपायों के माध्यम से राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 2007-08 के लिए अपने बजटों में विभिन्न नीतिगत पहलों का प्रस्ताव रखा। अपने राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने कर ढांचे के सरलीकरण/यौक्तिकीकरण, बेहतर कर वसूली और अनुपालन के माध्यम से संसाधन संग्रहण बढ़ाने हेतु उपायों की घोषणा की। कुछ राज्यों ने बिजली, पानी और परिवहन पर उपयोक्ता प्रभारों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। परिणामोन्मुखी बजटीय ढांचा अपनाकर कुछ राज्यों ने निगरानीयोग्य कार्यनिष्पादन संकेतकों के माध्यम से परिव्ययों को परिभाषित परिणामों में बदलने पर जोर दिया है। अनेक राज्यों ने नई भर्ती और नए पदों के सृजन पर रोक के माध्यम से राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखने की अपनी वचनबद्धताएं पूरी कीं। राज्य सरकारों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सरल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। कुछ और राज्यों ने भी बढ़ती पेंशन देयताओं को नियंत्रित रखने के लिए अपने नए भर्ती किए गए स्टाफ के लिए अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। कुछ राज्यों ने राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य करने और उनकी पुनर्संरचना की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा। विद्युत बोर्डों की वित्तीय व्यवहार्यता बहाल करने के उद्देश्य से कुछ राज्यों ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु केंद्र सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । महिला सशक्तीकरण और विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 'लिंग आधारित बजट' प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

---

1 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईपी) के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) में केंद्रीय वित्त प्रभाग तथा डीईपी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से तैयार किया गया। इसके लिए रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग से भी सहायता प्राप्त हुई। अट्ठाईस राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी सरकारों के वित्त विभागों से प्राप्त तकनीकी सहायता तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा योजना आयोग से प्राप्त मूल्यवान सूचनाओं के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है।

2 2007-08 के लिए 29 राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित के राज्य बजटों के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 28 राज्यों के राज्य बजट शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी से संबंधित सूचना ज्ञापन मद के रूप में अलग से दी गई है। इसमें ब्योरे वार समेकित राजकोषीय स्थिति तथा राज्यवार विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है जिसमें, बजटीय डाटा एवं राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त की गई अतिरिक्त जानकारी दी गई है।

भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा, आदि के क्षेत्र में उपायों की घोषणा करके राज्य सरकारों को उनकी विकासात्मक भूमिका अदा करने में सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट और बाजार से उधार लेने में सहायता देने के अलावा अनेक मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने उच्च लागत वाले ऋणों की समयपूर्व चुकौती करने की व्यवस्था करने में, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-स्पर्धी बोलियां लगाने की व्यवस्था प्रारंभ करने में तथा नकद शेषों के निवेश में राज्य सरकारों की सहायता की।

इस अध्ययन का शेष भाग निम्नानुसार विधिवत प्रस्तुत है। खण्ड II में इस अध्ययन का विहगावलोकन दिया गया है। खण्ड III में राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों का वर्णन किया गया है। राज्य सरकारों की समेकित बजटीय स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन खण्ड IV में किया गया है। खण्ड V में राज्य सरकारों के राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार मूल्यांकन प्रतिपादित किया गया है। खण्ड VI में राज्य सरकारों के बाजार उधारों और आकस्मिक देयताओं सहित बकाया देयताओं का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। एक विशेष थीम के रूप में केंद्र से राज्यों को राजकोषीय अंतरणों का विश्लेषण खण्ड VII में प्रस्तुत किया गया है। राज्य वित्त से संबंधित उभरते मुद्दे खंड VIII में प्रस्तुत किए गए हैं और उसके बाद निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

राज्य बजटों में घोषित राज्यवार प्रमुख नीतिगत पहलें अनुबंध 1 में दी गई हैं। तीन राज्यों नामतः जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम और झारखंड के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल), जो क्रमशः अगस्त 2006, अक्तूबर 2006 और मई 2007 में प्रस्तुत किए गए थे, के विवरण अनुबंध 2 में दिए गए हैं। अनुबंध 3 में 2003-06 (औसत) के लिए विभिन्न राजकोषीय संकेतकों और 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य सरकारों की स्थिति का सार संक्षेप दिया गया है। अनुबंध 4 में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों एवं वित्त के आबंटन हेतु संवैधानिक ढांचा दर्शाया गया है। अनुबंध 5 में क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित विभाज्य करों में हिस्सा दिया गया है तथा अनुबंध 6 में वित्त आयोगों द्वारा कर अंतरण (डिवोल्यूशन) हेतु उपयोग किए गए मानदंड और भारांक दिए गए हैं। विभिन्न मापदंडों से संबंधित समेकित आंकड़े और अट्ठाईस राज्य सरकारों के राजकोषीय संकेतक परिशिष्ट सारणी 1-31 में दर्शाए गए हैं जबकि राज्यवार आंकड़े विवरण 1-56 में दिए गए हैं। राज्यवार विस्तृत बजट आंकड़े परिशिष्ट I-IV (परिशिष्ट I - राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II - राजस्व व्यय, परिशिष्ट III -पूंजी प्राप्तियां, परिशिष्ट IV -पूंजी व्यय) में दिए गए हैं।

II. विहगावलोकन

राज्य सरकारों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए हैं। राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया को जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2007-08 के अपने बजटों में दो दशकों के अंतर के बाद राजस्व खाते में समेकित अधिशेष बजट किया है। राजस्व घाटे में कमी के बावजूद पूंजी व्यय में वृद्धि के चलते 2005-06 (लेखों) की तुलना में 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देने के बाद 2007-08 के बजट अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रति राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात का अनुमान 2.3 प्रतिशत लगाया गया है जोकि कम है (0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट)। 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे में प्रस्तावित सुधार राजस्व लेखे में परिकल्पित पलटे रुख (टर्न अराउंड) पर आधारित है, जो 2006-07 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत के घाटे की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत का अधिशेष पैदा करने के लिए बजट किया गया है। प्राथमिक घाटा -सकल घरेलू उत्पाद अनुपात पिछले वर्ष के 0.4 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 0.1 प्रतिशत आने के लिए बजट किया गया है। पूंजी परिव्यय - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बीते वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो जाएगा।

जब 2005-06 के संशोधित अनुमान लेखों में बदले तब राज्य सरकारों के घाटा संकेतकों यथा राजस्व घाटे, सकल राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई (सारणी-1)। वर्ष 2005-06 (लेखा) के राजस्व लेखे में सुधार ज्यादातर राजस्व व्यय में कमी के कारण था जो मुख्यतः ब्याजेतर राजस्व व्यय था। पूंजी परिव्यय में भी गिरावट थी जोकि लेखों में सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में 2005-06 (संशोधित अनुमान) के 2.4 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया।

बजट अनुमानों की तुलना में 2006-07 के संशोधित अनुमानों की प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि बजट अनुमानों की तुलना में

सारणी 1 : महत्त्वपूर्ण घाटा संकेतक

(सघउ का प्रतिशत)

मद	2005-06 (सं.अ.)	2005-06 (लेखे)	2006-07 (ब.अ.)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा	0.6	0.2	0.2	0.1	-0.3
सकल राजकोषीय घाटा	3.2	2.5	2.6	2.8	2.3
प्राथमिक घाटा	0.7	0.2	0.2	0.4	0.1

टिप्पणी : ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

राज्य सरकारों के राजस्व लेखे में सुधार हुआ है। राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि मुख्यतः राज्यों के अपने कर राजस्व और केंद्रीय करों में उनके हिस्से में हुई वृद्धि के कारण थी जो राजस्व व्यय में हुई वृद्धि को पूरा करने से अधिक थी। तथापि, पूंजी परिव्यय के लिए ऊंचे प्रावधान के कारण राजस्व घाटे में गिरावट के बावजूद सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई।

वर्ष 2007-08 में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति प्रमुख घाटा संकेतकों के अर्थ में और सुधार दर्शाती है। यह कल्पना की गई है कि 2007-08 के दौरान राजस्व लेखे में सुधार मूलतः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के माध्यम से हासिल किया जाएगा जो पिछले वर्ष के 12.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 13.1 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। राजस्व लेखे में सुधार राजस्व व्यय में आई गिरावट से भी सुसाध्य होगा जो कि पिछले वर्ष के 13.0 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 12.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। राजस्व अधिशेष से पिछले वर्ष की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का स्तर सुगमता से निम्नतर हो सकेगा।

समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार से व्यापक विविधता का पता नहीं चलता जो राज्यों के बीच मौजूद होती है। 2007-08 में 20 राज्यों ने राजस्व अधिशेष वाला बजट प्रस्तुत किया है। तथापि 15 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में ऊंचे सकल राजकोषीय घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। मात्र कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कल्पित समग्र सुधार में योगदान देने में प्रमुख भूमिका अदा की है। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का राज्यवार विश्लेषण यह बताता है कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्य राजस्व लेखे में होने वाले सुधार में 85 प्रतिशत का और सकल राजकोषीय घाटे में सुधार में 73 प्रतिशत का योगदान देंगे ।

केंद्रीय बजट 2007-08 के साथ राज्य बजटों का किया गया आकलन दर्शाता है कि सहायता अनुदान 17.8 प्रतिशत अधिक अनुमानित किये गये हैं जबकि साझायोग्य केंद्रीय कर 4.4 प्रतिशत कम अनुमानित किये गये हैं। जहां तक सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पबचत निधि (एनएसएसएफ) का प्रवाह, जोकि बजट में सामान्यतः कम अनुमानित किया जाता है, का 2007-08 में अधिक अनुमान लगाया गया है। यह नोट किया जा सकता है कि 2007-08 के लिए अपने बजटों में राज्य सरकारों की राजस्व बचतों (अधिशेष) की समेकित स्थिति 11,973 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) अनुमानित की गई है जबकि सकल राजकोषीय घाटा 1,08,323 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत) अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2007-08 के आंकड़े समायोजित करने के बाद राज्य सरकारों का राजस्व अधिशेष 503 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.01 प्रतिशत) के कम स्तर पर रखा जाएगा तथा सकल राजकोषीय घाटा ऊंचा रखा जाएगा जोकि 1,19,793 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत) होगा।

राज्यों के बड़े और बढ़ते हुए सकल राजकोषीय घाटे से खास तौर पर नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध से राज्य सरकारों के बकाया ऋणों में संचय की स्थिति आई। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बकाया देयताओं में हाल के वर्षों में गिरावट दिखाई दी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का बजट अनुमान मार्च 2008 के अंत में 29.9 प्रतिशत लगाया गया है, जोकि मार्च 2007 के अंत के 30.9 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों का अनुपात जोकि 2003-04 में 26.0 प्रतिशत था उसे मुख्यतः ऋण बदली योजना (डीएसएस) के कारण 2007-08 में 16.9 प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए बजट बनाया गया है। इसे अनुपात 12वें वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त के लिए सुझाए गए पुनर्संरचना पथ के अनुसार अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष (2009-10) के अंत तक धीरे-धीरे कम करके 15 प्रतिशत तक लाना अपेक्षित है। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि से लिया गया ऋण बकाये का सबसे बड़ा घटक है जिसके बाद बाजार उधारों और केंद्र से लिए गए ऋणों का स्थान आता है।

हाल ही की अवधि में राज्य वित्त के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात राज्य सरकारों द्वारा क्रमिक रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) का अधिनियमन रहा है (अब तक 26 राज्य)। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन ने राजकोषीय निर्वहनीयता प्राप्त करने की प्रक्रिया को बल दिया है क्योंकि महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों नामतः राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा में कमी राज्यों के ऋण के बढ़ते स्तर को घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। राजकोषीय निर्वहनीयता के अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना न केवल बजटीय परिचालनों में विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विवेकसम्मत ऋण प्रबंधन तथा अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यद्यपि अधिकांश राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन ने एक नियम-आधारित राजकोषीय नीति ढांचा राज्य स्तर पर प्रारंभ किया है, अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया का पूंजी परिव्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले व्यय पर विपरीत प्रभाव न पड़े। विशेष रूप से, राजकोषीय सुधार की गुणवत्ता ने महत्व प्राप्त कर लिया है। राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन दर्शाता है कि अधिकांश राज्य अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अंतर्गत निर्दिष्ट समय से पहले ही अपने राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों पर पहुंच रहे हैं।

विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के लिए यह अपेक्षित है कि टिकाऊ राजकोषीय समेकन राजकोषीय सशक्तीकरण के माध्यम से अर्थात् राजस्व प्रवाहों की व्याप्ति और उनके आकार को बढ़ाकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अधिकाधिक राजस्व बटोरने की नीति पर आधारित राजकोषीय रणनीति भी विकासात्मक प्रयोजनों की दिशा में किए जाने वाले व्यय के पैटर्न को बदलने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगी। दूसरी ओर, व्यय में कमी लाने पर आधारित पहले से ही वर्चस्ववाले राजकोषीय समेकन से कल्याणकारी कार्यों की हानि होगी तथा इससे समग्र आर्थिक गतिविधि में अधोगामी विपरीत रुख प्रारंभ होने का जोखिम रहेगा। कराधान में सुधार तथा कर विसंगतियों में कमी लाने के अर्थ में कर ढांचे को सुधारने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। राज्य सरकारों द्वारा वैट की शुरुआत एक अपार सफलता है। हाल ही के वर्षों में राज्यों के अपने कर राजस्व में भी उछाल दिखाई दिया तथापि, राज्यों का करेतर राजस्व कम रहा है। इस प्रकार, उचित प्रभारों के माध्यम से करेतर राजस्व से संसाधन संग्रहण में वृद्धि करना, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना ने महत्व प्राप्त कर लिया है। तथापि, ऊंचे उपयोक्ता प्रभार लगाना केवल तभी संभव होगा जब राज्यों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में सतत सुधार होगा।

राज्य सरकारों के डोमेन पर रखी गई सामाजिक सेवाओं के संबंध में सरकारी व्यय से संबंधित ढेर सारे उत्तरदायित्व के साथ व्यापक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक क्षेत्र व्यय के स्तर का मानव विकास के स्तर के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2015 तक हासिल किए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में से अधिकांश सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय के पुनःअनुकूलन के लिए सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक हो सकता है। इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ढेर सारी विभिन्न प्रकार की पद्धतियां दर्शाता है जिनमें शामिल कतिपय व्ययों की सीमा निर्धारित करना, व्ययों की प्राथमिकता का निर्धारण, कार्यपालकों के कार्यों का अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रीकरण, परिष्कृत नकदी प्रबंधन तथा निर्दिष्ट लक्ष्यों के सामने सेवाएं देने में अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी। इन कुछ सिद्धांतों के अंगीकरण से राजकोषीय समेकन की गुणात्मक श्रेष्ठ प्रक्रिया सुसाध्य हो सकेगी। व्यय प्रबंधन से बहुत नजदीकी से जुड़ा मुद्दा सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन का है। पारंपरिक रूप से, राज्यों द्वारा परिव्ययों के संबंध में हासिल किए गए व्यय के स्तरों की निगरानी रखकर राज्यों द्वारा योजना निगरानी की जाती रही है। व्यय कार्यान्वियन के कदम का एक महत्वपूर्ण पैमाना है न कि इसकी कारगरता को मापने का एक पैमाना है। अतः, यह आवश्यक है कि परिव्ययों और व्ययों की जगह अंतिम परिणामों की ओर बढ़ा जाए।

एक विषय जोकि राज्य सरकारों की चलनिधि और नकदी प्रबंधन पर प्रकाश डालता है, उनके अधिशेष नकद शेषों से संबंधित है। विगत कुछ वर्षों के दौरान लघु बचत संग्रहों में उछाल तथा राज्यों को इन निधियों के स्ववितरण (ऑटोमेटिक चैनलाइजेशन) का अर्थ है कि राज्य सरकारों के उधार उनके सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए अपेक्षित राशि से अधिक हैं। यह अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा 14-दिवसीय मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में निवेश के रूप में रखे गए उनके भारी अधिशेष नकद शेषों में परिलक्षित है जोकि समेकित स्तर पर 62,996 करोड़ रुपए (23 नवंबर 2007 की स्थिति

के अनुसार) होता है। राज्यों को इन संसाधनों के लिए उधार की लागत की तुलना में इन निवेशों पर अपेक्षाकृत कम दर से प्रतिलाभ होता है, इस प्रकार राजस्व खाते पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है।

राजकोषीय पारदर्शिता जोकि अच्छी गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन और समष्टि आर्थिक संतुलन को हासिल करने के संबंध में हाल ही की अवधि में उल्लेखनीय महत्व प्राप्त कर रहा है। राजकोषीय पारदर्शिता के लिए आर्थिक नीतिगत निर्णयों की भूत, भविष्य और भावी गतिविधियों के बारे में विस्तृत और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध करानी होती है। राजकोषीय समेकन और वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया के साथ-साथ सरकारी राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी ताकि सरकार के राजकोषीय दृष्टिकोण की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। राज्य बजटों के माध्यम से सूचना की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता से न केवल नीति निर्माताओं अथवा राज्य स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे निवेशकों को भी 'सुविचारित' निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, राजकोषीय पारदर्शिता नागरिकों को मनचाही सूचना देकर लाभान्वित करती है जिससे कि वे अपनी सरकार को उसके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एक मुद्दा जो राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में विशेष उल्लेख पाने का हक रखता है, वह है बकाया देयताओं और आकस्मिक देयताओं के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता की कमी। इसके अलावा, बजट अनुमानों और लेखों से संबंधित आंकड़ों के बीच सतत भारी विसंगतियां, खासकर राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों के संबंध में भारी विसंगतियां, बजट अनुमानों की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं और संभावित राजकोषीय परिणामों के सही आकलन को दूर कर देती है।

दूरसंचार, नागरी विमानन, रेलवे और प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर अधिकांश बुनियादी संरचना सेवाओं के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। बुनियादी संरचना में अपर्याप्त निवेश से राज्यों की वृद्धि और विकास बाधित हुआ है। राज्यों के लिए राजकोषीय, संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से अपने वित्त को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी जिससे कि उन्हें पर्याप्त बजटीय संसाधनों को जारी करने के साथ-साथ वित्तीय संरचना के लिए ज्यादा आसानी से निधियां जुटाने में भी सहायता मिलेगी। नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत बजट बाध्यताओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों को आर्थिक संरचना के क्षेत्र में सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्रवर्तित करने की भी आवश्यकता है।

अंत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों को इन घाटा संकेतकों में स्पष्ट कमी दिखाई दी है। तथापि, टिकाऊ राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए राज्यों को राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया सतत जारी रखनी होगी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार के प्रमुख हिस्से के लिए केवल कुछ ही राज्यों का योगदान रहता है, वहीं कुछ राज्यों की राजकोषीय स्थिति कमजोर बनी रहती है। खासतौर पर कई राज्यों के ऋण के स्तर के उच्च बने रहने से चिंताएं होती हैं। राज्य सरकारें राजकोषीय गुंजाइश पैदा करने के लिए जोर डाल सकती हैं जो उन्हें विकास व्यय के लिए व्यय का स्वरूप बदलने में आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा। इस संदर्भ में कर से बचाव का रास्ता बंद करने, करेतर राजस्व इकट्ठा करने के लिए उचित उपयोक्ता प्रभार लगाने और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने के उद्देश्य से कर सुधारों का महत्व बढ़ गया है। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय के पुनः अनुकूलन के लिए राज्यों को सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के सिद्धांत अपनाने जरूरी होंगे। कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकारों का लक्ष्य उन प्रणालियों को अपनाने पर रहेगा जो सेवाएं देने में सुधार लाने, लक्ष्यित समूहों का अभीष्ट लाभ सुनिश्चित करने, निर्धारित समय के अनुसार परियोजनाएं पूरी करने और व्यय प्रक्रियाओं में होनेवाले रिसाव को बंद करने के अर्थ में मापी गई व्यय की दक्षता और प्रभावशालिता सुधारने की आवश्यकता के प्रति प्रतिसंवेदी हों।

III. नीतिगत पहलें

वर्ष 2007-08 में अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए राजकोषीय पुनर्संरचना पथ के अनुसार राजकोषीय सुधार और समेकन का अनुसरण आगे भी जारी रखा। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान छब्बीस राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया गया है (अक्तूबर 2007 के अंत की स्थिति)। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री करके बदले मूल्यवर्धित कर (वैट) कार्यान्वित कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अनुसार उनकी मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) कर प्रशासन सुधारने, कर विसंगतियां दूर करने और व्यय की प्राथमिकताओं का निर्धारण

करने की दृष्टि से संरचनागत कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करती है (बाक्स 1)। राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए राज्य बजटों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में निर्दिष्ट की गई प्राथमिकताओं का ध्यान रखा है क्योंकि यह योजना का प्रथम वर्ष है।

बॉक्स 1 : कर्नाटक के विशेष संदर्भ सहित राज्य सरकारों द्वारा मध्यावधि राजकोषीय नीति का अंगीकरण

बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करें और ऋण राहत के लाभ उठाने के लिए मध्यावधि राजकोषीय नीति बनाएं। दो राज्यों नामतः सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान पारित किए हैं। सामान्य रूप में, राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के खंड 3 में निम्नलिखित को मध्यावधि राजकोषीय नीति में शामिल करना अनिवार्य है : (i) हाल ही की आर्थिक प्रवृत्तियों और वृद्धि एवं विकास की संभावनाओं के बारे में वक्तव्य, (ii) विगत वर्षों में निर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन, (iii) सरकार के मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य, (iv) निहित धारणाओं की विनिर्दिष्टियों के साथ राजकोषीय संकेतकों के तीन-चार वर्ष के चल लक्ष्य, (v) राजस्व घाटे से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकन और उत्पादक आस्तियों के सृजन हेतु पूंजी प्राप्तियों का उपयोग, (vi) कराधान, व्यय, उधार और अन्य देयताओं आदि के संबंध में आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की नीतियां और (vii) सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं और महत्वपूर्ण नीतियां।

राज्यों में कर्नाटक पहला राज्य था जिसने सितंबर 2002 में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान पारित किया उसके बाद तमिलनाडु (मई 2003), केरल (सितंबर 2003) और पंजाब (मई 2004) का स्थान आता है। कर्नाटक को उदाहरण के रूप में लेते हुए 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि को कवर करनेवाले कर्नाटक सरकार के मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य की मुख्य-मुख्य बातों का यहां उल्लेख किया जा रहा है।

कर्नाटक की मध्यावधि राजकोषीय नीति में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि 8 प्रतिशत और स्फीति 5 प्रतिशत अनुमानित की गई है। विभिन्न संकेतकों के संदर्भ में विगत चार वर्षों में राज्य का वित्तीय निष्पादन अपनी स्थिति में सुधार दर्शाता है। राजस्व व्यय में वृद्धि के बावजूद राजस्व अधिशेष बढ़ा है और राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर रखा गया है। केंद्रीय करों में बढ़िया उछाल और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते केंद्र से करों का डिवोल्यूशन और अनुदान बढ़ा है। कर्नाटक सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि सामाजिक क्षेत्र व्यय में परिव्यय बढ़ाया जाए ताकि बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें तथा न्यायसंगत वृद्धि प्रदान करने पर जोर दिया जाए। प्रतिबद्ध व्यय नियंत्रण में रखा गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय बढ़ा है जो आर्थिक वृद्धि संवर्धन हेतु परिव्यय बढ़ाने की दिशा में हो रहे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने कतिपय प्रमुख सब्सिडियों से संबंधित मुद्दों के बारे में चिंता प्रकट की है जिनकी मात्रा और लक्ष्यों के अर्थ में पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है।

कर सुधार आयोग के गठन के साथ प्रारंभ किए गए राजस्व सुधारों ने राज्य सरकार की राजस्व उगाही को नयी शक्ति प्रदान की है। मध्यावधि राजकोषीय नीति के प्रयोजन से मूल्यवर्धित कर (वैट) में प्रवृत्त वृद्धि दरों और हाल ही की वृद्धि दरों के आधार पर अनुमान लगाने के प्रयोजन से 1.075 प्रतिशत का उछाल आने का अनुमान लगाया गया है। विगत कुछ वर्षों में आवासन क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण स्टाम्प और पंजीकरण के अंतर्गत आनेवाला राजस्व बजट अनुमानों के ज्यादा बढ़ गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखने पर मध्यावधि योजना के लिए 1.1-1.5 का उछाल लिया गया है। अनुमान लगाने के लिए मोटर वाहन कर में 1.025 का उछाल माना गया है। तथापि, करेतर राजस्व के अंतर्गत वसूली अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ अपना कदम नहीं मिला सकती है और उसके लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण उपयोक्ता शुल्कों और उपयोक्ता प्रभारों को संशोधित करने में कमी रही है।

राज्य की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से राजस्व लेखे के अधिशेष को पूंजी निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता वाले विकास व्यय हेतु ऊंचे आबंटन करना जारी रखा जाए। मौलिक आवश्यकताओं की सेवाएं देने और स्थानीय आस्ति निर्माण की प्रभावशालिता एवं दक्षता सुधारने के लिए राज्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) दोनों को डिवोल्यूशन बढ़ाने और पर्याप्त रखरखाव व्यय के लिए प्रावधान बढ़ाएंगे। बुनियादी संरचना के क्षेत्र में राज्य का निवेश बढ़ाने के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए निजी भागीदारी का मार्ग अपनाने पर जोर दिया जाएगा। परिव्ययों के सामने परिणामों की निगरानी के लिए कार्यक्रम बजट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ब्याज भुगतानों जैसी पूर्व वचनबद्ध मदों पर होनेवाले राजस्व व्यय को ऋण बदली और उच्च लागत वाले ऋण का समय-पूर्व भुगतान करके कम किया जाएगा। राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से राज्य ऋण माफी योजना का लाभ भी ले सकेंगे।

बजट सुधारों के अंग के रूप में राज्य ने अपने बजटेतर उधारों के साथ-साथ ऋण स्टाक को घटाने के प्रयास किए हैं। प्रस्ताव है कि बजटेतर उधारों को बजट में लाकर 2008-09 से बजटेतर उधारों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाए। राज्य सरकार ने कामनवेल्थ सेक्रेटेरियट्स डेट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट साफ्टवेयर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस साफ्टवेयर से न केवल राज्य के ऋण की निगरानी और पर्यवेक्षण संभव होगा बल्कि यह प्रबंध सूचना रिपोर्टें भी तैयार करने में मदद करेगा। सरकार गारंटियों के जोखिम स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करेगी और चयनित आधार पर उनकी समीक्षा भी करेगी तथा जरूरी होने पर सुधारक कार्रवाई भी करेगी। यह भी परिकल्पित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक दी गई सभी सरकारी गारंटियों का एक केंद्रीय आंकड़ा आधार बनाया जाए और उससे जुड़ी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एक पेशेवर रेटिंग एजेंसी से उनकी रेटिंग करवाई जाए।

अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीय अंतरणों तथा प्रस्तावित व्यय पुनर्संरचना उपायों सहित राजस्वों में निर्धारित उछाल के साथ आशा की जाती है कि राज्य में 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.7 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 1.6 प्रतिशत राजस्व अधिशेष पैदा होगा। राजस्व अधिशेषों में मुख्यतः इस वृद्धि के चलते राजकोषीय घाटा 2007-08 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत की तुलना में घटाकर 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत पर लाया जाएगा। उभरती राजकोषीय रूपरेखा दर्शाती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ऋण स्टाक का अनुपात मार्च 2008 के अंत के 30.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 के अंत तक 27.3 प्रतिशत तक आ जाएगा। हालांकि विगत कुछ वर्षों में लोक वित्त की स्थिति सुधरी है, कर्नाटक सरकार के सामने प्रमुख चुनौती छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की होगी। चूंकि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी व्यय की अनिवार्य मदें कुल व्यय का एक बड़ा भाग हड़प कर जाती हैं इसलिए सरकार के पास सीमित राजकोषीय हिस्सा ही रह जाता है। कारगर और सही व्यय को तर्कसंगत बनाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ कर प्रशासन के स्वचालन और सेवा कर के अधिक डिवोल्यूशन सहित राजस्व सुधार राज्य वित्त को सतत राजकोषीय समेकन के पथ पर रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ : विभिन्न राज्य सरकारों के मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य

तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण बुनियादी संरचना के लिए आबंटन बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा, आदि के क्षेत्र में उपायों की घोषणा करके राज्य सरकारों को उनकी विकासात्मक भूमिका अदा करने में सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट और बाजार से उधार लेने में सहायता देने के अलावा अनेक मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने उच्च लागत वाले ऋणों की समयपूर्व चुकौती करने की व्यवस्था करने, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-स्पर्धी बोलियां लगाने की व्यवस्था प्रारंभ करने तथा नकद शेषों के निवेश में राज्य सरकारों की सहायता की। इस खंड में विभिन्न नीतिगत पहलों और उपायों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जो राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वियन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

III.1 राज्य सरकारें

वर्ष 2007-08 के अपने बजटों में राज्य सरकारें राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध रही हैं और उन्होंने राजस्व बढ़ाने, व्यय प्रबंधन और संस्थागत विकास को लक्ष्य कर अनेक नीतिगत उपाय घोषित किए हैं। राजस्व पक्ष की ओर राज्य सरकारों ने कर ढांचे के सरलीकरण/यौक्तिकीकरण, बेहतर प्रवर्तन और कर अनुपालन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण हेतु उपायों की घोषणा की है। राज्यों ने सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूंजी संवितरण बढ़ाते हुए योजनेतर राजस्व व्यय नियंत्रित रखने और पेंशन देयताएं घटाने के वादे किए हैं। राज्यों ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी बुनियादी विकास भी प्रारंभ किया है। राज्यों ने सरकारी-निजी सहयोग के ढाँचे के जरिए मूलभूत सुविधा संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव किया है। प्रमुख नीतिगत उपायों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 1 में दिए गए हैं। 2007-08 के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके बजटों में घोषित की गई प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षेप में दी गई हैं।

III.1.1 राजस्व उपाय

बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने सामान्यतः अपने बजटों में नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कर दरों को तर्कसंगत बनाकर तथा कर वसूली की प्रणाली आसान और पारदर्शी बनाकर कर प्रशासन को सुधारने पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए, गुजरात ने मोटर वाहन कर को सुधारने और उसे तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है जब कि बिहार ने मोटर वाहन कर में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। राजस्व उत्पादक उपाय के रूप में हरियाणा और राजस्थान ने दावतखानों (बैंक्वेट हाल) और समारोह आयोजित करने के लिए काम में लाए जानेवाले घास के मैदानों (लॉन) पर उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है। केरल सरकार ने डीमैट लेनदेनों पर स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।

उत्तर प्रदेश और विधान सभा वाले दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों ने वैट कार्यान्वित कर दिया है। उन राज्यों ने, जो पहले ही मूल्यवर्द्धित कर (वैट) लागू कर चुके हैं, मूल्यवर्धित कर विवरणी फार्म का सरलीकरण (पश्चिम बंगाल), मूल्यवर्धित कर वसूली की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए वैट का लेखा-परीक्षा मूल्यांकन (मिज़ोरम) और वैट कार्यान्वयन का मूल्यांकन (हिमाचल प्रदेश) करने जैसे उपाय घोषित किए हैं। केंद्रीय बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में कुछ राज्यों (केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) ने तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं पर वैट लगाने का निर्णय लिया है।

कुछ राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रों/उद्योगों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखकर कतिपय करों में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात और पश्चिम बंगाल ने विलासिता कर कम करने की घोषणा की है। हरियाणा ने राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा बचत उपकरणों पर कर राहत देने की घोषणा की है। कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात) ने आबादी के विभिन्न वर्गों को ऊर्जा/बिजली की दरों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। तथापि, ऊर्जा की बचत करने के उद्देश्य से गोवा जैसे राज्यों ने उन उपभोक्ताओं पर ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है जो महीने के दौरान निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऊर्जा का उपभोग करेंगे। राजस्थान ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुओं पर कर में छूट प्रदान की है। राज्य सरकारों ने अपने करेतर राजस्व

बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर ने राजस्व प्रवाह बढ़ाने की रणनीतियां तैयार करने के अलावा करेतर राजस्व की वसूली की प्रक्रिया की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है।

III.1.2 व्यय उपाय

राज्य सरकारों ने व्यय प्रबंधन और योजनेतर राजस्व व्यय को नियंत्रित करने पर अपने प्रयास जारी रखने पर जोर दिया है। जहाँ अनेक राज्यों ने भर्तियों और नए पदों के सृजन पर पहले ही रोक लगा रखी है, नागालैंड ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा नए पदों के सृजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है।राज्य सरकारों ने वेतन व्यय घटाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है तथा प्रशासनिक व्यय कम करने के उपाय प्रस्तावित किये हैं। व्यय की प्राथमिकता का निर्धारण करने को लक्ष्य करते हुए राज्य सरकारों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं प्रस्तावित की हैं। 2007-08 के लिए राज्य के बजटों में ढेर सारी रियायतों की घोषणा की गई, खासकर शिक्षा के प्रयोजन हेतु किसानों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज भार में कमी करने के संबंध में । कुछ राज्य सरकारों ने महिला संगठनों को बाजार ब्याज दर से भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्य सरकारों ने आबादी के निर्धन वर्गों तथा आदिवासी समूहों के लिए बीमा योजना प्रस्तावित की है। छत्तीसगढ़ ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को संरक्षण देने के लिए एक बीमा योजना प्रस्तावित की है जबकि गोवा ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए आग से होनेवाली दुर्घटनाओं के लिए बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। कुछ राज्यों ने लक्ष्यित प्रयोजनों/क्षेत्रों के लिए समर्पित निधियां गठित करने का प्रस्ताव रखा है जैसे कि रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए आधारभूत (कार्पस) निधि (बिहार), सड़क विकास निधि (बिहार और झारखंड), कचरा प्रबंधन निधि (गोवा), पेंशन निधि (हिमाचल प्रदेश), सामाजिक क्षेत्र व्यवहार्यता अंतर निधि (राजस्थान)। अनेक राज्य सरकारों ने पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने तथा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की है (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल)।

बुनियादी संरचना तथा नागरिक सेवाओं को सुधारने के लिए ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने के उद्देश्य से कुछ राज्य सरकारों (पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षाकृत अधिक डिवोल्यूशन किया है।

III.1.3 संस्थागत उपाय

विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने विभिन्न संस्थागत उपाय अपनाये हैं जो राजकोषीय अनुशासन को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में उन्मुख थे जैसे कि गारंटी और राजकोषीय उत्तरदायित्व के संबंध में विधान। तीन राज्य सरकारों यथा जम्मू और कश्मीर (अगस्त 2006), मिज़ोरम (अक्तूबर 2006) तथा झारखंड (मई 2007) ने विभिन्न राजकोषीय मापदंडों के संबंध में लक्ष्य बनाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किया है और इस कारण उन राज्यों की कुल संख्या, जिन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किया है, छब्बीस हो गई है। विभिन्न मापदंडों के अर्थ में जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम और झारखंड के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की प्रमुख विशेषताएं अनुबंध-2 में दर्शायी गई हैं। राज्यों ने नई पेंशन योजना प्रारंभ करने (एनपीएस), समेकित ऋणशोधन निधि और गारंटी मोचन निधि गठित करने तथा गारंटियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय भी कार्यान्वित किए हैं (सारणी-2)।

अधिकांश राज्य सरकारों ने लक्ष्यित प्रयोजनों हेतु समितियां/संस्थाएं/योजनाएं गठित करने के प्रस्ताव रखे हैं जैसे कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्राधिकरण (बिहार), ज्ञान प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़), महिला रोज़गार कार्यालय (गुजरात), ग्रामीण विकास (हरियाणा और उत्तर प्रदेश), उद्योगों को दी गई छूटों को व्यवस्थित करना (जम्मू और कश्मीर), सड़क विकास (बिहार और झारखंड), सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों का निवारण (झारखंड), क्षेत्रीय असंतुलन (कर्नाटक), माइक्रो-क्रेडिट (कर्नाटक), असंगठित मजदूरों का कल्याण (कर्नाटक), जैव-ईंधन मिशन (कर्नाटक), दुग्ध विकास (कर्नाटक), शहरी विकास (केरल और मिज़ोरम), कृषक कल्याण (मध्य प्रदेश) ,बांस संवर्धन (मेघालय और मिज़ोरम), खनिज अन्वेषण (उड़ीसा), कमजोर वर्गों का कल्याण (राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश), क्षमता निर्माण (सिक्किम), कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी (तमिलनाडु) और व्यावसायिक शिक्षा (उत्तर प्रदेश)। कर्नाटक सरकार ने सभी पेंशन योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन

सारणी 2: राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार *

राज्य	कार्यान्वित मूल्य वर्धित कर (वैट)	अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल)	प्रारंभ की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)	गारंटियों पर लगाई गई उच्चतम सीमा	समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	हां	हां	हां
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
3. असम	मई 2005	सितंबर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	हां	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11. झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितंबर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	नहीं	हां	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	नहीं
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18. मिज़ोरम	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21. पंजाब	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	नहीं
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24. तमिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	नहीं
25. त्रिपुरा	अक्तूबर 2005	जून 2005	नहीं	नहीं	हां	नहीं
26. उत्तराखंड	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	नहीं	हां	हां
27. उत्तर प्रदेश	नहीं	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
कुल	**27**	**26**	**19**	**17**	**19**	**10**

* : अक्तूबर 2007 के अंत की स्थिति
स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक के रिकार्डों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

महानिदेशालय नामक एक नया महानिदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। केरल ने बृहद् मूल्यांकन करने के पश्चात विभिन्न सामाजिक योजनाओं को समन्वित करने का प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा लिंग आधारित बजट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि केरल एक लिंग परामर्शदात्री समिति बनायेगा। 2007-08 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाइ) नामक एक नई योजना के अनुसरण में कुछ राज्यों ने भी बीमा योजनाएं प्रारंभ करने के प्रस्ताव रखे हैं। कुछ राज्य अपनी मौजूदा योजनाओं को आम आदमी बीमा योजना के साथ जोड़ने की संभावनाओं को तलाशेंगे। असम ने ग्रामीण आवास समस्याएं दूर करने के लिए एक ग्रामीण आवास बोर्ड तथा निरंतर आधार पर आतंकवादियों के शिकार हुए लोगों के संबंधियों को सहायता देने के लिए एक आतंकवाद पीड़ित कल्याण बोर्ड गठित किया है । कई राज्य सरकारों (असम और छत्तीसगढ़) ने सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। अनेक राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों के लिए महती भूमिका भी प्रस्तावित की है।

III.1.4 अन्य पहलें

राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं प्रस्तावित की हैं विशेषकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में। लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में आबादी के विस्तृत वर्गों को प्राथमिक तथा उन्नत शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में नए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय खोलने और मौजूदा को अपग्रेड करने के प्रस्ताव रखे हैं। राज्य सरकारों ने और अधिक जिलों को कवर करने के लिए रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने की घोषणाएं की हैं। जम्मू और कश्मीर ने रोजगार से संबंधित मामलों को देखने और विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त रोजगार मिशन गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, कई राज्यों (असम और सिक्किम) ने विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा विशिष्ट उद्योगों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकारें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधन, स्वास्थ सेवाओं के विकास, परिवहन सेवाओं के प्रावधान, बुनियादी संरचना परियोजनाओं और ऊर्जा परियोजनाओं सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकारी और निजी साझेदारी आधार पर परियोजनाएं भी प्रारंभ कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारों (गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश) ने विद्युत आपूर्ति बढ़ाने, ऊर्जा संरक्षण सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा पारेषण हानियां कम करने के उपाय सुझाये हैं ताकि उनकी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी हो सकें। राज्य सरकारों ने सिंचाई सुविधाओं को सुधारने तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुधारने के लिए पहलों की घोषणा की है।पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्यों के चाय बागानों को सुधारने तथा उनमें पुनः ऊर्जा डालने के उपायों की घोषणा की है। कुछ राज्यों (पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा) ने बागवानी तथा पुष्पोत्पादन परियोजनाओं पर भी जोर दिया है।

कुछ राज्य सरकारों ने पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयां गठित करने पर जोर दिया है। कर्नाटक ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। केरल ने नम भूमि वाले क्षेत्रों का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की योजना प्रस्तावित की है। सिक्किम ने एक पर्यावरण और हरित मिशन प्रारंभ किया है तथा हिमनदों की स्थिति और जल प्रणाली पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का प्रस्ताव रखा है। कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में वृक्षों की संख्या एवं वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने तथा पर्यावरण-पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उपाय भी प्रस्तावित किए हैं।

III.2 भारत सरकार

भारत सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकार की इस सुधार प्रक्रिया की सहायता करती है। भारत निर्माण के अंतर्गत आठ प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति राज्य सरकारों में विकासात्मक प्रक्रिया की सहायता करना जारी रखेगी।

2007-08 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक और सामाजिक भूमिका निभाने में सहायता देने के लिए अनेक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के साथ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम समन्वित कर दिया है। अत्यधिक जोखिम वाले उत्तर प्रदेश के बीस जिलों और बिहार के दस जिलों में इसका सघन अभियान चलाया जाएगा। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ''आम आदमी बीमा योजना'' नामक नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मृत्यु एवं अपंगता बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना को, जिसमें ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के बीच परिवार के मुखिया अथवा परिवार के एक कमाऊ सदस्य को बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा गया है, राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 200 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम का 50 प्रतिशत वहन करेगी और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे हिताधिकारियों की ओर से शेष 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करें। जल निकायों की मरम्मत करने, उनका पुनरुद्धार करने और फिर से मूल रूप में लाने के लिए मार्च 2005 में 13 राज्यों में एक प्रायोजिक परियोजना प्रारंभ की गई। ऐसी ही परियोजनाएं कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए तैयार की जा रही हैं। 'प्रशिक्षण और दौरा' नामक एक कार्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने एवं दोहराने के उद्देश्य से, जिसमें 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान कृषि सहायक कार्य करनेवाले मज़दूरों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से एक नया कार्यक्रम तैयार करेगा। कृषि बीमा निगम (एआइसी), जो खरीफ 2004 से एक प्रायोगिक मौसम

बीमा योजना चला रहा है, से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआइएस) के एक विकल्प के रूप में संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से दो या तीन राज्यों में प्रायोगिक आधार पर एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ करने के लिए कहा जाएगा। यह योजना सब्सिडी के एक तत्व के साथ मूल्यांकिक आधार पर चलायी जाएगी। केंद्र ने प्रमुख कॉयर उत्पादक राज्यों जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर विशेष जोर के साथ कॉयर उद्योग के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु एक योजना घोषित की है।

केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर समझौते के आधार पर केंद्रीय बजट में 1 अप्रैल 2007 से केंद्रीय बिक्री कर की दर 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत करना शुरू करके चरणबद्ध रूप से केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। वैट तथा केंद्रीय बिक्री कर के कारण राज्यों को यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए केंद्रीय बजट में 5,495 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच सतत सहकारी राजकोषीय संघवाद की भावना में केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि राज्य वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शुरू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी (बॉक्स 2)। सरकारी कार्यों में दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के स्तर पर ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार भी समर्थन प्रदान कर रही है।

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक

राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के बैंकर और प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक राजकोषीय विषयों पर राज्य सरकारों को आगाह करता रहा है। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के वित्तों से संबंधित विषयों के प्रति परामर्शदात्री दृष्टिकोण के निर्माण के लिए 1997 से राज्य के वित्त सचिवों का एक द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। इस संस्थागत व्यवस्था ने राज्य सरकारों के कई वित्तीय विषयों के समाधान प्रदान करने मे मदद की है। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है।

राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधन परिचालनों को सुदृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निम्न लिखित उपाय किए गए हैं।

III.3.1 राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पूर्व भुगतान

अधिशेष नकद शेषों के संचयन और ऐसे शेषों के निवेश पर अर्जित ऋणात्मक स्प्रेड के कारण कुछ राज्य सरकारों ने अपने बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की वापसी-खरीद के लिए रिज़र्व बैंक से कहा है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से राज्य विकास ऋणों की वापसी-खरीद के लिए एक सामान्य योजना बनाई। दो राज्य सरकारों अर्थात उड़ीसा और राजस्थान के लिए 22 फरवरी 2007 और 23 मार्च 2007 को वापसी-खरीद नीलामी की गई और 479.07 करोड़ रुपए की कुल राशि के एसडीएल वापस लिए गए। बकाया ऋणों का पूर्वभुगतान भावी ब्याज भुगतान देयताओं को घटाता है, अन्यथा रूप में यह सुसुप्त प्रतिभूतियों में बाजार में दिलचस्पी उत्पन्न करता है और उन प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है।

III.3.2 राज्य सरकारों के बाजार उधारों के लिए संकेतात्मक कैलेण्डर

अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया था कि राज्यों को, उनके विवेक और पहल पर, एक अग्रिम संकेतात्मक खुले बाजार के उधारों का कैलेण्डर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे निवेशकों को अग्रिम तौर पर अपने निवेशों की योजना बनाने में मदद मिल सकेगी और इस प्रकार प्रणाली में अनुचित तरलता के दबावों से बचा जा सकेगा। राज्य सरकारों के बाजार उधारों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के वित्त सचिवों के सम्मेलन के दौरान आयोजित चर्चा के आधार पर, 2007-08 के दौरान सकल आबंटन (निवल आबंटन, अतिरिक्त आबंटन और पूर्व भुगतानों को मिलाकर) और 2007-08 की बकाया अवधि के दौरान उगाही जा सकने वाली राशि के संबंध में जानकारियों के प्रसारण के लिए रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

III.3.3 राज्य विकास ऋणों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की शुरुआत

एसडीएल में निवेशक आधार को बढ़ाने के लिए, अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में एसडीएल की प्राथमिक नीलामी

बॉक्स 2 : भारत में वस्तु और सेवा कर का रोड मैप

वस्तु और सेवा कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर एक व्यापक मूल्यवर्धित कर (वैट) है जो बिक्री और खरीद के प्रत्येक चरण में वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है जिसमें निर्माता और व्यापारी 'इन्पुट कर' के लिए क्रेडिट का दावा करते हैं जबकि अंतिम उपभोक्ता संपूर्ण कर का भार वहन करता है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को इस तर्क पर शुरू किया गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जब कई उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में मूल्य वर्धन को वस्तुओं और सेवाओं दोनों के इन्पुट की जरूरत होती है जिसे अविभेद्य रूप से समूहीकृत कर दिया जाता है, ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं पर कर की एकीकृत दर होनी चाहिए। जीएसटी इस प्रकार कर प्रणाली की दुर्बलताओं को दूर करती है और उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था को कार्य कुशलता पूर्वक और आसानी से कार्य करने देती है।

भारत में, अप्रत्यक्ष कराधान सुधारों के मामले में काफी प्रगति हुई है जैसे कर दरों में महत्वपूर्ण संमिश्रण और उत्पाद शुल्क को सेन्वेट में बदलने के लिए इन्पुट कर क्रेडिट को बढ़ाना तथा अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में बिक्री कर को वैट में बदलना। अप्रत्यक्ष कर के इन सुधारों का अंतिम उद्देश्य एक समन्वित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में एक व्यापक वैट को लागू करना होगा। वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया था कि भारत को 1 अप्रैल 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी की ओर बढ़ना चाहिए जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बाँटा जाएगा। जीएसटी को शुरू करने के पहले कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर अप्रत्यक्ष कराधान की प्रत्येक समानांतर व्यवस्था को अंततः उन्हें समन्वित करने के लिए सुधारे जाने की आवश्यकता है क्योंकि जीएसटी को एक कार्यक्षम और समन्वीकृत उपभोक्ता कर प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम सेवा कर और सेंवेट दर को प्रगामी रूप से एक करना है, जबकि दोनों प्रणालियों के एकीकृत और समन्वीकृत करने के पहले राज्यों की बिक्री कर प्रणाली को फुटकर चरण लक्ष्य आधारित वैट में परिवर्तित करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्णरूपेण निर्माण चरण के वैट में परिवर्तित करना होगा। वस्तुओं और सेवाओं के कराधान की व्यापक और एकीकृत प्रणाली को लाने के लिए अन्य उपायों में शामिल होंगे : केंद्रीय बिक्री कर का समापन; वस्तुओं पर उचित जीएसटी दर निर्धारित करना, जो 16 प्रतिशत की सेन्वेट की मूल दर और 12.5 प्रतिशत राज्य वैट के जोड़ की तुलना में कम हो; राज्यों को वस्तु और सेवाओं पर समान दर से कर लगाने के लिए योग्य बनाना, फुटकर चरण तक वस्तुओं में मूल्यवर्धित कर लगाने के लिए केंद्र को सुयोग्य बनाना।

सीएसटी के समापन के मुद्दे पर, राज्य वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति व्यापक सहमति पर पहुंची। तदनुसार, 2007-08 के केंद्रीय बजट में इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। सीएसटी के समापन से हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है। समुचित जीएसटी दर के संबंध में, केलकर समिति ने 20 प्रतिशत संयुक्त जीएसटी दर का सुझाव दिया है क्योंकि इसकी कुछ अंतरराष्ट्रीय जीएसटी दरों से तुलना की गई है। स्वीडन और डेनमार्क में 25 प्रतिशत की सर्वाधिक ऊँची दर है तथा उसके पश्चात आइसलैंड (24.5 प्रतिशत) तथा फिनलैण्ड (22 प्रतिशत) का स्थान है।

संघीय देशों के अनुभव जीएसटी के तीन मॉडलों के अनुभव बतलाते हैं : अर्थात क) संघीय स्तर पर संग्रहण, ख) उप-राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहण, ग) जीएसटी का दुहरा स्तर। तीसरे मॉडल के तीन विभिन्नक हैं (1) संघीय सरकार द्वारा संगृहीत यद्यपि संवैधानिक प्राधिकार सरकार की दोनों श्रेणियों के पास निहित हैं, (2) सरकार की दोनों श्रेणियों द्वारा संगृहीत स्वतंत्र वस्तु और सेवाकर (जीएसटी), (3) राज्यों द्वारा प्रशासित सामान्य आधार पर एकल समन्वीकृत दर। जीएसटी के प्रत्येक विभिन्नक के अपने गुण और दोष हैं। एक केंद्रीयकृत जीएसटी कर दरों को समन्वित करती है तथा परिभाषा से छूट प्रदान करती है। दूसरी तरफ, अतिशय विषमता वाले देश में अंतरणों को समान करने की केंद्र की क्षमता को घटाने के अलावा, अनन्य राज्य स्तरीय जीएसटी राज्य स्वायत्तता को अतिशयता तक ले जाती है और बाह्य समन्वयीकरण प्रयासों की मांग करती है।

भारत में अपनाए जाने वाले जीएसटी मॉडल पर निर्णय अभी लिया जाना है। तथापि, सामयिक साहित्य में राजकोषीय विशेषज्ञों द्वारा कई विचार व्यक्त किए गए हैं। एक विचार के अनुसार दुहरा वैट, जो कनाडा के क्यूएसटी-जीएसटी मॉडल का विभिन्नक है, जिसमें दरों के मामले में राज्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश और आधार में सीमित गुंजाइश है, भारत में सर्वाधिक आशाजनक विकल्प प्रतीत होता है (बागची. ए. 2006)। ऐसा देखा गया है कि बिक्री कराधान का संकेंद्रण आवश्यक नहीं है और वैट के साथ कनाडा के और आयकर के साथ अमरीका के अनुभवों की तरह ही केंद्रीय और राज्य कर साथ-साथ हो सकते हैं। ऐसा सुझाव दिया गया है कि समवर्ती कराधान की प्रणाली, जिसमें राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी शामिल है, एक व्यवहार्य मध्यमकालिक विकल्प होगी। तथापि, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्षैतिज असंतुलनों के दृष्टिकोण से बना हुआ है, समग्र कर दर के लिए बेंचमार्क को देखते हुए केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के घटक कर दरों को निर्धारित करना है। केलकर समिति ने इस संबंध में 20 प्रतिशत जीएसटी दर के विभाजन की सलाह दी थी जिसमें 12 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी के लिए और 8 प्रतिशत राज्य जीएसटी के लिए होगा। बारहवें वित्त आयोग ने पाया कि 12:8 का अनुपात केंद्र के पक्ष में है और प्रणाली में लंबवत असंतुलन को बढ़ा सकता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, जीएसटी का दो स्तरीय ढाँचा सहायक है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारें शामिल हैं। केंद्र की प्रशासनिक क्षमता केंद्रीय उत्पाद विभाग में निहित है जबकि राज्यों की राज्य बिक्री कर स्थापना के रूप में व्यापक क्षमता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि जीएसटी के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य दोनों की मशीनरी का उपयोग आदर्श होगा। इसके अलावा, केंद्रीय कर विभाग के संसाधनों की सीमाओं और बिक्री कर क्रियान्वित करने के राज्यों के अनुभवों से निष्कर्ष निकलता है कि दोनों में से किसी सर्वोत्तम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

वित्त मंत्री ने 2007-08 के केंद्रीय बजट में कहा था कि भारत में वैट पूर्ण रूप से सफल साबित होगा। अनुसरण में, राज्य वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार की शक्ति संपन्न समिति 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी शुरू करने के लिए एक रोडमैप बना रही है। जीएसटी के लिए रोडमैप तैयार करने में राज्य स्तर पर वैट के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

संदर्भ :

1. एसोशिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एशोचैम) (2007), जीएसटी : इंपरेटिव ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली।
2. अमरेश वागची (2006), 'टुवर्ड्स जीएसटी : च्वाइसेज एंड ट्रेड ऑफ्स', इकनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, 8 अप्रैल।
3. भारत सरकार (2007), 'वित्त मंत्री का बजट भाषण' 28 फरवरी।
4. गोविंद राव, एम (2007), 'रेाड मैप टु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' बिजनेस स्टैंडड, 3 जनवरी 2006।
5. पुरोहित महेश सी. (2007), 'जीएसटी एंड द 13थ फाइनेंस पैनल', द इकनॉमिक टाइम्स, 8 सितंबर।
6. श्रीवास्तव, डी.के. (2007), 'ए रोड मैप टु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स', द हिंदू बिजनेस लाइन, 13 अगस्त।
7. मुखोपाध्याय, एस. (2006), 'ह्विच वे फॉर इनडाइरेक्ट टैक्सेज', द इकनॉमिक टाइम्स, 8 अप्रैल।

को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा (वर्तमान में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तक सीमित) प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। जुलाई 2007 में राज्य सरकारों द्वारा जारी संशोधित सामान्य अधिसूचना में ''गैर-प्रति स्पर्धी बोली सुविधा'' योजना के आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है । यह योजना शीघ्र ही लागू की जाएगी।

III.3.4 राज्यों के शेषों के निवेश के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए कार्यदल

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेषों में वृद्धि और इन शेषों पर ऋणात्मक स्प्रेड ने राज्य सरकारों के वित्तीय और नकदी प्रबंधन के लिए नई-नई चुनौतियां खड़ी की हैं। राज्यों के अधिशेष नकद शेषों के निवेश से संबंधित विषयों पर रिज़र्व बैंक में 7 अगस्त 2006 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 18वें सम्मेलन में चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों का संज्ञान लेते हुए, यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेषों के वैकल्पिक निवेश विकल्प के लिए एक ढांचा सुझाने हेतु राज्य वित्त सचिवों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों का एक छोटा समूह बनाया जाए। कार्यदल में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम की राज्य सरकारों के वित्त सचिवों को शामिल किया गया। कार्यदल ने दिसंबर 2006 में रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल की रिपोर्ट पर अगस्त 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 20वें सम्मेलन में चर्चा की गई।

III.3.5 स्थायी तकनीकी समिति का गठन

रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में 'सहमति पूर्ण और सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों संबंधी व्यापक विषयों पर सलाह देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन के तत्ववधान के अंतर्गत'' एक स्थायी तकनीकी समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया था। स्थायी तकनीकी समिति का गठन दिसंबर 2006 में राज्य सरकारों के साथ सलाह करके और भारत सरकार की सहमति से किया गया था। स्थायी तकनीकी समिति के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के उपगवर्नर हैं और इसके सदस्यों में सभी राज्य सरकारों के प्रधान वित्त सचिव, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। स्थायी तकनीकी समिति का सचिवालय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।

स्थायी तकनीकी समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं:

- विकासमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए; जिसमें ऋण की धारणीयता और राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के उपबंध, जहाँ लागू हों, का उचित खयाल रखा जाएगा; राज्य सरकारों की उधार आवश्यकताओं का वार्षिक अनुमान लगाना। स्थायी तकनीकी समिति के अनुमानों को, आंतरिक मौद्रिक अनुमानों के लिए इन्पुट के रूप में विचारार्थ, प्रति वर्ष दिसंबर में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाएगा।
- राज्यों के लिए संसाधन जुटाने हेतु वैकल्पिक परिदृश्य बनाना और वैकल्पिक रणनीति और साधन सुझाना।
- राज्यों के बीच बाजार उधारों के वार्षिक आबंटन के लिए पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना।
- बजट में अनुमानित सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के वास्तविक उधारों को ध्यान में रखना। इससे अपने-अपने बजट अनुमानों के विभिन्न साधनों के माध्यम से वास्तविक उधारों के व्यापक विचलन के मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को सलाह देने में मदद मिलेगी।
- एक समुचित डाटाबेस विकसित करना जो उपर्युक्त निगरानी को आसान बनाएगा।
- राज्य सरकार की गारंटियों के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करना।
- बाजार उधार कैलेण्डर बनाने, बाजार उधारों के लिए नीलामी मार्ग को उत्तरोत्तर अपनाने, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की तरलता और राज्य सरकार के स्तर पर ऋण प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण के लिए किए गए उपायों सहित राज्य सरकारों को उनके उधारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह देना।

III.3.6 विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन

राज्यों को बहुमुखीय एजेंसियों द्वारा बाह्य सहायता पारंपरिक तौर पर केंद्रीय सहायता के भाग के रूप में केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती रही है, जिसमें केंद्र विदेशी मुद्रा जोखिम को वहन करता है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा उधारों में केंद्र की मध्यस्थहीनता की नीति के भाग के रूप में, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को बाह्य सहायता का बैक-टु-बैक अंतरण होना चाहिए। राज्य वित्त सचिवों के 16वें सम्मेलन के अवसर पर, कुछ राज्य सरकारों के वित्त सचिवों ने सलाह दी कि भारतीय रिज़र्व बैंक बाह्य सहायता की बैक-टु-बैक अंतरण की नीति के कारण हुए विनिमय दर जोखिम से बचने के लिए राज्यों को सहायता देने में परामर्शदाता की भूमिका निभा सकता है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में और जनवरी 2007 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में चर्चा के फलस्वरूप, राज्य सरकार के अधिकारियों के लाभ के लिए मई 2007 में रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन पर पहली कार्यशाला आयोजित की। राज्यों ने भी अपने-अपने बजटों में निधियों को अलग रख करके, विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए प्रावधान करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित की है, जिसमें रिज़र्व बैंक को समेकित ऋण शोधन निधि की तर्ज पर इन निधियों का प्रबंधन करने के लिए भूमिका निभानी है। इन प्रस्तावों पर अगस्त 2007 में आयोजित राज्य के वित्त सचिवों के 20वें सम्मेलन में चर्चा की गई।

III.3.7 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गमन

अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह प्रस्ताव किया गया कि पर्याप्त भंडार बनाने और इस प्रकार ऐसी प्रतिभूतियों की द्वितीयक तरलता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम शुरू किया जाए। एसडीएल के पुनर्निर्गमन की प्रणाली को शुरू करने की संभाव्यता का राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिसादों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया जा रहा है।

III.3.8 राज्य विकास ऋणों पर दलाली कमीशन के भुगतान की समीक्षा

24 जनवरी 2007 को आयोजित राज्य के वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में, नीलामी प्रणाली के माध्यम से एसडीएल के निर्गमन के लिए बैंकों/अन्य पात्र कंपनियों को राज्य सरकारों द्वारा देय दलाली/कमीशन के भुगतान के प्रावधान की समीक्षा की गई। तदनुसार, जुलाई 2007 में सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के अनुसार, यदि नीलामी प्रणाली के माध्यम से एसडीएल जारी किए जाते हैं तो बैंकों/ अन्य पात्र कंपनियों को देय दलाली/कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

समष्टि आर्थिक आधारभूत तत्वों की ताकत पर बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और कर वृद्धि में सुधार के साथ, राजकोषीय सुधार और समेकन के लिए राजकोषीय तथा संस्थागत सुधारों ने 2005-06 से राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में वास्तविक सुधार लाने में योगदान किया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक 2000-01 से 2004-05 के औसतों की तुलना में काफी नीचे थे। याद होगा कि 2000-01 से 2002-03 की अवधि में सुधार दर्ज करने के पश्चात राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2003-04 में क्षणिक रूप से खराब हुई। इस खंड में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के उनके खातों के अनुसार विश्लेषित और मूल्यांकित की गई है।[3]

IV.1 लेखा : 2005-06

जब 2005-06 के संशोधित अनुमानों के खाते तैयार किए गए, तो राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात, राजस्व घाटे, सकल राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में काफी कमी हुई (सारणी 3)। राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे में 2005-06 (संअ) और 2005-06 (लेखा) के बीच क्रमशः 12,813 करोड़ (64.6 प्रतिशत) तथा 22,338 करोड़ (19.9 प्रतिशत) की तीव्र गिरावट हुई। प्राथमिक घाटे में भी 19,070 करोड़ रुपए (75.9 प्रतिशत) की

[3] विश्लेषण 2005-06 (लेखा), 2006-07 (संशोधित अनुमान) और 2007-08 (बजट अनुमान) से संबंधित है जिसका अट्ठाइस राज्य सरकारों के 2007-08 के बजटों में प्रावधान किया गया है।

सारणी 3 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2005-06 (लेखा)

मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**-13,384**	**-3.0**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	-3,262	-1.1	24.4
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	-4,563	-2.1	34.1
जिसमें से: बिक्री कर	-3,961	-3.0	29.6
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,302	1.4	-9.7
(ii) करेतर राजस्व	-10,122	-7.5	75.6
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	2,580	5.7	-19.3
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	-12,702	-14.2	94.9
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**-26,197**	**-5.6**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	-22,928	-6.1	87.5
जिसमें से:			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-4,930	-5.9	18.8
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-2,217	-9.8	8.5
ऊर्जा	-276	-1.3	1.1
ग्रामीण विकास	-2,316	-11.6	8.8
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	-1,341	-6.0	5.1
प्रशासनिक सेवा	-1,944	-5.4	7.4
पेंशन	-1,768	-4.2	6.7
(ii) ब्याज भुगतान	-3,269	-3.7	12.5
III. पूंजी प्राप्तियां	**10,242**	**6.6**	**100.0**
IV. पूंजी व्यय	**-5,875**	**-4.5**	**100.0**
जिसमें से:			
पूंजी परिव्यय	-6,207	-7.4	105.6
जिसमें से:			
ग्रामीण विकास	-723	-15.4	12.3
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	-615	-2.3	10.5
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-900	-41.3	15.3
परिवहन	-1,244	-7.9	21.2
ज्ञापन मदें :			
राजस्व घाटा	-12,813	-64.6	
सकल राजकोषीय घाटा	-22,338	-19.9	
प्राथमिक घाटा	-19,070	-75.9	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।

2. परिशिष्ट III व IV की टिप्पणियां भी देखें

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

तीव्र कमी हुई। 2005-06 में राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, जीडीपी के सापेक्ष में, 0.2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत था जो संशोधित अनुमानों में क्रमशः 0.6 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत था (देखें सारणी 1)।

2005-06 (लेखा) में राजस्व खाते में सुधार व्यापक रूप से राजस्व व्यय, मुख्य रूप से गैर-ब्याज राजस्व व्यय, जो 22,928 करोड़ रुपए (6.1 प्रतिशत) कम हुआ, में तीव्र कमी के कारण था। राजस्व खाते के विकासात्मक व्यय में वास्तविक रूप से 17,160 करोड़ रुपए की कमी आई जिससे राजस्व व्यय में 65.5 प्रतिशत की कमी हुई। गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में भी 2005-06 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2005-06 में 9,296 करोड़ रुपए की कमी हुई। राज्यों के अपने कर राजस्व और केन्द्र के अनुदानों में कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों में 13,384 करोड़ रुपए की गिरावट हुई, जिसकी केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में और उनके अपने करेतर राजस्व में वृद्धि के द्वारा भरपाई हुई।

पूँजी परिव्यय में 6,207 करोड़ रु (7.4 प्रतिशत) की कमी आई, जो पूँजी व्यय की गिरावट की तुलना में काफी अधिक थी। पूँजी परिव्यय में कमी विशेष रूप से ग्राम्य विकास (15.4 प्रतिशत), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (41.3 प्रतिशत), परिवहन (7.9 प्रतिशत) और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (2.3 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में थी। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत की कमी के बावजूद, प्रमुख घाटा संकेतकों में समग्र सुधार विकासात्मक व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों) में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की कमी के कारण था।

IV. 2 संशोधित अनुमान : 2006-07

बजट अनुमानों की तुलना में 2006-07 के संशोधित अनुमानों के रुझानों से पता चला कि राजस्व घाटे में, बजट अनुमानों में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत से संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत की कमी आई (परिशिष्ट सारणी 1)। राजस्व खाते में, 2006-07 (बजट अनुमान) की तुलना में 2006-07 (संशोधित अनुमान) में राजस्व प्राप्तियों में 22,654 करोड़ रुपए (4.5 प्रतिशत) की वास्तविक वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय में 19,872 करोड़ रुपए (3.8 प्रतिशत) की वृद्धि की भरपाई करने से अधिक थी (सारणी 4 और परिशिष्ट सारणी 2)।

राजस्व प्राप्तियों में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों के अपने कर राजस्व और केंद्रीय करों के हिस्से में बढ़ोत्तरी के कारण थी, जिससे राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 39.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्यों के करेतर

सारणी 4 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (ब.अ.) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.)

मद	घट बढ़		योगदान*
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	(प्रतिशत)
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**22,654**	**4.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	15,318	4.3	67.6
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	9,001	3.6	39.7
जिसमें से: बिक्री कर	3,771	2.4	16.6
ख) केंद्रीय कर में अंश	6,317	5.8	27.9
(ii) करेतर राजस्व	7,336	4.8	32.4
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	3,672	7.1	16.2
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	3,664	3.7	16.2
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**19,872**	**3.8**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	21,463	5.1	108.0
जिसमें से:			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,900	3.2	14.6
परिवाहन और संचार	1,135	8.3	5.7
ऊर्जा	5,412	27.9	27.2
ग्रामीण विकास	1,592	7.7	8.0
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	1,887	8.0	9.5
प्राकृतिक आपदा राहत	3,489	77.3	17.6
प्रशासनिक सेवा	-475	-1.1	-2.4
पेंशन	-86	-0.2	-0.4
(ii) ब्याज भुगतान	-1,591	-1.6	-8.0
III. पूंजी प्राप्तियां	**-8,475**	**-5.6**	**100.0**
जिसमें से:			
बाजार उधार	-3,290	-11.6	38.8
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	-2,516	-3.9	29.7
केंद्र से ऋण	-3,328	-24.6	39.3
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	3,156	59.3	-37.2
अल्पबचत, भविष्य निधि आदि (निवल)	551	5.3	-6.5
जमाराशि और अग्रिम (निवल)	2,928	-253.8	-34.6
IV. पूंजी व्यय	**13,290**	**9.7**	**100.0**
जिसमें से:			
पूंजी परिव्यय	10,399	11.0	78.2
जिसमें से:			
शहरी विकास	109	5.4	0.8
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,242	7.4	16.9
ऊर्जा	1,270	13.4	9.6
परिवहन	1,524	8.1	11.5
ज्ञापन मदें :			
राजस्व घाटा	-2,782	-33.3	
सकल राजकोषीय घाटा	7,160	6.7	
प्राथमिक घाटा	8,752	92.5	

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।
* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राजस्व और राज्यों को केंद्र के अनुदान प्रत्येक ने राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (परिशिष्ट सारणी 3)।

राजस्व व्यय का विकासात्मक घटक ऊर्जा, प्राकृतिक आपदा, शिक्षा, ग्राम्य विकास और परिवहन तथा संचार पर और अधिक व्यय के कारण जीडीपी का 0.5 प्रतिशत बढ़ा (परिशिष्ट सारणी 4)।

राजस्व घाटे में कमी के बावजूद, पूँजी परिव्यय के लिए 10,399 करोड़ रुपए (11.0 प्रतिशत) का बड़ा प्रावधान करने के कारण सकल राजकोषीय घाटा 7,160 करोड़ रुपए बढ़ा। पूंजी परिव्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, परिवहन, ऊर्जा तथा शहरी विकास जैसी आर्थिक सेवाओं से संबंधित थी। परिणाम के रूप में, जीडीपी के सापेक्षिक, पूँजी परिव्यय 2006-07 (बजट अनुमान) के 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 (संशोधित अनुमान) में 2.5 प्रतिशत हो गया। इसे दर्शाते हुए, जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमानों में 2.8 प्रतिशत हो गया।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और विकासात्मक व्यय के लिए अधिक प्रावधान दोनों के अनुसार 2006-07 के संशोधित अनुमानों का मूल्यांकन बजट अनुमानों, विशेष रूप से राजस्व खाते में, की तुलना में राज्य सरकारों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन में सुधार को दर्शाता है। यह ध्यान देने की बात है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों और राजकोषीय जबावदेही विधान के अंतर्गत बनाए गए राजकोषीय नियमों ने बजट में अनुमानित राजकोषीय स्थिति की चूकों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

IV.3 बजट अनुमान : 2007:08

2006-07 के संशोधित अनुमानों, विशेष रूप से राजस्व खाते में बेहतर राजकोषीय स्थिति की पृष्ठभूमि में, राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए, राजकोषीय जबावदेही विधान के अनुसार राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया जारी रखने के प्रति और प्रतिबद्धता दिखाई है। इसी प्रकार, राज्यों के बजट में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक और ग्राम्य क्षेत्रों के लिए और अधिक आबंटन किए गए हैं (बॉक्स 3)।

बॉक्स 3 : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : राज्य सरकारों के सामने समस्याएं और चुनौतियां

आर्थिक आधारभूत तत्वों में व्यापक सुधार को स्वीकार करते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से गरीबों और हासिए पर चले गए लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर निर्णायक प्रभाव डालना है। इसमें न केवल तीव्र वृद्धि पर जोर दिया गया है, बल्कि इसे और अधिक बहु-व्यापी और समावेशी बनाया गया है। इसलिए इसमें 9.0 प्रतिशत समग्र औसत वृद्धि की कल्पना की गई है, जबकि कृषि वृद्धि को दो गुना बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत करने और निर्धनता निवारण के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 70 मिलियन रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने होंगे।

एक दूसरा उद्देश्य वंचितों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेय जल, साफ-सफाई आदि जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करना है। चूँकि सामाजिक सेवाएं मूल रूप से राज्य के विषय हैं, ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

समस्याएं

उत्पादक रोजगार के निर्माण ओर निर्धनता में कमी के अलावा, ग्यारहवीं योजना में क्षेत्रों और समुदायों के बीच की विषमता पर विचार करना होगा जिसमें हासिए पर आए लोगों और असंगठित समूह की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधान और वंचित तथा कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को अन्य मूल सुविधाओं के लिए बहुत अधिक सार्वजनिक निवेश की जरूरत होगी। न केवल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने बल्कि प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के अनुरूप सरकार द्वारा प्रयोक्ता प्रभार लगाने में उसे समर्थ बनाने के लिए सेवाओं को प्रदान करने में काफी अधिक सुधार की आवश्यकता होगी। जबकि निर्भरता दर का जनांकिकीय लाभांश (कार्यशील आयु जन संख्या की तुलना में निर्भर व्यक्तियों का अनुपात) गिर रहा है, इसका लाभ उठाने के लिए गुणवत्ता शिक्षा देनी होगी और पर्याप्त लाभप्रद रोजगार का निर्माण करना होगा।

चुनौतियां

राज्य सरकारों को ग्यारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों/खण्डों के संबंध में चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होगी।

I. कृषि

कृषि वृद्धि को दोगुना अर्थात 4.0 प्रतिशत करने के लिए कृषि उत्पादकता में रुकावट की समस्या को दूर करके सही नीतियों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों को बड़ी और मझौली सिंचाई के लिए, विशेष रूप से असिंचित और सूखा-प्रवण क्षेत्र में, बहुत अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी जिसमें शामिल हैं : अपर्याप्त वर्षा के मामले में बोई जाने वाली फसल के प्रकार और कीट आक्रमण के मामले में ऐतिहाती उपायों पर किसानों को जानकारी प्रदान करना; कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के बीच संपर्क स्थापित करना; किसानों की ऋणग्रस्तता घटाना; आकस्मिकताओं का बीमा; निम्न कोटि की भूमि में सुधार और मृदा की गुणवत्ता में सुधार। फल, सब्जियों, पुष्प आदि और पशुपालन तथा मत्स्यपालन जैसी मदों को ऊंचे मूल्य में बदलने के लिए समर्थक वातावरण भी बनाना होगा। वहनीय दरों पर ऋण का प्रबंध करने, बाजार के कार्य करने और भूमि सुधारों पर पुनः ध्यान देने पर समान जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

II. रोजगार

सेवा और विर्निमाण क्षेत्र भविष्य में अतिरिक्त रोजगार का मुख्य स्रोत होगा और खाद्य प्रसंस्करण, चर्म उत्पाद, फुटवियर और वस्त्र तथा पर्यटन और निर्माण जैसे इन सेक्टरों के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर देना होगा जिसमें गाँवों और लघु स्तरीय उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्यथा नियोजक कुशल श्रम की कमी के कारण पूँजी प्रधान प्रौद्योगिकी अपना सकता है। राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाए और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

III. शिक्षा

साक्षरता के स्तर को बढ़ाना और ग्यारहवीं योजना में दिए गए स्तर तक शिक्षा देना एक प्रमुख चुनौती है। योजना में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है : समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम का सार्वभौमीकरण, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा देना, माध्यमिक स्कूलों का विस्तार, व्यावसायिक प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा को 85 प्रतिशत तक बढ़ाना, समन्वित विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना विकसित करना और वैज्ञानिक मानव शक्ति की संख्या बढ़ाना।

IV. स्वास्थ्य

ग्यारहवीं योजना निम्नलिखित पर जोर देती है : एनजीओ की सहभागिता में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए समन्वित जिला और खण्ड विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की सभी अक्षमताओं और समस्याओं को देखना, सर्व स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत शहरी गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखना, स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रशिक्षित अर्धचिकित्सा कार्मिकों का उपयोग करना, स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ाना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के वर्तमान स्तर को 2-3 गुने से बढ़ाकर जीडीपी के 2-3 प्रतिशत तक करने की आवश्यकता होगी।

V. विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना

विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए, राज्य सरकारों को कई मोर्चों पर कार्य करना होगा। इनमें शामिल हैंः कर दरों को सरल बनाना और चुंगी प्रवेश कर आदि समाप्त करना; विशेष आर्थिक अंचलों (जोन) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे स्थानीय क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना, सिंगल विडों के माध्यम से भूमि पंजीकरण , जल और उपयोगिता कनेक्शनों, पर्यावरण और अनापत्तियों में विलंब को घटाना, जिसमें श्रम कानूनों के संशोधन द्वारा केंद्र की पहल से मदद की गई हो, लघु स्तरीय उत्पादनों के लिए रिजर्वेशन हटाना, अवशिष्ट प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना तथा माइक्रो, लघु और मझौले उद्यमों की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना।

VI. विषमताएं और विभाजन

गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, नियोजित और कम/अनियोजित, राज्यों, जिलों और समुदायों तथा लिंगों के बीच विषमता को कम करना एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे रोजगार निर्माण, लघु उद्योगों को बढ़ावा, संतुलित क्षेत्रीय विकास और लिंग विशिष्ट समस्याओं को हल करने के माध्यम से इन सभी वर्गों की सम्मिलित वृद्धि सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है।

VII. अपेक्षित संसाधन

निवेश को काफी बढ़ाना होगा और संयुक्त सरकार के योजना व्यय के लिए बजट संसाधनों के जीडीपी के 2.5 प्रतिशत अंक से बढ़कर लगभग 9.65 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी, सरकार को राजकोषीय तौर पर विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता है क्योंकि केंद्र और अधिकांश राज्यों (28 में से 26) ने एफआरएल को पारित कर लिया है। राज्यों के लिए, या तो सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में अथवा केंद्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के रूप में केंद्र से संसाधनों के काफी प्रवाह की आवश्यकता होगी। राज्य भी अपेक्षित व्यय का एक समुचित प्रतिशत योगदान कर सकेंगे। कर और करेतर राजस्व को बढ़ाने के लिए व्यय का पुनर्प्राथमिकीकरण और गैर-योजना व्यय (स्पष्ट और अप्रत्यक्ष सब्सिडी सहित) को घटाने की आवश्यकता है।

संदर्भः

भारत सरकार (2006), 'टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ : एन एप्रोच टु द 11थ फाइव ईयर प्लान', योजना आयोग, दिसंबर ।

IV.3.1 बजट अनुमान 2007-08 - प्रमुख घाटा संकेतक

2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में प्रमुख घाटा संकेतकों के अनुसार और सुधार दिखने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में, एक उल्लेखनीय पहलू है कि समेकित राजस्व शेष के 2006-07 (संअ) में 5,566 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) के घाटे से, 2007-08 (बअ) के दौरान, 11,973 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) के अधिशेष में तब्दील होने की परिकल्पना की गई है। यह उल्लेख करना संगत होगा कि राजकोषीय जबावदेही विधान शर्तों और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के एक वर्ष पहले ही राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान

बॉक्स 4 : राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान और राज्य वित्त

हाल के समय में राज्य वित्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) बनाना रहा है। राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय कार्यक्रम को अंगीकार करने में सहजता के लिए रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2003 को राज्य वित्त सचिवों के बारहवें सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर, एक मॉडल राजकोषीय उत्तरदायित्व बिल बनाने के लिए कई राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रति निधियों को मिलाकर एक समूह बनाया। समूह ने जनवरी 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। एफआरएल के निर्माण में राजकोषीय सशक्तता को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है क्योंकि प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे में कमी राज्यों के ऋणों के बढ़ते स्तर में कमी के लिए महत्वपूर्ण है। राजकोषीय सशक्तता के अलावा, एफआरएल में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करना न केवल बजट कार्यकलापों की विश्वसनीयता बनाए रखने बल्कि विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन तथा और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसको स्वीकार करते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य एफआरएल को बनाए जो ऋण राहत का लाभ लेने के लिए पूर्व शर्त होगी।

अब तक सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एफआरएल बनाया है। कर्नाटक ने सितंबर 2002 में सबसे पहले एफआरएल बनाया इसके पश्चात तमिलनाडु (मई 2003), केरल (अगस्त 2003) और पंजाब (अक्तूबर 2003) थे। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात बाइस और राज्यों ने एफआरएल का निर्माण किया। यद्यपि लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों के बीच लक्ष्य के विकल्प और समय-सीमा पर विभिन्नता है, अधिकांश राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे के समापन की बात कही गई है और बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे में 31 मार्च 2010 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक की कमी होगी। इसके अलावा, कई राज्यों ने गारंटियों पर सीमाएं लगाई हैं और अपने दायित्वों को घटाने के लिए लक्ष्य तय किए हैं।

राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय सुधार और समेकन के उपायों ने राज्यों के वित्त पर अनुकूल प्रभाव डाला है। इसको परिलक्षित करते हुए, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर सभी गैर-विशेष वर्ग के राज्यों द्वारा 2007-08 में राजस्व शेष/आधिक्य (बजट अनुमान) प्राप्त किए जाने का अनुमान लगाया गया है। शेष चार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों द्वारा, राजस्व शेष के संबंध में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.8 प्रतिशत, 1.4 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत का वार्षिक समायोजन करने की आवश्यकता होगी (सारणी)। जबकि पश्चिम बंगाल ने अब तक एफआरएल नहीं बनाया है, केरल सरकार के वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण में कहा कि केरल का राजस्व घाटा 2010-11 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से कम होगा। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, सभी विशेष वर्ग के राज्यों ने 2007-08 में राजस्व आधिक्य का बजट अनुमान लगाया है।

सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के संबंध में, आठ गैर-विशेष वर्ग के राज्यों ने 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम जीएफडी का अनुमान लगाया है अर्थात बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के दो वर्ष पहले। शेष नौ राज्यों में, आठ राज्यों को राजकोषीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.2 - 0.9 प्रतिशत के वार्षिक समायोजन की आवश्यकता होगी, जबकि एक राज्य (झारखंड) को अगले दो राजकोषीय वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत वार्षिक समायोजन की आवश्यकता होगी। विशेष वर्ग के राज्यों में, ग्यारह राज्यों में से चार में 2007-08 में जीएफडी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम होने का अनुमान लगाया है। शेष सात राज्यों में से, छः राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.4-2.2 प्रतिशत के वार्षिक समायोजन की जरुररत होगी। तथापि, सिक्किम में, जिसने एफआरएल नहीं बनाया है, बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत के वार्षिक समायोजन की आवश्यकता होगी।

सारणी : राज्य वित्त तथा राजस्व घाटे एवं सकल राजकोषीय घाटे के लिए बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	2007-08 (ब.अ.)	वार्षिक समायोजन*
1	2	3
राजस्व घाटा		
गैर विशेष श्रेणी		
1. केरल	3.4	3.4
2. पश्चिम बंगाल	2.7	2.7
3. पंजाब	1.4	1.4
4. झारखंड	0.8	0.8
विशेष श्रेणी		
1. हिमाचल प्रदेश	0.7	0.7
सकल राजकोषीय घाटा		
गैर विशेष श्रेणी		
1. झारखंड	7.4	2.2
2. केरल	4.8	0.9
3. पंजाब	4.6	0.8
4. पश्चिम बंगाल	4.4	0.7
5. गोवा	4.3	0.7
6. बिहार	4.2	0.6
7. उत्तर प्रदेश	3.6	0.3
8. राजस्थान	3.5	0.3
9. मध्य प्रदेश	3.3	0.2
विशेष श्रेणी		
1. सिक्किम	11.6	4.3
2. जम्मू और कश्मीर	7.3	2.2
3. त्रिपुरा	5.9	1.5
4. अरूणाचल प्रदेश	4.2	0.6
5. उत्तराखंड	4.2	0.6
6. हिमाचल प्रदेश	4.1	0.6
7. असम	3.7	0.4

* : 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने तथा जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जीएफडी को कम करके 2009-10 तक 3 प्रतिशत करने के लिए अपेक्षित वार्षिक समायोजन।

अधिक राज्यों द्वारा एफआरएल के बनाने से राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय नीति ढाँचा तैयार हुआ है। तथापि, राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया पूँजी परिव्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी। राज्यों द्वारा बनाए गए एफआरएल के अंतर्गत उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से किसी प्रकार का विचलन उनकी विश्वसनीयता का सवाल खड़ा करेगी। इसलिए यह वांछनीय है कि राज्य अपने-अपने संबंधित एफआरएल के अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करें।

संदर्भ:

1. भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10), नवंबर।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (2007), वार्षिक रिपोर्ट 2006-07, अगस्त।

लगाया गया है (बॉक्स 4)। बजट में अनुमानित राजस्व अधिशेष के परिणामस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटा 5,590 करोड़ रुपए (4.9 प्रतिशत) घटकर 1,08,323 करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.3 प्रतिशत) होगा। इसी प्रकार, प्राथमिक घाटे के 12,561 करोड़ रुपए (69.0 प्रतिशत) से घटकर 2007-08 में 5,648 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) होने का बजट अनुमान लगाया गया है (चार्ट 1)। इसको परिलक्षित करते हुए, जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के राज्य सरकारों के प्राथमिक राजस्व आधिक्य के 2007-08 के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में अधिक होने का बजट अनुमान लगाया गया है अर्थात पिछले वर्ष में ब्याज भुगतानों के लगभग 94 प्रतिशत की तुलना में ब्याज भुगतानों का 112 प्रतिशत।

प्राथमिक तौर पर पिछले वर्ष हुई 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर से राजस्व प्राप्तियों में 14.2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के माध्यम से 2007-08 के दौरान राजस्व खाते में सुधार होने की परिकल्पना की गई है। 2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि अपने कर राजस्व (49.1 प्रतिशत), केंद्रीय करों में अंश (27.2 प्रतिशत), केंद्र से अनुदान (19.1 प्रतिशत) और राज्यों के अपने करेतर राजस्व (4.7 प्रतिशत) द्वारा होने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 5)। वैट/बिक्री कर से प्राप्त राजस्व में, जो राज्यों के अपने कर राजस्व का लगभग आधा है, क्रमशः 15.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जबकि संपत्ति और पूँजी लेनेदेनों में कर में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी (परिशिष्ट सारणी 3)।

चार्ट 1 : प्रमुख घाटा संकेतक

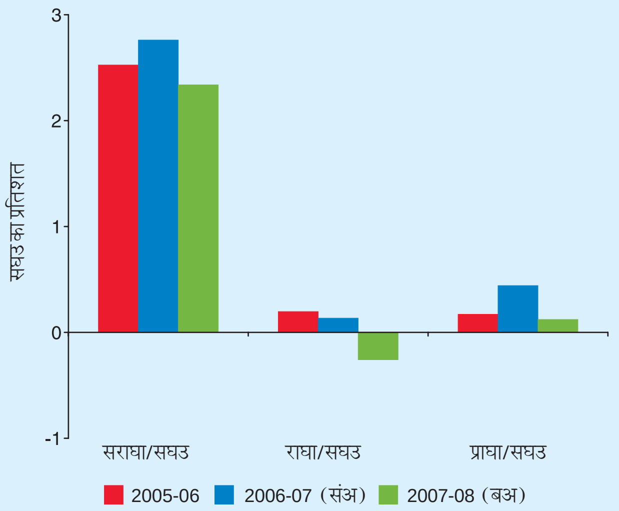

सराघा : सकल राजकोषीय घाटा सघउ : सकल घरेलू उत्पाद
राघा : राजस्व घाटा प्राघा : प्राथमिक घाटा

सारणी 5 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 (ब.अ.)

मद	घट बढ़		योगदान*
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	(प्रतिशत)
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**75,304**	**14.2**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	57,405	15.4	76.2
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	36,958	14.4	49.1
जिसमें से: बिक्री कर	24,860	15.7	33.0
ख) केंद्रीय कर में अंश	20,447	17.7	27.2
(ii) करेतर राजस्व	17,899	11.3	23.8
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	3,534	6.3	4.7
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	14,366	14.0	19.1
II. राजस्व व्यय	**57,765**	**10.8**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	50,795	11.5	87.9
जिसमें से:			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	9,054	9.5	15.7
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,672	10.7	4.6
ऊर्जा	-817	-3.3	-1.4
ग्रामीण विकास	2,481	11.2	4.3
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	3,143	12.3	5.4
प्रशासनिक सेवा	6,556	15.4	11.3
पेंशन	6,524	13.7	11.3
(ii) ब्याज भुगतान	6,971	7.3	12.1
III. पूंजी प्राप्तियां	**17,805**	**12.4**	**100.0**
जिसमें से:			
बाजार उधार	11,840	47.4	66.5
नाबार्ड से ऋण	1,657	20.4	9.3
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियां	-2,553	-4.1	-14.3
केंद्र से ऋण	4,721	46.3	26.5
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	-3,890	-45.9	-21.8
आरक्षित निधि (निवल)	-543	-11.4	-3.0
विविध पूंजी प्राप्तियां	7,048	230.8	39.6
प्रेषण (निवल)	-364	-113.9	-2.0
IV. पूंजी व्यय	**20,908**	**13.9**	**100.0**
जिसमें से:			
पूंजी परिव्यय	13,854	13.2	66.3
जिसमें से:			
शहरी विकास	390	18.5	1.9
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,655	11.2	17.5
ऊर्जा	4,221	39.2	20.2
परिवहन	3,227	15.9	15.4
ज्ञापन मदें :			
राजस्व घाटा	-17,539	-315.1	
सकल राजकोषीय घाटा	-5,590	-4.9	
प्राथमिक घाटा	-12,561	-69.0	

ब.अ. : बजट अनुमान। सं.अ. : संशोधित अनुमान.
* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राजस्व खाते में सुधार को, पिछले वर्ष राजस्व व्यय में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि से 2007-08 के दौरान 10.8 प्रतिशत की गिरावट से भी सहायता मिलेगी। 2007-08 के दौरान राजस्व व्यय में अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से गैर ब्याज राजस्व व्यय (87.9 प्रतिशत) द्वारा होगी। राजस्व व्यय के अंतर्गत, विकासात्मक व्यय (आर्थिक और सामाजिक सेवाएं) पिछले वर्ष में 26.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज करने के पश्चात कम होकर 11.3 प्रतिशत हो जाएगा। गैर-विकासात्मक व्यय भी प्रशासनिक सेवाओं, पेंशन और ब्याज भुगतानों के व्यय में कमी के कारण घटकर 9.5 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 17.6 प्रतिशत से) हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 4)। ऊर्जा, सिंचाई, खाद्य नियंत्रण और परिवहन मे अधिक निवेश आदि के कारण पूँजी परिव्यय 13.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

पूँजी व्यय में वृद्धि के बावजूद, जीडीपी के 0.3 प्रतिशत राजस्व अधिशेष के होने से पिछले वर्ष के 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में सकल राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 2.3 प्रतिशत होगा।

IV.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 14.2 प्रतिशत और वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2007-08 में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें मुख्य रूप से अपने कर राजस्व और केंद्र से डिवोल्युशन तथा अंतरण शामिल हैं (सारणी 6) (विवरण 19 और 25 भी देखें)।

सारणी 6: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							कॉ. 6/5	कॉ. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.1)	2,31,618 (14.8)	4,40,075 (17.2)	5,95,628 (16.7)	6,74,736 (16.4)	7,67,845 (16.6)	13.3	13.8
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.1)	1,65,416 (10.7)	2,85,661 (11.2)	4,31,021 (12.1)	5,31,429 (12.9)	6,06,733 (13.1)	23.3	14.2
क) राज्यों के अपने राजस्व	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (7.0)	2,60,247 (7.3)	3,12,738 (7.6)	3,53,229 (7.6)	20.2	12.9
राज्य के अपने कर	41,158 (5.4)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.6)	2,12,307 (6.0)	2,57,080 (6.2)	2,94,038 (6.3)	21.1	14.4
राज्य के अपने करेतर राजस्व	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	55,657 (1.3)	59,191 (1.3)	16.1	6.3
ख) केंद्र को अंतरण	37,133 (4.9)	61,874 (4.0)	1,07,490 (4.2)	1,70,774 (4.8)	2,18,691 (5.3)	2,53,504 (5.5)	28.1	15.9
अंशदायी कर	19,790 (2.6)	37,608 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.6)	1,15,737 (2.8)	1,36,184 (2.9)	23.1	17.7
केंद्र के अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.2)	1,02,955 (2.5)	1,17,320 (2.5)	34.1	14.0
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (6.0)	1,64,607 (4.6)	1,43,307 (3.5)	1,61,112 (3.5)	-12.9	12.4
क) केंद्र से ऋण @	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	10,197 (0.2)	14,918 (0.3)	25.9	46.3
ख) अन्य पूंजी प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (5.0)	1,56,510 (4.4)	1,33,109 (3.2)	1,46,193 (3.2)	-15.0	9.8

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

@ : वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण अल्प बचतों में राज्यों का अंश, जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया गया था, अब आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि इस सारणी में सूचित 1999-2000 वर्ष के पहले के आंकड़े में तुलनात्मकता के लिए अल्प बचतों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणियां : 1. सघउ का 5 वर्ष का औसत अनुपात विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं । पूर्णांकन के कारण जोड़ नहीं मिलेगा।
3. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं। परिशिष्ट III की टिप्पणियां भी देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

1990 के दशक के मध्य से ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, 2007-08 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने कर राजस्व में मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सभी घटक राज्यों के अपने करों को बढ़ाने में योगदान देंगे (परिशिष्ट सारणी 3)। राज्यों के अपने करेतर राजस्व में वृद्धि के पिछले वर्ष के 16.1 प्रतिशत से घटकर 2007-08 के दौरान 6.3 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने करेतर राजस्व को 1.3 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं, विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं, से कम वसूली आंशिक तौर पर उनके कम करेतर राजस्व संग्रह को बतलाती है। 2007-08 में शिक्षा से 1.3 प्रतिशत, सार्वजनिक स्वास्थ्य से 4.5 प्रतिशत, सिंचाई से 15.6 प्रतिशत, विद्युत से 23.6 प्रतिशत और सड़क से 7.6 प्रतिशत लागत वसूली का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 7 और चार्ट 2)। इसके अलावा, उनके कमजोर कार्य निष्पादन के कारण राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों से लाभांशों और लाभों के रूप में वापसी काफी कम रही है। राज्य सरकारों के करेतर राजस्व को बढ़ाने के लिए समुचित प्रयोक्ता प्रभारों को लगाकर और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की पुनर्संरचना करके लागत वसूली को बढ़ाने की आवश्यकता है।

चार्ट 2 : चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

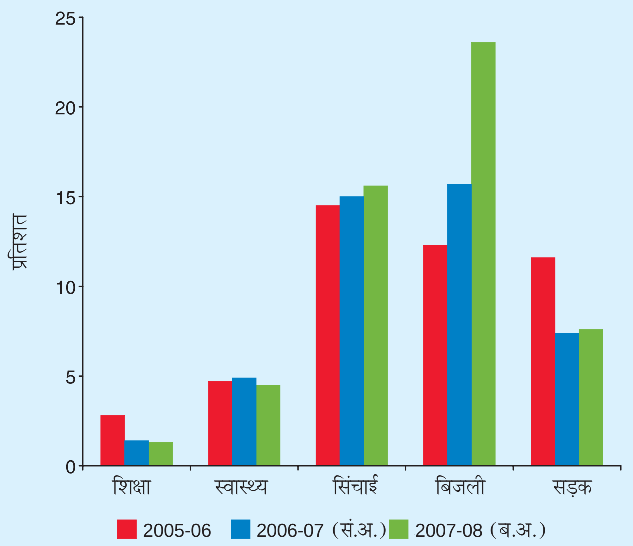

सारणी 7 : चयनित सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

(प्रतिशत)

मदें	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामाजिक सेवाएं								
क) शिक्षा $	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	1.4	1.3
ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	4.9	4.5
आर्थिक सेवाएं								
क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.6
ख) बिजली	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	15.7	23.6
ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.4	7.6

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय भी शामिल है।

* : इसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय शामिल है ।

: यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए बड़ी, मझोली तथा लघु सिंचाई से संबंधित है ।

@ : यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़क एवं पुल से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए मार्ग परिवहन से संबंधित है ।

टिप्पणी : राज्यों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अकाउंटिंग में समानता न होने के कारण कई बार विभिन्न वर्षों के बीच इसे समायोजित किया गया है । अतः अनुपात में उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा, राज्यों ने बिजली के अंतर्गत एक बार की करेतर प्राप्तियां प्राप्त की थीं जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 2003-04 के दौरान अहलुवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार 2,749 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई, ऐसी राशि को यहां छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशि, जो करेतर स्वरुप की नहीं हैं, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 2004-05 में 240 करोड़ रु. तथा उत्तराखण्ड सरकार के मामले में 2004-05 में 134 करोड़ रु. को निकाल दिया गया हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट प्रलेखों से संकलित।

IV.3.3 राजस्व व्यय

राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में पिछले वर्ष के 22.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, राजस्व व्यय पिछले वर्ष के 13.0 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 के दौरान 12.8 प्रतिशत हो जाएगा। राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति, ग्राम्य विकास, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण और परिवहन तथा संचार के कारण होगी। इसके अलावा, 2007-08 के दौरान ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवा और पेंशन के प्रावधानों में काफी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में से ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवा और पेंशन पर व्यय पिछले दो वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान कम होगा (चार्ट 3) (परिशिष्ट सारणी 4 भी देखें)।

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों में, मुख्य रूप से बाजार उधारों की बजट में अनुमानित राशि में तीव्र वृद्धि के कारण, पिछले वर्ष में 12.9 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2007-08 के दौरान 12.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस बात पर ध्यान देना सामयिक होगा कि राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों और ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली, दोनों के लिए क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 45.9 प्रतिशत का कम बजट अनुमान लगाया है (परिशिष्ट सारणी 5)।

केंद्र से लिए गए सकल ऋणों में, मुख्य रूप से राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए ऋणों के संबंध में प्रावधानन के कारण, पिछले वर्ष की 25.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2007-08 के दौरान 46.3 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है (विवरण 24)। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से लिए जाने वाले ऋणों को समाप्त किया जा रहा है। राज्य सरकारों को अपने योजना कार्यक्रमों के लिए बाजार उधारों का सहारा लेना होगा। राज्यों की कुल पूंजी प्राप्तियों (विशुद्ध वसूली) के अनुपात के रूप में पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक चार्ट 4 में दिए गए हैं।

IV.3.5 पूँजी व्यय

राज्य सरकारों के कुल पूँजी व्यय में, पिछले वर्ष के 22.1 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना करने पर 2007-08 के दौरान 13.9 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है। पूंजी परिव्यय में संवृद्धि 2007-08 में पूंजी संवितरण में हुई वृद्धि का 66.3 प्रतिशत होगी जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय का प्रतिनिधित्व करेगी। जीडीपी के अनुपात

चार्ट 3 : ब्याज भुगतान, पेंशन एवं प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय

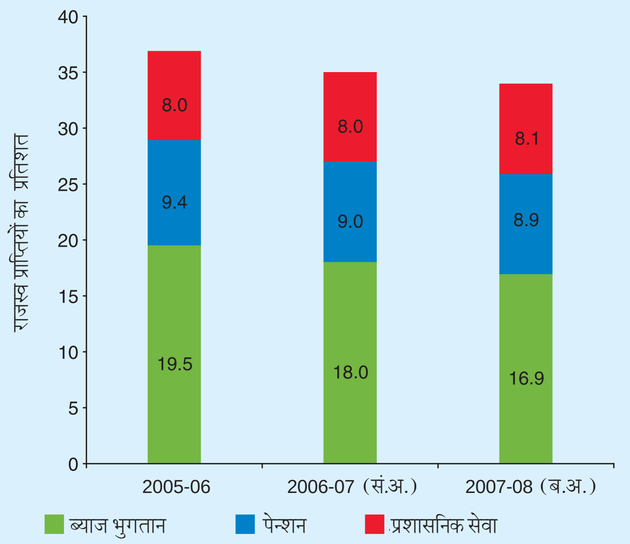

चार्ट 4 : पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक

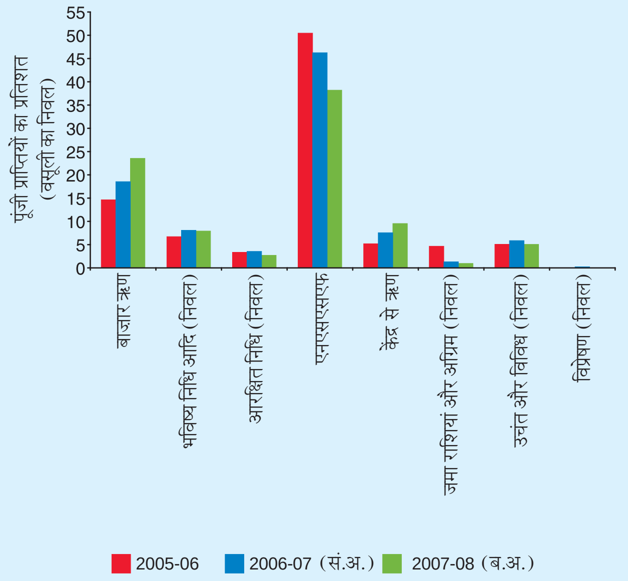

के रूप में, पूँजी परिव्यय पिछले वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो जाएगा। पूँजी संवितरण (26.6 प्रतिशत) में एक चौथाई वृद्धि आंतरिक ऋण के उन्मोचन के कारण होगी। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के ऋणों और अग्रिमों में 8.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है (परिशिष्ट सारणी 6)।

IV.3.6 केंद्र से राज्य सरकारों को संसाधनों का डिवोलूशन और अंतरण

केंद्र से राज्य सरकारों को संसाधनों का सकल डिवोलूशन और अंतरण (अर्थात बाँटने योग्य कर राजस्व, अनुदान और ऋण तथा अग्रिम) पिछले वर्ष के 28.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2007-08 के दौरान 17.3 प्रतिशत बढ़कर 2,68,422 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, केंद्र का सकल डिवोलूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 5.5 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 में 5.8 प्रतिशत होगा। यह कहा जा सकता है कि केंद्र का सकल डिवोलूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 33.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के कुल संवितरण के 35.0 प्रतिशत का वित्तपोषण करेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य बाँटने योग्य केंद्रीय करों में से एक बड़ा हिस्सा और केंद्र से काफी अधिक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं (परिशिष्ट सारणी-7) (केंद्र से राज्यों को संसाधनों के डिवोलूशन और अंतरण का विस्तृत ब्यौरा खंड VII में दिया गया है)।

IV.3.7 विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय

कुल संवितरण में विकासात्मक व्यय के हिस्से में 1990-91 में 69.6 प्रतिशत से 2005-06 में 58.8 प्रतिशत की सीधी गिरावट हुई है, जिसके साथ गैर-विकासात्मक व्यय के हिस्से में लगभग प्रतिकारी वृद्धि हुई है। तथापि, सकल व्यय में विकासात्मक व्यय का हिस्सा 2006-07 में 60.9 प्रतिशत बढ़ा (संशोधित अनुमान) तथा 2007-08 में इसके और बढ़कर 61.0 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकासात्मक व्यय को 2007-08 के दौरान 10.1 प्रतिशत पर रखा जाएगा, जो पिछले वर्ष के 10.2 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है (सारणी 8)। विकासात्मक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र के व्यय (सामाजिक सेवाओं, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम भण्डारण और ग्रामीण विकास सहित) को पिछले वर्ष की तरह 2007-08 के दौरान जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रखा जाएगा (चार्ट 5) (परिशिष्ट सारणी 8-13)।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर-विकासात्मक व्यय, पिछले वर्ष के 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 5.3 प्रतिशत पर मामूली रूप से कम होगा। 2007-08 के दौरान गैर-विकासात्मक व्यय में प्रमुख वृद्धि ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं, पेंशन और विविध सामान्य सेवाओं के कारण होगी (परिशिष्ट सारणी 11)। 2007-08 के दौरान गैर योजना घटक विकासात्मक व्यय का 49.3 प्रतिशत और गैर विकासात्मक व्यय का 96.8 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी 12)। राजस्व व्यय विकासात्मक व्यय का 72.3 प्रतिशत और गैर-विकासात्मक व्यय का 97.7 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी 13)। जीडीपी के अनुपात के रूप में, योजनेतर गैर विकासात्मक व्यय को पिछले वर्ष के 5.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान मामूली रूप से कम अर्थात 5.1 प्रतिशत पर रखा जाएगा। यह कहा जा सकता है कि प्रतिबद्ध व्यय जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं, में हाल के वर्षों में कुछ स्थायित्व के चिह्न दिख रहे हैं। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, प्रतिबद्ध व्यय को पिछले वर्ष की तरह 2007-08 में 34.6 प्रतिशत पर रखा जाएगा। स्व राजस्व के अनुपात के रूप में, प्रतिबद्ध व्यय, वर्षों में, 59.5 प्रतिशत से घटकर 58.3 प्रतिशत हो जाएगा (विवरण 36 और 37 प्रतिशत)।

IV.3.7.1 सामाजिक क्षेत्र व्यय

राज्य सरकारों के कुल व्यय में, जिसमें इस दशक के पहले पांच सालों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी, सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य भण्डारण तथा गोदाम भण्डारण सहित सामाजिक क्षेत्र के व्यय के हिस्से में हाल के वर्षों में सुधार दिखा (चार्ट- 6)। 2000-05 के दौरान 32.5 प्रतिशत के औसत से, कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र के व्यय का अनुपात 2005-06 में 33.7 प्रतिशत और 2006-07 में 35.5 प्रतिशत तक और बढ़ा (संशोधित अनुमान)। 2007-08 में कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र

सारणी 8 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए)

मदें	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							कॉ. 6/5	कॉ. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल व्यय	1,22,270	2,33,441	4,37,299	5,61,682	6,87,946	7,66,620	22.5	11.4
(1+2 = 3+4+5)	(16.0)	(15.0)	(17.1)	(15.7)	(16.7)	(16.5)		
1. राजस्व व्यय	98,009	1,93,816	3,40,752	4,38,034	5,36,995	5,94,760	22.6	10.8
जिसमें से:	(12.8)	(12.4)	(13.4)	(12.3)	(13.0)	(12.8)		
ब्याज भुगतान	13,605	31,421	69,685	84,024	95,704	1,02,675	13.9	7.3
	(1.7)	(2.0)	(2.7)	(2.4)	(2.3)	(2.2)		
2. पूंजी व्यय	24,261	39,625	96,547	1,23,648	1,50,951	1,71,859	22.1	13.9
जिसमें से:	(3.2)	(2.5)	(3.6)	(3.5)	(3.7)	(3.7)		
पूंजी परिव्यय	11,893	21,044	41,856	77,559	1,04,942	1,18,796	35.3	13.2
	(1.5)	(1.4)	(1.6)	(2.2)	(2.5)	(2.6)		
3. विकासात्मक व्यय	81,989	1,45,852	2,39,576	3,30,044	4,19,050	4,67,696	27.0	11.6
	(10.8)	(9.4)	(9.4)	(9.3)	(10.2)	(10.1)		
4. विकासेतर व्यय	33,734	76,035	1,50,715	1,90,021	2,24,475	2,46,130	18.1	9.6
	(4.3)	(4.8)	(5.9)	(5.3)	(5.4)	(5.3)		
5. अन्य*	6,547	11,554	47,009	41,617	44,421	52,794	6.7	18.8
	(0.9)	(0.7)	(1.7)	(1.2)	(1.1)	(1.1)		

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

* : इसमें केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान एवं योगदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन) शामिल है ।

टिप्पणी : 1. सघउ का 5 वर्ष का औसत विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं । पूर्णांकन के कारण जोड़ नहीं मिलेगा।
3. पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखें शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट IV की टिप्पणियां भी देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

के व्यय के अनुपात के 35.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 9)। जीडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय पिछले वर्ष की तरह 2007-08 में 5.9 प्रतिशत पर रखा जाएगा।

चार्ट 5 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय

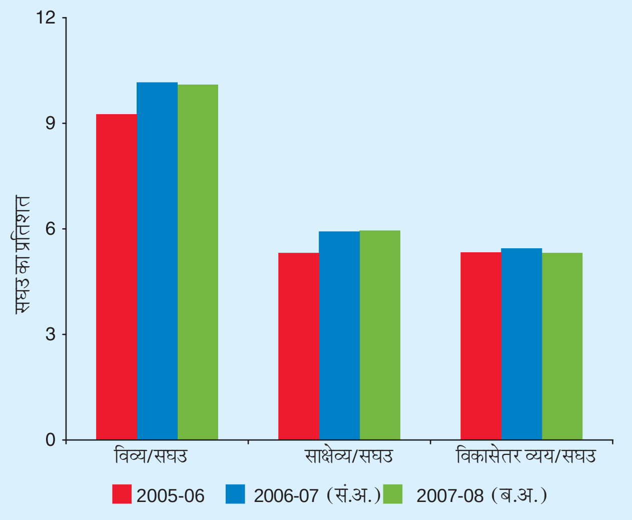

विव्य : विकासात्मक व्यय साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र व्यय
विकासेतर व्यय : विकासेतर व्यय

चार्ट 6 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां (साक्षेव्य)

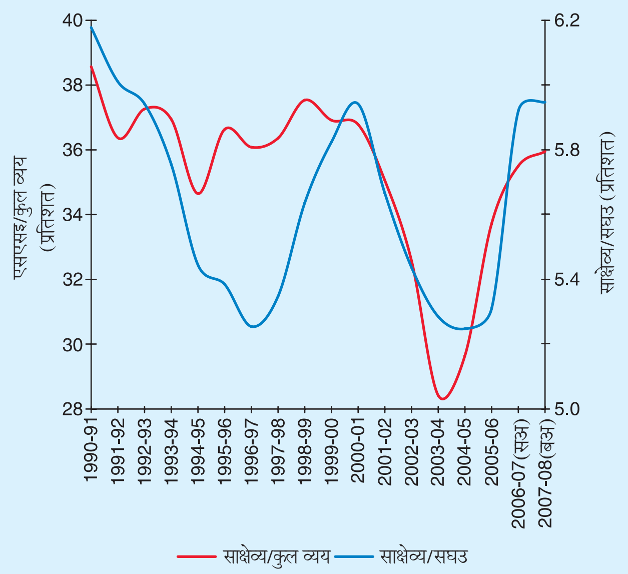

सारणी 9 : राज्य सरकार के कुल सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

मद	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
कुल व्यय/सघउ	16.0	15.0	17.1	15.7	16.7	16.5
साक्षेव्य/सघउ	5.9	5.5	5.5	5.3	5.9	5.9
साक्षेव्य/कुल व्यय	36.8	36.7	32.5	33.7	35.5	35.9

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान।
औ. : औसत साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र के व्यय
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

1990-91 से 2004-05 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना के अनुसार, राजस्व व्यय, पूँजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम क्रमशः 93.3 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत थे। हाल के वर्षों में पूँजी व्यय के हिस्से में, जिसमें सामाजिक क्षेत्र के सकल व्यय के पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं, कुछ सुधार हुआ है (सारणी 10)। फिर भी, सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए राज्यों के प्रत्यक्ष व्यय (अर्थात पूंजी परिव्यय) राज्य सरकारों के सामाजिक क्षेत्र के सकल व्ययों का एक छोटा हिस्सा है। सामाजिक सेवाओं का व्यय (बारह उप शीर्षों को शामिल करते

सारणी 10 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां

(एसएसई का प्रतिशत)

मद	राजस्व व्यय	पूंजी परिव्यय	ऋण तथा अग्रिम	जोड़ (2+3+4)
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)				
सामाजिक सेवाएं	78.9	3.8	2.4	85.1
ग्रामीण विकास	13.6	0.4	0.0	14.0
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.1	0.0	0.9
जोड़	**93.3**	**4.3**	**2.4**	**100.0**
1995-96 से 1999-00 (औसत)				
सामाजिक सेवाएं	82.2	4.0	2.0	88.2
ग्रामीण विकास	10.2	0.4	0.0	10.6
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1.1	0.1	0.1	1.2
जोड़	**93.4**	**4.5**	**2.1**	**100.0**
2000-01 से 2004-05 (औसत)				
सामाजिक सेवाएं	80.8	5.5	2.0	88.3
ग्रामीण विकास	8.7	1.6	0.0	10.2
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.5	0.1	1.4
जोड़	**90.3**	**7.6**	**2.1**	**100.0**
2005-06				
सामाजिक सेवाएं	78.7	7.5	1.1	87.2
ग्रामीण विकास	9.3	2.1	0.0	11.4
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.9	0.1	0.4	1.1
जोड़	**88.9**	**9.7**	**1.5**	**100.0**
2006-07 (सं.अ.)				
सामाजिक सेवाएं	77.4	8.4	1.4	87.2
ग्रामीण विकास	9.1	2.4	0.0	11.5
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.3	0.3	1.3
जोड़	**87.2**	**11.1**	**1.8**	**100.0**
2007-08 (ब.अ.)				
सामाजिक सेवाएं	76.6	8.5	2.6	87.7
ग्रामीण विकास	9.0	2.3	0.0	11.3
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.5	0.1	0.4	1.0
जोड़	**86.1**	**10.9**	**3.0**	**100.0**

एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान।
टिप्पणी : आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण जोड़ मेल नहीं मिलेगा।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 11 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) - संयोजन

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95 (औ.)	1996-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (क से ठ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	52.2	52.4	51.4	48.2	45.8	44.1
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.7	11.3
(ग) परिवार कल्याण	0.0	2.5	2.0	1.7	1.7	1.6
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.3	7.5	7.7	8.2	7.7	7.6
(ड) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	3.0	4.6
(च) शहरी विकास	2.3	2.6	3.7	4.2	6.4	8.1
(छ) अनुजा, अनुजजा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	7.3	7.4
(ज) श्रम एवं श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1
(झ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.6	7.1
(त्र) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.4	2.5	2.4
(ट) प्राकृतिक आपदा पर व्यय	2.6	2.9	3.8	5.2	3.8	2.1
(ठ) अन्य	2.5	2.0	2.1	2.3	2.7	2.6

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

हुए) सामाजिक क्षेत्र के व्यय का प्रमुख घटक है, इसके पश्चात ग्रामीण विकास और खाद्य भण्डारण और गोदाम भण्डारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के हिस्से में, जो 1990-91 से 2004-05 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राज्यों के व्यय का क्रमशः 52.2 प्रतिशत और 16.0 प्रतिशत था, गिरती प्रवृत्ति दिखी है। दूसरी तरफ, आवास, शहरी विकास और सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण जैसी सेवाओं पर व्यय के हिस्से में वृद्धि दिखी है (सारणी 11 और परिशिष्ट सारणी 16 और 17)। सामाजिक क्षेत्र के व्यय की राज्य-वार तस्वीर विवरण 47 और 48 में प्रस्तुत की गई है।

IV.3.7.2 मजदूरी और वेतन तथा परिचालनों और रख-रखाव पर व्यय

मजदूरी और वेतन तथा परिचालन और रखरखाव के भी आंकड़े सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त होने के पश्चात उक्त आंकड़ों को मिलाने का प्रयास किया गया है (सारणी 12)।

परिचालन और अनुरक्षण पर व्यय की सीमा सरकार की पूँजी आस्तियों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। बारहवें वित्त आयोग ने इस सीमा को बढ़ाने पर जोर दिया था और इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुदानों की भी सिफारिश की है। कुल राजस्व व्यय में परिचालन और रखरखाव व्यय के अनुपात में, कुल मिलाकर, वर्षों के दौरान धीरे-धीरे गिरावट दिखी (विवरण 45)। दूसरी तरफ, राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का हिस्सा 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बढ़ा, लेकिन 2000-01 के 39.1 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से 2006-07 (सं.अ.) में 27.8 प्रतिशत गिरा (विवरण 44)। कुल राजस्व में मजदूरी और वेतन का एक बड़ा हिस्सा (एक-चौथाई से अधिक) राजस्व व्यय में अंतर्निहित निम्नमुखी कड़ाई का एक प्रमुख कारक है। जीडीपी और राजस्व व्यय दोनों के अनुपात के रूप में, मजदूरी और वेतन पर व्यय हाल के वर्षों में स्थिर हुआ है। राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में मजदूरी और वेतन पर व्यय तथा पेंशन दायित्वों को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए हैं।

इस संदर्भ में यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढाँचे के पुनरीक्षण के लिए अक्तूबर 2006 में छठवां वेतन आयोग गठित किया है, यह आयोग अपने गठन के 18 महीनों के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जैसाकि पूर्व के वेतन आयोगों के साथ

सारणी 12 : राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव

वर्ष	मजदूरी और वेतन			परिचालन एवं रखरखाव		
	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.1
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,673	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	58,282	34.4	3.8	14,872	9.5	1.0
1998-99	71,234	35.6	4.1	17,710	9.6	1.0
1999-00	86,285	36.4	4.4	17,522	8.2	0.9
2000-01	94,507	39.1	4.5	19,529	8.1	0.9
2001-02	93,008	36.3	4.1	19,591	7.6	0.9
2002-03	94,717	35.1	3.9	22,438	8.3	0.9
2003-04	98,741	32.0	3.6	25,464	8.3	0.9
2004-05	1,03,924	31.1	3.3	29,163	8.8	0.9
2005-06	1,04,158	29.1	2.9	33,976	9.5	1.0
2006-07 (सं.अ.)	1,23,270	27.8	3.0	42,081	9.5	1.0
2007-08 (ब.अ.)	1,30,483	29.4	2.8	44,418	10.0	1.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान। ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. विवरण 44 और 45 में राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत है । प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या भिन्न है।
2. राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े (स्तंभ 3 और 6) उस वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

अनुभव किया गया है, राज्य सरकारों ने, कुल मिलाकर, अपने कर्मचारियों के वेतन ढाँचे को सुधारने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने वेतन आयोग गठित किए हैं। विचारार्थ विषय में, अन्य बातों के साथ-साथ, सलाह दी गई है कि यदि राज्यों द्वारा सिफारिशों को मान लिया गया है तो राजकोषीय विवेकशीलता और राज्य वित्तों पर हुए संभावित प्रभाव पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह उल्लेख करना भी सामयिक (जैसाकि बारहवें वित्त आयोग ने नोट किया है) होगा कि राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के पश्चात, राज्य वित्तों में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में गिरावट महसूस की गई। इसलिए राज्यों को अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारी क्षमता, जनसंख्या के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए अपेक्षित संपूरक व्यय पर समुचित विचार करने के पश्चात, वेतन से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

IV.3.8 राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को बनाने के संदर्भ में, योजना आयोग ने राज्यों के संसाधनों पर एक कार्य दल बनाया है। ग्यारहवीं योजना के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सकल योजना संसाधनों के दसवीं योजना के तदनुरूपी आंकड़ों के 2.4 गुना होने का आकलन किया गया है (बॉक्स 5)। 2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों का सकल अनुमोदित परिव्यय 2,25,642 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष के 31.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 26.0 प्रतिशत कम वृद्धि दर्ज कर रहा है। राज्य सरकारों के योजना परिव्ययों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण 30 में दिया गया है।

बॉक्स 5: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए राज्यों के संसाधनों पर बने कार्यदल की रिपोर्ट

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए वित्तीय संसाधनों (योजना आयोग) पर बनी संचालक समिति ने डॉ. ई.ए.एस.शर्मा की अध्यक्षता में ग्यारहवीं योजना के लिए राज्यों के संसाधनों की प्रवृत्तियों और अनुमानों का परीक्षण करने के लिए जनवरी 2006 में एक कार्यदल बनाया। कार्यदल ने विस्तार से कर संसाधनों, करेतर संसाधनों और व्ययों का विश्लेषण करने के लिए तीन उप समूह गठित किए थे। राज्यों के संसाधनों पर बने कार्यदल ने जुलाई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्यदल ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना व्यय के वित्तीयन के लिए अपेक्षित सकल योजना संसाधनों का अनुमान लगाया है, जिसे योजनेतर व्यय को घटाकर (योजनेतर राजस्व व्यय और योजनेतर पूंजी व्यय शामिल है) को घटाकर सकल प्राप्तियों के रूप में (योजना अनुदानों को छोड़कर वर्तमान राजस्व, गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां और निवल उधार शामिल हैं) परिभाषित किया गया है। योजना अनुदानों को छोड़कर वर्तमान राजस्व और योजनेतर राजस्व व्यय के बीच अंतर चालू राजस्व के शेष को बतलाता है।

जीएसडीपी से संबंधित कार्य समूह की मान्यताओं और राजस्व तथा व्यय दोनों पक्षों में सकल योजना संसाधनों के विभिन्न घटकों के आधार पर, ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सकल संसाधनों के 14,09,160 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार ग्यारहवीं योजना के लिए सकल योजना संसाधनों के, दसवीं योजना के तदनुरूपी आंकड़े से, 2.4 गुना होने का अनुमान लगाया गया है। इस वृद्धि में सहयोग करने वाला प्रमुख कारक राज्यों के अपने संसाधनों में समग्र सुधार है, जिसने राज्यों के चालू राजस्व के शेष में अपेक्षित महत्वपूर्ण सुधार में मुख्य रूप से योगदान किया। ग्यारहवीं योजना के लिए सकल संसाधनों के अनुमानों के ब्यौरे सारणी में दिए गए हैं।

समूह ने राज्यों के ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के वित्तीयन के संदर्भ में विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की। इन पर नीचे चर्चा की गई है :

1. रिपोर्ट में राज्य स्तर पर और अधिक राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया है क्योंकि राज्यों को भविष्य में बाजार से और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी।
2. योजना व्यय के वित्तीयन की वर्तमान प्रणाली, जब उधार का राज्य की ऋण समर्थता और निधियों के अंतिम प्रयोग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, कई राज्यों के राजकोषीय दबाव के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार है।
3. वर्षों के दौरान योजना व्यय की गुणवत्ता में मजदूरी और वेतन के अधिक हिस्से के कारण गिरावट आई है। इसलिए राजकोषीय स्वस्थता और उधार की योग्यता के बीच समुचित संबंध स्थापित करना आवश्यक है।
4. राज्य के कुल उधारों को ऋण (जीएसडीपी के सापेक्ष्य में) और राजकोषीय घाटे की वांछित सीमाएं तय करके नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इन सीमाओं को वृद्धि दर, ब्याज दर, जीएसडीपी की तुलना में वर्तमान ऋण अनुपात और एक वांछित सीमा तक राजस्व प्राप्तियों के सापेक्षिक ब्याज भुगतानों को सीमित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे अनिवार्य सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वित्तीयन के लिए पर्याप्त वर्तमान संसाधन उपलब्ध हो सकें। इन सीमाओं को राज्यों द्वारा स्वयं-निर्धारित और स्वयं पर लागू करना चाहिए और आकस्मिक देयताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
5. कार्य दल की राय में, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बनी ऋण परिषद की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हरेक राज्य के मामले में, राज्य स्तर के ऋण की वहनीयता का निरंतर आधार पर विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय द्वारा परीक्षण किया जाए। इससे राज्यों के लिए उधार सीमा निश्चित करने वाली प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शिता मिलेगी। इसके अलावा, यह विचार है कि वित्त मंत्रालय प्रति वर्ष वैश्विक उधार की सीमा निर्धारित करे और राज्यों को ऋण जुटाने के पैटर्न निर्धारित करने की अनुमति दे।
6. आगामी वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात की सीमाओं में संभावित कटौती को देखते हुए, राज्यों को गैर-एसएलआर स्रोतों से उधार लेना होगा, जिस पर और अधिक ब्याज देना होगा। इस मुद्दे को सावधानी पूर्वक वित्त मंत्रालय द्वारा देखे जाने और कर मुक्त गैर-एसएलआर बांड निर्गम करके राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
7. यद्यपि जीडीपी/जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का सहयोग बढ़ रहा है, राज्य इससे राजस्व उगाहने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि संबंधित सांविधिक प्रावधान राज्यों को सेवाओं पर कर लगाने की अनुमति नहीं देते हैं। कार्यदल ने महसूस किया है कि योजना आयोग/वित्त मंत्रालय राज्यों को इस बात के लिए मनाने पर विचार करें कि वे स्वयं के द्वारा किए गए समुचित सांविधिक परिवर्तनों से सामान्य माल और सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ें।
8. रिपोर्ट में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रसार की बात कही गई है, जिससे राज्यों के लिए निधियों का अंतरण फार्मूला आधारित होने के बजाय विवेकाधीन अधिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृत्ति के राजकोषीय संघवाद के हित में उलट दिए जाने की आवश्यकता है। कार्यदल ने महसूस किया है कि केंद्रीय योजना सहायता के समग्र वितरण की प्रक्रिया को सामान्य रूप से पारदर्शी और फार्मूलायुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय को अधिक भार देकर अंतरण में अंतर-राज्य इक्विटी को सुधारने के लिए गाडगिल मुखर्जी फार्मूला को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
9. योजना और योजनेतर में व्यय के वर्तमान वर्गीकरण ने संसाधनों के आबंटन को विकृत कर दिया है, ऐसी विकृति योजनाओं का आकार बड़ा रखने और उत्तरोत्तर बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करने के प्रयास के कारण आई है। कार्यदल की राय है कि इस अंतर को दूर किया जाए तथा इसके बजाय व्यय को सिर्फ विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

संदर्भ :

भारत सरकार (2007); राज्यों पर बने कार्यदल की रिपोर्ट, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए संसाधन (2007-2012), योजना आयोग, जुलाई।

सारणी: ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए संसाधन अनुमान -वर्तमान मूल्यों पर

(करोड़ रुपए)

मद	विशेष वर्ग के राज्य	गैर-विशेष वर्ग के राज्य	कुल	कुल राज्य संशाप्र #
1	2	3	4	5
सकल योजना संसाधन (1 से 4)	**1,37,913**	**11,87,639**	**13,25,552**	**14,09,160**
1. बीसीआर	**-31,216**	**4,23,146**	**3,91,930**	**4,41,742**
जिसमें से:				
क) स्वकर राजस्व	71,196	18,29,885	19,01,082	19,85,801
ख) करेतर राजस्व	38,733	3,23,161	3,61,894	3,73,617
ग) केंद्रीय करों में हिस्सा	81,946	9,36,635	10,18,581	10,22,231
घ) योजनेतर अनुदान	58,090	75,679	1,33,770	1,36,392
ङ) योजनेतर राजस्व व्यय	2,81,182	27,42,214	30,23,396	30,75,897
2. केंद्रीय सहायता	**1,27,741**	**74,453**	**2,02,194**	**2,20,382**
3. योजना अनुदान	**1,526**	**9,131**	**10,656**	**11,584**
4. निवल उधार	**39,862**	**6,80,909**	**7,20,772**	**7,35,453**

: संघ शासित प्रदेश में विधायन के सहित और रहित दोनों शामिल हैं।

सारणी 13 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष		प्राथमिक घाटा	
1		2		3		4		5
1999-00	54,548	(2.8)	90,099	(4.6)	9,907	(0.5)	45,458	(2.3)
2000-01	55,316	(2.6)	87,923	(4.2)	4,331	(0.2)	36,937	(1.8)
2001-02	60,398	(2.6)	94,260	(4.1)	-1,198	(-0.1)	32,665	(1.4)
2002-03	57,179	(2.3)	99,726	(4.1)	-11,848	(-0.5)	30,699	(1.2)
2003-04	63,407	(2.3)	1,20,631	(4.4)	-16,989	(-0.6)	40,235	(1.5)
(पावर बांडों का निवल)			94,086	(3.4)				
2004-05	39,158	(1.3)	1,07,774	(3.4)	-47,263	(-1.5)	21,353	(0.7)
2005-06	7,013	(0.2)	90,084	(2.5)	-77,011	(-2.2)	6,060	(0.2)
2006-07 (सं.अ.)	5,566	(0.1)	1,13,913	(2.8)	-90,139	(-2.2)	18,209	(0.4)
2007-08 (ब.अ.)	-11,973	(-0.3)	1,08,323	(2.3)	-1,14,648	(-2.5)	5,648	(0.1)

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान। ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

2. राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत 2003-04 के दौरान सीपीएसयू को 28,984 करोड़ रुपए के पावर बांड जारी किए हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4 मूल्यांकन

IV.4.1 समेकित स्थिति

सारणी 13 और चार्ट 7 में दिए गए प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति 1990 के दशक के उत्तरार्ध से क्रमिक गिरावट दर्जा करने के पश्चात, हाल के वर्षों में दिखे महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है (परिशिष्ट सारणी 1 भी देखें)।

राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए, राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान जीएफडी - जीडीपी अनुपात में 2.3 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट) की कटौती का अनुमान लगाया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में 2005-06 (खाते) की तुलना में 2006-07 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखी, ऐसा राजस्व घाटे में गिरावट के बावजूद पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण हुआ। 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे में बजट में अनुमानित सुधार राजस्व खाते में परिकल्पित टर्नअराउंड पर आधारित है, जिसमें जीडीपी के 0.3 प्रतिशत का अधिशेष दिखाने का बजट अनुमान लगाया गया है (पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत अंक का सुधार)। पीडी-जीडीपी अनुपात के पिछले वर्ष के 0.4 प्रतिशत से गिरकर 0.1 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है। पूँजी परिव्यय- जीडीपी अनुपात पूर्ववर्ती वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकारों ने दो दशक के पश्चात राजस्व खाते में समेकित अधिशेष का बजट अनुमान लगाया है।

IV.4.2 घाटे में राज्य-वार सुधार

समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, राज्यों के बीच व्यापक अंतर है। 2007-08 के दौरान बीस राज्यों ने राजस्व अधिशेष बजट प्रस्तुत किए हैं। तथापि, पन्द्रह राज्यों ने और

चार्ट 7 : प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

अधिक सकल राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान लगाया है। केवल कुछ राज्यों में परिकल्पित समग्र सुधार का अधिकांश हिस्सा दिखा। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का 2007-08 के दौरान राजस्व खाते में सुधार 85 प्रतिशत और जीएफडी में सुधार 73 प्रतिशत होगा।

बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने राजस्व शेष में क्रमशः 4,236 करोड़ रुपए, 3,703 करोड़ रुपए, 2,787 करोड़ रुपए और 1,802 करोड़ रुपए का सुधार प्रस्तावित किया है। असम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड जैसे विशेष वर्ग के राज्यों के बीच क्रमशः 1,528 करोड़ रुपए, 875 करोड़ रुपए और 586 करोड़ रुपए के सुधार का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, राज्यों के समेकित राजस्व शेष में सुधार काफी हद तक ऊपर उल्लिखित राज्यों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर होगा (सारणी 14)।

इसके अलावा, महाराष्ट्र और बिहार ने 2007-08 के दौरान अपने सकल राजकोषीय घाटे में क्रमशः 4,462 करोड़ रुपए और 3,738 करोड़ रुपए के सुधार की कल्पना की है, ये दोनों मिलकर सभी राज्यों के द्वारा प्रस्तावित कुल जीएफडी सुधार की तुलना में अधिक हैं। गैर विशेष वर्ग के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (1,395 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (1,186 करोड़ रुपए), हरियाणा (992 करोड़ रुपए) और कर्नाटक (933 करोड़ रुपए) ने 2006-07(सं.अ.) की तुलना में 2007-08 के दौरान और अधिक सकल राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान लगाया है। असम (1,583 करोड़ रुपए) और उत्तराखंड (417 करोड़ रुपए) जैसे विशेष वर्ग के राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में कम सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया है, जबकि जम्मू और कश्मीर (576 करोड़ रुपए), हिमाचल प्रदेश (246 करोड़ रुपए) और त्रिपुरा (203 करोड़ रुपए) ने सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि प्रस्तावित की है। 2007-08 के दौरान राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा सुधार गैर-विशेष वर्ग में महाराष्ट्र और बिहार तथा विशेष वर्ग में असम के राजकोषीय कार्य निष्पादन पर काफी हद तक निर्भर होगा।

सारणी 14: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार - 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 (ब.अ.)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2006-07 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल का प्रतिशत	2006-07 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	-17	0.1	717	-17.5
2. बिहार	-4,236	28.2	-3,738	91.5
3. छत्तीसगढ़	-123	0.8	139	-3.4
4. गोवा	-27	0.2	35	-0.9
5. गुजरात	152	-1.0	-171	4.2
6. हरियाणा	-1,802	12.0	992	-24.3
7. झारखंड	-583	3.9	-788	19.3
8. कर्नाटक	1,205	-8.0	933	-22.8
9. केरल	-665	4.4	-906	22.2
10. मध्य प्रदेश	-243	1.6	121	-3.0
11. महाराष्ट्र	-3,703	24.7	-4,462	109.2
12. उड़ीसा	-298	2.0	104	-2.5
13. पंजाब	-351	2.3	389	-9.5
14. राजस्थान	-118	0.8	319	-7.8
15. तमिलनाडु	-145	1.0	1,186	-29.0
16. उत्तर प्रदेश	-2,787	18.6	1,395	-34.1
17. पश्चिम बंगाल	-1,252	8.3	-352	8.6
कुल (क)	**-14,994**	**100.0**	**-4,086**	**100.0**
ख. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	258	-10.1	-118	7.8
2. असम	-1,528	60.0	-1,583	105.3
3. हिमाचल प्रदेश	196	-7.7	246	-16.4
4. जम्मू और कश्मीर	-875	34.4	576	-38.3
5. मणिपुर	372	-14.6	-122	8.1
6. मेघालय	-170	6.7	-3	0.2
7. मिजोरम	14	-0.5	-175	11.6
8. नागालैंड	-199	7.8	-157	10.4
9. सिक्किम	65	-2.5	46	-3.1
10. त्रिपुरा	-92	3.6	203	-13.5
11. उत्तराखंड	-586	23.0	-417	27.7
कुल (ख)	**-2,544**	**100.0**	**-1,504**	**100.0**
कुल योग (क + ख)	**-17,539**	**100.0**	**-5,590**	**100.0**
ज्ञापन मदें :				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1,049	–	938	–
2. पुदुचेरी	55	–	269	–

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।
– : लागू नहीं.
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4.3 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तीयन

सभी राज्य सरकारों के अपने बजट दस्तावेजों के आधार पर समेकित सकल राजकोषीय घाटे के वियोजन से स्पष्ट है कि राजस्व खाते का अधिशेष 2007-08 में पूँजी व्यय का वित्तपोषण करेगा, जबकि राजस्व घाटा पिछले वर्ष में सकल राजस्व घाटे का 4.9 प्रतिशत था। तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटे में पूँजी परिव्यय का हिस्सा वर्ष के दौरान 92.1 प्रतिशत से बढ़कर 109.7 प्रतिशत हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 18)। एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियाँ सकल राजकोषीय

बॉक्स 6: राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा

हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए जारी प्रतिभूतियां प्रबल स्रोत के रूप में उभरी हैं, जो राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटा वित्तपोषण का दो-तिहाई हैं। 1999 में स्थापित, एनएसएसएफ केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अप्रैल 1999 और मार्च 2000 के बीच, एनएसएसएफ के निवल लघु बचत संग्रहों को राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में 75:25 के अनुपात में निवेश किया जाता था जिसे 2000-01 में संशोधित कर 80:20 कर दिया गया। 2002-03 से 2006-07 तक एनएसएसएफ में जमा संपूर्ण निवल संग्रह को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के विरुद्ध राज्यों को अंतरित कर दिया जाता था। इन प्रतिभूतियों की 25 वर्ष की अवधि होती है जिसमें पुनर्भुगतान पर प्रारंभिक पाँच वर्षों का स्थगन होता है। राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज दर को धीरे-धीरे घटाकर 1999-2000 में 13.5 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत, एनएसएसएफ के विरुद्ध राज्यों के ऋण बकायों पर बनी राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, 2007-08 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया कि एनएसएसएफ में राज्यों के हिस्से को घटाकर निवल संग्रहों का 80 प्रतिशत कर दिया जाए, जिसके साथ यह विकल्प रखा गया कि राज्य अपने निवल संग्रहों का 100 प्रतिशत ले सकते हैं। इसके अलावा, 1999-2000 से 2002-03 तक राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज दर को 1 अप्रैल 2007 से 10.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्यों से अपेक्षा है कि वे 2002-03 से 2004-05 के दौरान ऋण स्वैप योजना के अन्तर्गत केंद्र के प्रति अपनी उच्च लागत वाली देयताओं का पुनर्भुगतान करने के लिए एनएसएसएफ के प्रवाहों के एक भाग (पहले वर्ष 20 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 30 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 40 प्रतिशत) का उपयोग करें। ऋण स्वैप योजना को समाप्त किए जाने से, राज्य 2005-06 से संपूर्ण लघु बचत संग्रह का उपयोग कर सकते हैं, जबकि 2004-05 में केवल 60 प्रतिशत का उपयोग कर सकते थे। 1 अप्रैल 2007 को संग्रहों के विरुद्ध राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश 4,49,892 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

1999-2002 के दौरान (राज्य सरकारों के लिए 75/80 प्रतिशत हिस्सा) एनएसएसएफ ने औसतन, राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के लगभग 34 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। 2002-03 से राज्य सरकारों के हिस्से में 100 प्रतिशत वृद्धि से, एनएसएसएफ के प्रवाहों ने, औसतन, 2002-07 की अवधि के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के 53 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। 1 अप्रैल 2007 से हिस्से में 80 प्रतिशत तक कटौती के फलस्वरूप, एनएसएसएफ के द्वारा राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के 48.8 प्रतिशत को वित्तपोषित करने का अनुमान लगाया गया है।

एनएसएसएफ निधियों का एक स्वायत्त जोखिम है क्योंकि राज्य सरकारें इन उधारों का परिमाण अथवा लागत निर्धारित नहीं कर सकती हैं। परिणामस्वरूप, कई राज्य सरकारों के पास अपनी वित्तीयन आवश्यकताओं से अधिक निधियां इकट्ठी हो गईं। राज्य सरकारों के पास एनएसएसएफ निधियों का संचयन हाल के अतीत में निरंतर आधार पर नकदी अधिशेष के उच्च स्तर को बनाए रखने में दिखता है।

2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ से 53,679 करोड़ रुपए के अन्तर्वाह का अनुमान लगाया है जबकि केन्द्रीय बजट में 46,990 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। छोटी बचतों में निवेश वर्ग पर पाबंदी और पाँच वर्ष व उससे अधिक परिपक्वता वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाओं में किए गए निवेश के लिए आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के अन्तर्गत आयकर में छूट देने के कारण सावधि जमाओं की ओर रुझान ने राज्य सरकारों के लिए एनएसएसएफ से अन्तर्प्रवाह को 2005-06 के दौरान 73,815 करोड़ रुपए के शीर्ष स्तर से घटा दिया है।

संदर्भ :

1. भारत सरकार (2007), 'केंद्रीय बजट 2007-08', फरवरी।
2. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (2007), वार्षिक रिपोर्ट 2006-07, अगस्त

घाटे की प्रमुख वित्तीयन की मदें बनी रहेंगी, यद्यपि हाल के रुझान के अनुसार निवल संग्रहों में प्रत्याशित गिरावट और एनएसएसएफ से उधार लेने के लिए राज्यों के न्यूनतम दायित्व को 100 प्रतिशत से उनके निवल संग्रहों के 80 प्रतिशत तक कम करने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णय के कारण इसके हिस्से में गिरावट आएगी (बाक्स 6)। तदनुरूपी तौर पर सकल राजस्व घाटे के बड़े हिस्से, पिछले वर्ष के 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 24.3 प्रतिशत, का वित्तपोषण बाजार उधारों द्वारा किया जाएगा (सारणी 15) (परिशिष्ट सारणी 19 और 20)।

IV.4.4 बजट के आंकड़ों में अंतर - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट

पिछले तीन वर्षों के राज्य बजटों के साथ केंद्रीय बजट का अवलोकन करने से पता चलता है कि राज्यों ने सामान्यतया केंद्र से अनुदान सहायता का अधिक अनुमान लगाया है जबकि राज्य बजटों में बँटवारे योग्य केंद्रीय करों की राशि का कम अनुमान लगाया गया है। जहाँ तक, सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन का संबंध है, एनएसएसएफ के प्रवाहों का, जिनका राज्य बजटों में सामान्यतया कम आकलन किया गया है, 2007-08 के दौरान राज्य बजटों में अधिक अनुमान लगाया गया है। केंद्र के ऋणों का राज्य बजटों में सामान्यतया अधिक आकलन किया गया है। बजट के इन शीर्षों के लिए राज्य बजट और केंद्रीय बजट के अनुसार बजट अनुमानों के आंकड़ों के अंतर सारणी 16 में दिए गए हैं।

2007-08 के राज्य बजटों में केंद्र के 6,267 करोड़ रुपए के बँटवारे योग्य करों के कम आकलन और 17,737 करोड़ रुपए अनुदान के अधिक आकलन को देखते हुए, राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकारों के बजट अनुमानों से भिन्न होंगी। इसलिए, राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा राज्य सरकारों के बजट अनुमानों से थोड़ा अधिक होगा।

सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में, 2007-08 के राज्य बजटों में केंद्र से ऋण और अग्रिम दोनों तथा एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों पर ऋण को क्रमशः 3,501 करोड़ रुपए और

सारणी 15 : सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण - 2005-06 (लेखा) से 2007-08 (ब.अ.) तक

(जीएफडी के प्रति प्रतिशत)

मद	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4
विखंडन (1+2+3-4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. सकल राजकोषीय घाटा	7.8	4.9	-11.1
2. पूंजी परिव्यय	86.1	92.1	109.7
3. निवल उधार	6.1	5.7	10.7
4. ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	0.0	2.7	9.3
वित्तपोषण (1 से 11)			
1. बाजार उधार	17.0	16.8	24.3
2. केंद्र से ऋण	0.0	1.8	6.0
3. अल्प बचत / राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियां	81.9	51.5	49.6
4. एल आइ सी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	4.5	5.6	6.8
5. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	11.6	9.6	11.4
6. आरक्षित निधि	5.8	4.2	3.9
7. जमाराशि और अग्रिम	8.1	1.6	1.4
8. उचंत और विविध	8.8	0.0	-1.3
9. विप्रेषण	0.1	0.3	0.0
10. अन्य	0.0	-2.8	-0.9
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-37.7	11.6	-1.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 की टिप्पणियां देखें ।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति व अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

6,689 करोड़ रुपए अधिक आकलित किया गया है। इस प्रकार, सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन पैटर्न केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य सरकारों के बजट शीर्षों के अधिक आकलन/कम आकलन के कारण सही नहीं हो पाता है।

कहा जा सकता है कि 2007-08 के राज्य सरकारों के बजटों में, उनके राजस्व आधिक्य की समेकित स्थिति का 11,973 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) अनुमान लगाया गया है, जबकि सकल राजकोषीय घाटे का 1,08,323 करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.3 प्रतिशत) अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2007-08 के साथ राज्य बजटों का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि अनुदान सहायता के 17.8 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बँटवारे योग्य केंद्रीय करों के 4.4 प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2007-08 के आंकड़ों के समायोजन पर, राज्य सरकारों का राजस्व आधिक्य 503 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.01 प्रतिशत) कम होगा। इसी प्रकार, सकल राजकोषीय घाटा 1,19,793 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.01 प्रतिशत) पर अधिक होगा। केंद्र के ऋणों के आंकड़ों और केंद्रीय बजट 2007-08 पर आधारित एनएसएसएफ के प्रवाहों और बाजार उधारों के आबंटनों (रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के समेकित वित्तीय पैटर्न सारणी 17 में दिये गए हैं। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन से एनएसएसएफ से प्रवाह, बाजार उधार और केंद्र के ऋणों में गिरावट आएगी।

सारणी 16 : बज़ट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बज़ट और केंद्रीय बज़ट

(राशि करोड़ रुपए में)

मदें	2005-06 (ब.अ.)			2006-07 (ब.अ.)			2007-08 (ब.अ.)		
	राज्य बज़ट	केंद्रीय बज़ट	अंतर*	राज्य बज़ट	केंद्रीय बज़ट	अंतर*	राज्य बज़ट	केंद्रीय बज़ट	अंतर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र से मिलनेवाले साझा कर	90,002	94,959	-4,957 (-5.2)	109,420	113,448	-4,028 (-3.6)	136,184	142,450	-6,267 (-4.4)
2. सहायता अनुदान	78,297	77,275	1,023 (1.3)	99,291	83,098	16,193 (19.5)	117,320	99,583	17,737 (17.8)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	17,507	-9,687	27,194 (280.7)	4,827	-2,507	7,334 (292.6)	6,485	2,984	3,501 (117.3)
4. एनएसएसएफ (निवल)	53,128	86,990	-33,862 (-38.9)	59,141	83,490	-24,349 (-29.2)	53,679	46,990	6,689 (14.2)

* : ऋणात्मक (-) /सकारात्मक (+) संकेत केंद्रीय बजट के अनुमानों की तुलना में राज्य बजटों में कम आकलन / अधिक आकलन बनाते हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

सारणी 17 : सकल राजकोषीय घाटे (सराघा) का वित्तपोषण - 2007-08 (समायोजित)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (ब.अ.)		घट बढ़	
	राज्य बजट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा (सराघा)	**1,08,323 (100.0)**	**1,19,793 (100.0)**	**11,470**	**10.6**
1. बाजार उधार*	26,307 (24.3)	34,436 (28.7)	8,129	30.9
2. केंद्र से ऋण @	6,485 (6.0)	2,984 (2.5)	-3,501	-54.0
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	53,679 (49.6)	46,990 (39.2)	-6,689	-12.5
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भा.स्टे. बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	7,386 (6.8)	7,386 (6.2)	–	–
5. अल्प बचत और भविष्य निधि आदि	12,396 (11.4)	12,396 (10.3)	–	–
6. आरक्षित निधि	4,235 (3.9)	4,235 (3.5)	–	–
7. जमाराशियां तथा अग्रिम	1,515 (1.4)	1,515 (1.3)	–	–
8. उचंत और विविध	-1,437 (-1.3)	-1,437 (-1.2)	–	–
9. विप्रेषण	-44 (0.0)	-44 (0.0)	–	–
10. अन्य	-973 (-0.9)	-973 (-0.8)	–	–
11. समग्र अधिशेष (-)/घाटा (+)	-1,225 (-1.1)	12,306 (10.3)	13,531	-1,104.4

* : वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत बंटन के अनुसार आंकड़े समायोजित।

@ : केंद्रीय बजट 2007-08 के अनुसार आंकड़े समायोजित। '–' : कुछ नहीं

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सराघा का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2.'अन्य' में क्षतिपूर्ति व अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज एवं रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

V. राज्य-वार राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन

हाल के वर्षों में, राज्य सरकारों की समेकित स्थिति में उल्लेखनीय राजकोषीय सुधार हुआ जैसा कि खंड IV में दिए गए विश्लेषण से स्पष्ट है। तथापि, राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रबल वायदे के बावजूद सभी राज्यों में राजकोषीय सुधार एक समान नहीं रहा है। इस खण्ड में 2006-07[4] के संशोधित अनुमानों पर आधारित राजकोषीय स्थिति के राज्य-वार मूल्यांकन दिए गए हैं क्योंकि बजट अनुमानों में सामान्यतया वास्तविक संशोधन हो जाता है।

यह विश्लेषण 15 राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है जिन्हें चार व्यापक समूहों अर्थात (क) घाटा संकेतक (ख) राजस्व कार्य निष्पादन (ग) व्यय पैटर्न और (घ) ऋण स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। राजकोषीय संकेतकों को सामान्यतया वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अर्थ में व्यक्त किया जाता है और इसके स्रोत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज भी हैं। हाल के वर्षों में, राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जहाँ वे अनुपलब्ध हैं, का पिछले तीन वर्ष की वृद्धि दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है। 2003-06 (औसत) और 2006-07 (संशोधित अनुमान) के इन राजकोषीय संकेतकों के राज्य-वार आंकड़े क्रमशः सारणी 18 और 19 में दिए गए हैं। विशेष और गैर-विशेष

[4] इस खण्ड में, 2005-06 (लेखा) के माध्यम से 2003-04 के वर्षत्रय के दौरान, औसतन, 2006-07 के संशोधित अनुमान की तुलना विद्यमान राजकोषीय स्थिति से की गई है।

वर्ग के राज्यों के मामले में, प्रत्येक राजकोषीय संकेतक की माध्यिका का स्तर भी इन सारणियों में दिया गया है। राज्यों (विशेष और गैर-विशेष राज्य) को इन संकेतकों, जैसे क्यू1, जो बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को दर्शाता है, पर आधारित उनके कार्य-निष्पादन के द्वारा समूहबद्ध किया गया है। प्रमुख राजकोषीय मानदंडों की विस्तृत राज्य-वार सूचना विचरण-1 से 48 में दी गई है। समग्र स्थिति के अनुसरण में, विशेष और गैर-विशेष वर्ग के राज्यों के लिए राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण अलग-अलग किया गया है। राज्यों के प्रत्येक वर्ग के मामले में, तुलनाएं समय (दी गई राज्य सरकार के लिए राजकोषीय संकेतक के स्तर में परिवर्तन) और स्थान (किसी राजकोषीय संकेतक

सारणी 18: राजकोषीय संकेतक - 2003-04 से 2005-06 (औसत)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरूप				ऋण स्थिति	
	सराघा/ सराघउ	राघा/ सराघउ	प्राघा/ सराघउ	पीआरबी/ सराघउ	राघा/ सराघा	राघा/ राप्रा	ओटीआर/ सराघउ	ओएनटीआर/ सराघउ	सीटी/ सराघउ	विकास/ सराघउ	विकासेतर/ सराघउ	एसएसई/ सराघउ	सीओ/ सराघउ	ऋण/ सराघउ	आइपी/ राप्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. गैर विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	3.9	1.0	0.5	-2.4	23.9	6.7	7.9	1.9	4.7	12.5	6.3	6.8	**2.8**	43.3	23.4
2. बिहार	5.4	0.0	-0.8	-6.1	-20.6	0.3	6.0	0.8	20.7	18.9	14.1	12.8	3.0	76.7	**22.4**
3. छत्तीसगढ़	3.2	-0.6	0.7	-3.2	-102.6	-2.3	8.0	2.9	6.9	14.8	5.6	9.1	3.1	29.4	14.8
4. गोवा	5.4	**1.0**	1.9	-2.5	**19.2**	5.5	9.0	7.5	2.5	17.1	**7.3**	8.0	4.4	45.3	18.7
5. गुजरात	4.4	1.6	1.2	-1.7	31.1	13.9	7.1	1.7	2.5	10.5	5.5	5.4	2.5	38.5	28.8
6. हरियाणा	1.9	-0.2	-0.6	-2.7	-131.4	-1.2	8.9	2.8	1.8	9.9	5.6	4.2	1.1	29.1	18.9
7. झारखंड	7.7	1.8	5.8	-0.1	17.8	10.7	5.8	2.9	9.0	18.1	7.3	11.9	4.4	30.5	10.9
8. कर्नाटक	2.7	-0.7	0.1	-3.2	-32.2	-3.8	10.5	2.5	4.2	12.7	6.6	6.6	3.0	29.9	14.9
9. केरल	**4.7**	3.5	1.2	0.0	74.6	26.3	8.7	0.8	3.6	10.0	7.9	6.7	0.7	42.3	26.6
10. मध्य प्रदेश	6.0	1.0	2.7	**-2.4**	11.3	**7.5**	7.6	2.6	7.3	16.5	7.1	7.5	4.5	**42.5**	19.2
11. महाराष्ट्र	4.8	2.0	2.5	-0.3	40.7	18.9	**7.9**	1.2	1.8	10.0	5.7	5.6	2.3	33.3	21.8
12. उड़ीसा	3.1	0.9	-2.5	-4.7	-32.0	5.3	7.0	2.2	10.6	**12.7**	10.6	8.1	1.7	62.9	28.2
13. पंजाब	4.4	3.1	0.2	-1.1	67.9	20.4	8.0	5.4	2.2	9.0	11.0	4.2	1.0	51.6	27.1
14. राजस्थान	5.5	1.9	1.1	-2.5	31.4	12.5	7.4	**2.0**	6.2	13.7	7.6	8.7	3.2	52.0	28.4
15. तमिलनाडु	2.4	0.1	0.0	-2.4	-15.4	1.1	10.2	1.2	3.6	10.5	6.4	**6.9**	2.2	30.2	16.7
16. उत्तर प्रदेश	5.7	4.0	1.3	-0.4	59.3	26.7	6.8	1.1	8.2	14.0	9.1	7.0	3.4	58.5	27.9
17. पश्चिम बंगाल	5.4	4.0	**0.8**	-0.6	75.1	42.5	4.7	0.5	**4.5**	7.6	7.5	4.8	0.7	48.2	48.3
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	11.4	-4.5	5.7	-10.1	-47.6	-7.0	1.9	6.2	54.0	54.9	18.6	25.3	15.8	78.0	9.1
2. असम	2.5	-0.3	-0.9	-3.6	162.5	-0.3	6.1	2.6	13.8	17.4	8.8	9.9	3.0	39.1	15.1
3. हिमाचल प्रदेश	8.5	4.8	0.7	-3.0	39.5	21.3	6.1	2.6	16.1	19.9	13.5	12.4	3.8	79.8	32.1
4. जम्मू और कश्मीर	3.9	-8.5	-1.8	-14.2	3,745.2	-18.1	6.7	2.8	37.8	32.6	18.6	15.2	12.2	77.9	**12.1**
5. मणिपुर	8.2	**-3.2**	2.4	**-9.1**	-51.4	**-6.3**	2.0	1.6	40.9	34.5	18.1	19.4	10.9	81.6	13.4
6. मेघालय	4.4	-0.7	**1.0**	-4.1	**-22.2**	-2.3	**4.0**	**2.6**	23.0	23.1	11.3	**13.6**	4.7	45.1	11.5
7. मिजोरम	11.4	-3.2	4.8	-9.7	-29.9	-5.7	1.5	3.0	50.5	48.2	19.0	24.7	14.0	105.6	11.8
8. नागालैंड	1.8	-5.6	-2.5	-9.9	69.7	-13.6	1.4	1.4	**35.2**	**23.3**	**16.5**	12.0	7.4	46.6	11.6
9. सिक्किम	**8.1**	-11.4	1.8	-17.7	-180.7	-10.3	8.0	53.8	49.8	54.8	65.0	29.9	19.5	**74.3**	5.8
10. त्रिपुरा	3.0	-4.5	-1.4	-8.8	-256.5	-13.7	3.1	1.8	27.0	21.8	12.7	13.3	**7.5**	58.8	13.8
11. उत्तराखंड	8.7	3.1	5.2	-0.4	33.9	15.2	7.0	2.5	11.3	19.8	9.1	11.3	5.1	48.1	17.0
सभी राज्य*	**3.4**	**1.2**	**0.8**	**-1.4**	**32.2**	**11.0**	**5.8**	**1.4**	**4.5**	**9.4**	**5.8**	**5.3**	**2.0**	**32.9**	**23.1**
ज्ञापन मदें :															
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.5	-3.3	-0.2	-5.0	496.1	-34.2	7.8	1.2	0.6	8.0	3.1	4.4	1.3	18.4	17.5
2. पुदुचेरी	4.9	-0.1	1.9	-3.1	-2.7	-0.4	8.4	9.0	14.2	29.4	7.2	14.0	5.1	33.3	9.5

राघा : राजस्व घाटा. सराघउ : सकल राज्य घरेलू उत्पाद सराघा : सकल राजकोषीय घाटा. प्राघा : प्राथमिक घाटा.
पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष. राप्रा : राजस्व प्राप्तियां ओटीआर : स्वाधिकृत कर राजस्व ओएनटीआर : स्वाधिकृत करेतर राजस्व
सीटी : चालू अंतरण विकास : विकासात्मक व्यय विकासेतर : विकासेतर व्यय एसएसई : सामाजिक क्षेत्र के व्यय
सीओ : पूंजी परिव्यय आईपी : ब्याज भुगतान

* : सभी राज्यों के राजकोषीय संकेतक, राघा/सराघा/राघा/राप्रा तथा आईजी/राप्रा छोड़कर जीडीपी के प्रतिशत हैं।

टिप्पणी : 1. ऋण (-) चिन्ह घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।
2. सुस्पष्ट (मोटे) आंकड़े प्रदत्त संकेतक के लिए माध्यिका राज्यों से संबंधित हैं।
3. माध्यिका राज्य राज्यों को चढ़ते/उतरते क्रम में लगाने के बाद संकेतक के रूप में अत्यधिक मध्य राज्य है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सारणी 19 : राजकोषीय संकेतक -2006-07 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरूप				ऋण स्थिति	
	सराघा/ सराघउ	राघा/ सराघउ	प्राघा/ सराघउ	पीआरबी/ सराघउ	राघा/ सराघा	राघा/ राप्रा	ओटीआर/ सराघउ	ओएनटीआर/ सराघउ	सीटी/ सराघउ	विकास/ सराघउ	विकासेतर / सराघउ	एसएसई/ सराघउ	सीओ/ सराघउ	ऋण/ सराघउ	आइपी/ राप्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. गैर विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	3.0	0.0	0.0	**-3.0**	0.7	0.1	9.6	**2.1**	5.4	15.3	6.1	8.0	3.9	42.1	17.7
2. बिहार	10.4	1.1	4.6	-4.7	10.9	3.3	6.8	0.5	27.1	29.2	15.7	18.7	8.7	73.3	16.9
3. छत्तीसगढ़	2.9	-3.4	0.7	-5.5	-117.6	-14.1	10.7	2.9	10.4	20.2	6.2	13.5	5.1	28.7	8.9
4. गोवा	4.7	0.2	1.8	-2.7	4.9	1.4	7.9	6.1	2.9	15.5	6.2	7.1	4.5	39.6	17.0
5. गुजरात	2.5	-0.7	-0.3	-3.6	-29.2	-5.9	7.5	1.6	3.2	10.3	4.9	5.3	3.4	36.4	22.9
6. हरियाणा	0.6	0.6	-1.4	-1.4	100.8	4.1	9.1	2.6	2.0	11.6	4.3	4.8	1.7	24.5	14.3
7. झारखंड	9.8	2.0	8.4	0.6	20.7	10.7	5.8	2.7	10.4	22.1	**6.7**	13.8	5.1	40.0	7.7
8. कर्नाटक	2.8	-1.5	0.6	-3.6	-52.7	-7.5	12.3	2.2	5.1	15.1	6.5	**8.0**	4.1	27.5	11.1
9. केरल	6.1	4.4	2.9	1.1	71.0	31.2	8.8	0.8	4.4	10.4	8.3	7.2	1.2	**40.2**	23.4
10. मध्य प्रदेश	3.7	-1.4	**0.5**	-4.6	-38.9	-7.1	8.3	1.9	10.1	15.7	7.3	9.3	4.2	43.8	15.7
11. महाराष्ट्र	3.1	0.6	0.8	-1.7	20.4	5.3	**8.1**	1.1	2.9	9.8	5.4	6.0	2.1	32.4	19.5
12. उड़ीसा	1.3	-1.0	-3.3	-5.6	-81.2	-4.2	8.0	2.6	14.0	14.4	11.3	9.4	2.3	58.2	18.5
13. पंजाब	4.8	1.9	1.1	-1.8	39.4	11.0	8.4	5.1	3.7	11.1	10.8	5.1	2.8	47.7	21.6
14. राजस्थान	**3.6**	-0.1	-0.5	-4.2	-1.9	-0.4	8.1	2.3	7.8	**14.4**	7.7	9.3	**3.8**	50.8	22.5
15. तमिलनाडु	2.7	**0.1**	0.5	-2.2	**3.7**	**0.6**	11.6	1.2	3.9	12.7	6.5	7.8	2.6	28.4	13.6
16. उत्तर प्रदेश	3.6	-1.1	0.2	-4.6	-30.3	-5.6	8.0	1.8	9.9	14.3	8.1	8.4	4.6	55.9	**17.7**
17. पश्चिम बंगाल	4.5	3.2	0.4	-0.9	71.1	31.1	4.8	0.5	**5.1**	8.0	6.9	5.6	0.8	47.2	40.2
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	7.7	-12.5	**1.4**	-18.9	-162.8	-17.6	2.1	6.2	63.1	60.7	18.5	26.6	20.1	83.6	8.9
2. असम	7.2	1.2	3.0	-3.0	17.3	3.9	7.0	3.2	21.3	26.0	12.7	15.5	5.7	38.0	13.3
3. हिमाचल प्रदेश	3.9	0.2	-2.0	-5.7	4.9	0.8	5.4	**3.1**	16.1	17.3	11.2	10.7	3.8	**65.1**	24.0
4. जम्मू और कश्मीर	**5.8**	-7.6	1.0	-12.4	-131.0	-16.0	7.6	2.4	37.8	35.4	18.3	17.4	13.3	81.6	**10.0**
5. मणिपुर	4.3	-14.8	-0.9	-20.0	-340.7	-26.0	2.1	3.1	51.7	43.1	18.3	20.3	17.9	83.9	9.2
6. मेघालय	1.4	**-5.4**	-2.0	-8.8	-395.5	-13.8	**4.3**	2.8	32.2	**29.4**	11.5	**15.6**	6.4	45.9	8.7
7. मिजोरम	8.3	-5.1	1.8	-11.6	-61.2	-8.8	1.8	3.5	52.3	46.9	19.6	23.6	13.9	98.8	11.4
8. नागालैंड	5.3	-5.5	1.6	-9.1	-103.8	**-14.8**	1.6	1.1	**34.0**	27.2	**14.9**	13.2	**10.7**	45.2	9.9
9. सिक्किम	10.5	-23.4	4.4	-29.5	-222.8	-18.6	6.8	54.5	64.7	69.6	67.0	34.8	34.0	73.9	4.8
10. त्रिपुरा	4.6	-5.3	0.7	**-9.2**	**-116.3**	-17.2	3.4	0.7	26.7	21.7	13.2	13.7	9.8	54.0	12.6
11. उत्तराखंड	6.3	-1.2	2.9	-4.6	-19.1	-5.2	7.9	2.1	12.9	20.0	8.6	12.1	7.5	45.8	14.8
सभी राज्य*	**2.8**	**0.1**	**0.4**	**-2.2**	**4.9**	**1.0**	**6.2**	**1.3**	**5.3**	**10.2**	**5.4**	**5.9**	**2.5**	**30.8**	**18.0**
ज्ञापन मदें :															
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.7	-3.6	-1.2	-5.4	-532.4	-34.7	8.4	1.2	0.7	7.1	3.6	4.6	1.7	21.4	18.0
2. पुदुचेरी	7.9	2.1	5.0	-0.8	27.0	7.5	8.5	8.3	11.8	28.7	7.9	12.9	5.9	52.9	10.4

टिप्पणी : सारणी 18 की टिप्पणियां देखें ।

के लिए शेष राज्यों के बीच राज्य सरकार की सापेक्षिक स्थिति) के बीच की जाती हैं। सारणी 18 और 19 पर आधारित राजकोषीय संकेतकों के व्यापक दायरे के लिए, दोनों प्रकार के राज्यों की सापेक्षिक राजकोषीय स्थिति चार्ट 8 से 13 के द्वारा भी प्रदर्शित की गई है।

V. 1 समग्र स्थिति - सभी राज्य

अधिकांश राजकोषीय संकेतकों के माध्यिका मूल्य में सुधार में दिखे अनुसार गैर विशेष और विशेष दोनों श्रेणियों के राज्यों का राजकोषीय निष्पादन 2003-06 की अवधि की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान बेहतर रहा (सारणी 20)।

तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से ऊंचा है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों की केंद्र पर निर्भरता अधिक होती है, जैसाकि तुलनात्मक उच्च सीटी-जीएसडीपी अनुपात से दिखता है। इसके अलावा, विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास-जीएसडीपी, एसएसइ-जीएसडीपी और सीओ-जीएसडीपी अनुपात गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। उच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपातों की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। किंतु, विशेष श्रेणी के राज्यों संबंधी आइपी-आरआर अनुपात गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में बहुत कम है।

सारणी 20 : राजकोषीय संकेतकों का माध्यिका मान

(प्रतिशत)

संकेतक	गैर विशेष श्रेणी राज्य		विशेष श्रेणी राज्य	
	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3	4	5
1. सराघा/सराघउ	4.7	3.6	8.1	5.8
2. राघा/ सराघउ	1.0	0.1	-3.2	-5.4
3. प्राघा/ सराघउ	0.8	0.5	1.0	1.4
4. पीआरबी/ सराघउ	-2.4	-3.0	-9.1	-9.2
5. राघा/ सराघा	19.2	3.7	-22.2	-116.3
6. राघा/ राप्रा	7.5	0.6	-6.3	-14.8
7. ओटीआर/ सराघउ	7.9	8.1	4.0	4.3
8. ओएनटीआर/ सराघउ	2.0	2.1	2.6	3.1
9. सीटी/ सराघउ	4.5	5.1	35.2	34.0
10. विकास/ सराघउ	12.7	14.4	23.3	29.4
11. विकासेतर/ सराघउ	7.3	6.7	16.5	14.9
12. एसएसई/ सराघउ	6.9	8.0	13.6	15.6
13. सीओ/ सराघउ	2.8	3.8	7.5	10.7
14. ऋण/ सराघउ	42.5	40.2	74.3	65.1
15. आइपी/ राप्रा	22.4	17.7	12.1	10.0

टिप्पणी : सारणी 18 तथा 19 पर आधारित ।

V.2 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

V.2.1 समग्र स्थिति

गैर विशेष श्रेणी के विभिन्न राज्यों के राजकोषीय निष्पादन में भारी भिन्नता है। हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्यों का राजकोषीय निष्पादन राजस्व अधिशेष (या निम्न राजस्व घाटा) और तुलनात्मक रूप से कम जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के साथ बेहतर था। इन राज्यों का स्वयं का कर राजस्व तुलनात्मक रूप से अधिक होने से उन्हें केंद्र से कम अंतरण प्राप्त होते हैं। किंतु, वित्तीय रूप से दुर्बल बने रहे बिहार और झारखंड का विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र का व्यय और पूंजी परिव्यय (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) तुलनात्मक रूप से अधिक था। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों का निष्पादन लगभग सभी राजकोषीय संकेतकों की दृष्टि से खराब रहा है।

V.2.2 घाटे के संकेतक

घाटे के संकेतकों के संदर्भ में राजकोषीय निष्पादन में सुधार विभिन्न राज्यों के संबंध में 2003-06 (औसत) अवधि की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में स्पष्ट रूप से दिखता है (चार्ट 8 क, ख और ग)(साथ ही विवरण 1-5 भी देखें)।

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के आरडी-जीएसडीपी अनुपात में स्पष्ट सुधार था जिसमें माध्यिका राज्य का अनुपात 2003-06 के 1.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 0.1 प्रतिशत हो गया था। 2006-07 (सं.अ.) में सात राज्य (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान) राजस्व अधिशेष की स्थिति में थे जबकि 2003-06 में तीन राज्य (छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हरियाणा) थे (सारणी 21 और चार्ट 8-ख) । ये राज्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा (आरडी) समाप्त करने के निर्धारित समय (मार्च 2009 की समाप्ति) के दो वर्ष पहले ही आरडी समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं। इसके अलावा, 2006-07 (सं.अ.) में तीन राज्यों का आरडी-जीएसडीपी अनुपात 0.5 प्रतिशत से कम था जबकि 2003-06 में दो राज्यों का ही था।

आरडी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्शाते हुए जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में सुधार हुआ जिसमें माध्यिका राज्य का अनुपात 2003-06 के 4.7 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 3.6 प्रतिशत हो गया। पीडी-जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य भी उक्त अवधि में 0.8 प्रतिशत से सुधरकर 0.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 8-ग)। जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 2006-07 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के सत्रह में से सात राज्यों (हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिल नाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश)

सारणी 21 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष	कर्नाटक , छत्तीसगढ़, हरियाणा	छत्तीसगढ़, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान
0.5 से कम	बिहार, तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश, **तमिलनाडु**, गोवा
0.5 से 1.0	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, **गोवा,** आंध्र प्रदेश	हरियाणा, महाराष्ट्र
1.0 से 1.5	–	बिहार
1.5 से 2.0	गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र	पंजाब, झारखंड
2.0 से अधिक	पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल, केरल

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान.

टिप्पणियां : 1. सारणी 18 व 19 पर आधारित।

2. मोटे अक्षर माध्यिका राज्य को दर्शाते हैं ।

चार्ट 8 : घाटा संकेतक - गैर विशेष श्रेणी राज्य

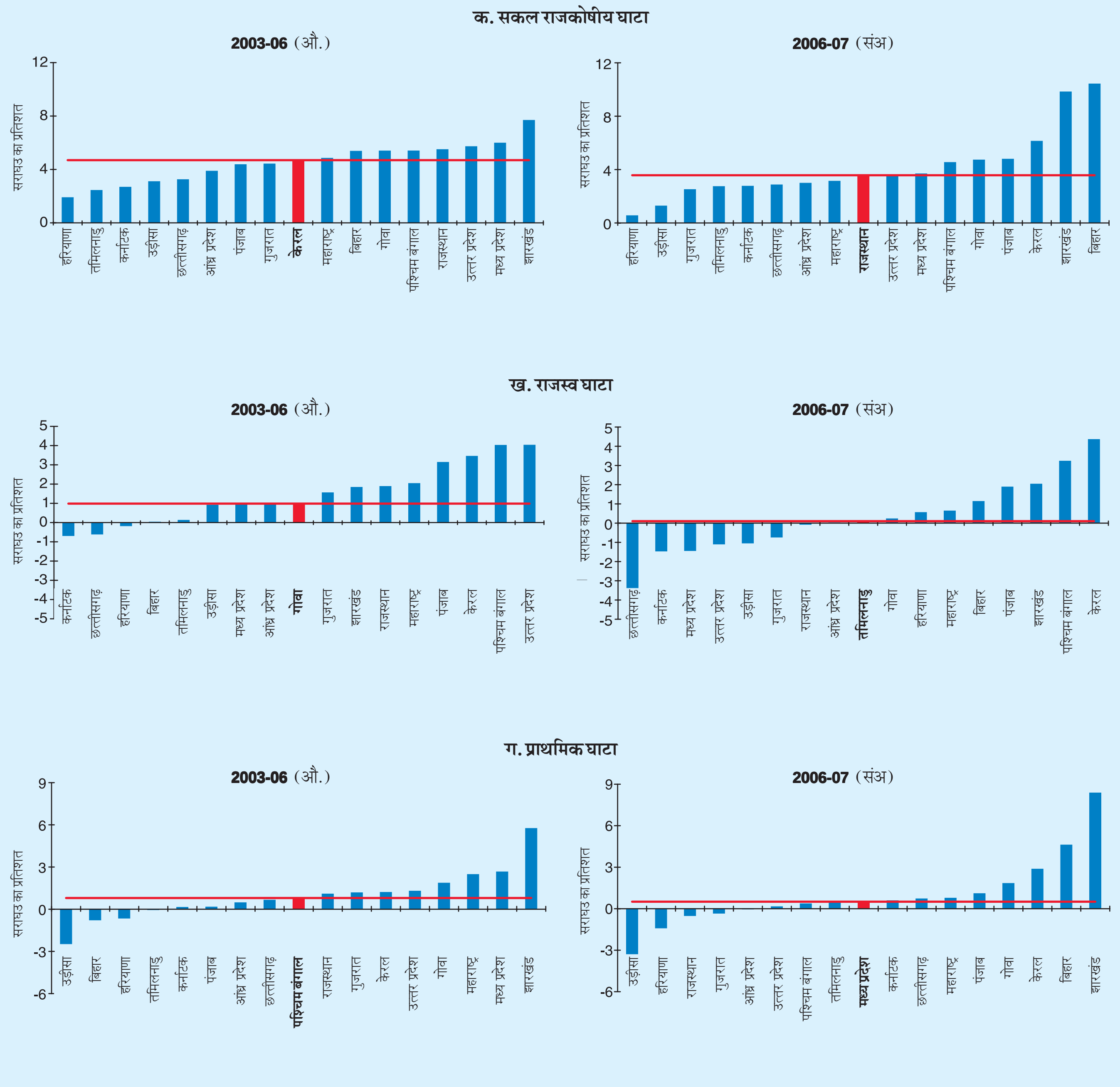

में 3 प्रतिशत से कम था जबकि 2003-06 में इनकी संख्या तीन थी (हरियाणा, तमिल नाडु और कर्नाटक) (सारणी 22 और चार्ट 8-क)। यह उल्लेखनीय है कि ये सात राज्य जीएफडी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित समय (मार्च 2010 की समाप्ति) से तीन वर्ष पहले ही प्राप्त कर सके हैं।

आरडी-जीएफडी अनुपात, जो चालू व्यय के लिए उधार के पूर्वक्रय की सीमा दर्शाता है, में भी 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07(सं.अ.) में अनेक राज्य सरकारों के मामले में गिरावट दिखी। आरडी-जीएफडी माध्यिका मूल्य में 2003-06 (औसत) के 19.2 प्रतिशत से भारी सुधार हुआ और वह 2006-07 (सं.अ.) में 3.7 प्रतिशत हो गया। किंतु, कुछ राज्य सरकारों, यथा हरियाणा, बिहार, झारखंड और तमिल नाडु में आरडी-जीएफडी अनुपात में ह्रास देखा गया। तीन राज्यों, नामतः हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल का आरडी-जीएफडी अनुपात 2006-07 (सं.अ.) के दौरान ऊंचा बना रहा।

2006-07 (सं.अ.) में 0.6 प्रतिशत पर आरडी-आरआर अनुपात के माध्यिका मूल्य में 2003-06 के 7.5 प्रतिशत (औसत) की तुलना में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। 2006-07 (सं.अ.) में आरडी-आरआर अनुपात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु (1.0 प्रतिशत से कम अनुपात) की तुलना में केरल (31.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (31.1 प्रतिशत), पंजाब (11.0 प्रतिशत) और झारखंड (10.7 प्रतिशत) के संबंध में अधिक था।

जीएसडीपी के अनुपात के रूप में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (अर्थात राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर) का माध्यिका स्तर 2003-06 (औसत) के 2.4 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 (सं.अ.) में 3.0 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक राजस्व घाटे या ब्याज भुगतान से प्राथमिक राजस्व के कम अधिशेष का अर्थ राज्य सरकारों द्वारा ब्याज भुगतान दायित्व पूरे करने के लिए निधि उधार लेना है। 2006-07 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के दो राज्यों, नामतः केरल और झारखंड में प्राथमिक राजस्व घाटा था। शेष पंद्रह राज्यों में से सात राज्यों के मामले में ब्याज भुगतान दायित्व पूरे करने के लिए प्राथमिक राजस्व अधिशेष पर्याप्त था। दूसरे शब्दों में, गैर विशेष श्रेणी के दस राज्यों ने 2006-07 (सं.अ.) में उनके संपूर्ण या आंशिक ब्याज भुगतानों के वित्तीयन के लिए उधार निधि का सहारा लिया था जो चिंता का मामला है।

सारणी 22 : सकल राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	हरियाणा	हरियाणा, उड़ीसा
2 से 3	तमिलनाडु, कर्नाटक	गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक , छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश
3 से 4	उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र, **राजस्थान**, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
4 से 5	पंजाब, गुजरात, **केरल**, महाराष्ट्र	गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल
5 से अधिक	बिहार, गोवा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड	केरल, झारखंड, बिहार

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

V.2.3 राजस्व निष्पादन

सभी राज्य सरकारों के स्वयं के कर राजस्व निष्पादन (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) में 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में सुधार हुआ जिसमें ओटीआर - जीएसडीपी माध्यिका मूल्य 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 9-ए) (विवरण 18-22 भी देखें)। 2006-07 (सं.अ.) के दौरान कर्नाटक (12.3 प्रतिशत), तमिल नाडु (11.6 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (10.7 प्रतिशत) का स्वयं का कर राजस्व - जीएसडीपी अनुपात उच्चतम था जबकि पश्चिम बंगाल (4.8 प्रतिशत), झारखंड (5.8 प्रतिशत) और बिहार (6.8 प्रतिशत) निम्नतम स्थिति वाले राज्य थे (सारणी 23)।

स्वयं के कर राजस्व में देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत कुछ ही राज्य सरकारों ने 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान स्वयं के करेतर - जीएसडीपी अनुपात में सुधार दर्शाया। परिणाम स्वरूप, करेतर - जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2.0 से थोड़ा ही बढ़कर 2.1 प्रतिशत हुआ (चार्ट 9 ख)। गोवा (6.1 प्रतिशत) और पंजाब (5.1 प्रतिशत) का करेतर - जीएसडीपी अनुपात अधिक था जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों का यह अनुपात 1.0 प्रतिशत से कम था। करेतर राजस्व के कम स्तर का आंशिक कारण (भाग IV में देखे अनुसार) शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सिंचाई, बिजली और

सारणी 23 : निजी कर राजस्व/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
5 से कम	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
5 से 7	झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	झारखंड, बिहार
7 से 9	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, **महाराष्ट्र**, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, हरियाणा, गोवा	गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, **महाराष्ट्र**, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल
9 से अधिक	तमिलनाडु, कर्नाटक	हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 9 : राजस्व निष्पादन - गैर विशेष श्रेणी राज्य

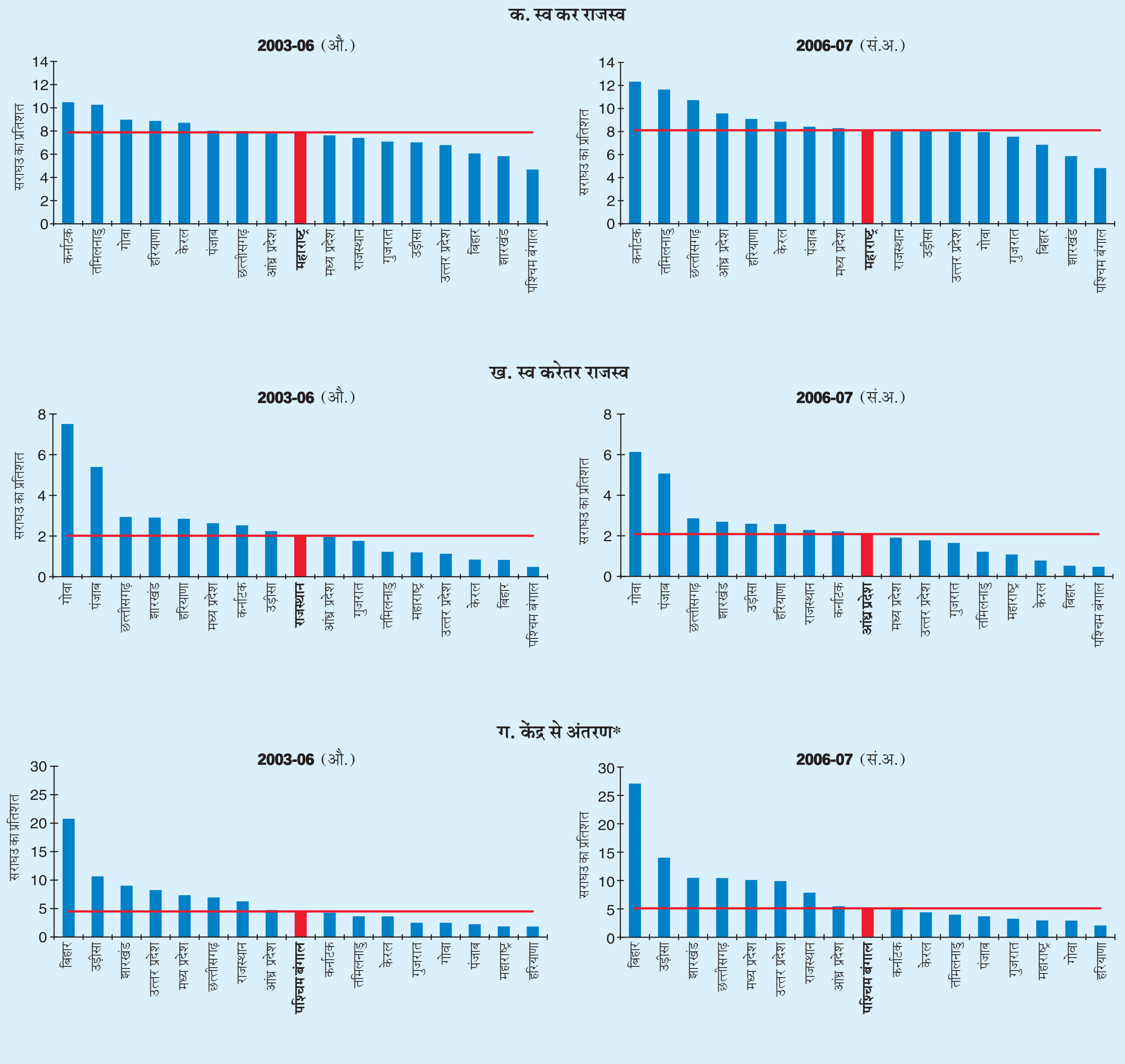

* : Include share in Central taxes and grants-in-aid to states.

सड़कों जैसे क्षेत्रों से कम लागत की वसूली (अर्थात योजनेतर राजस्व व्यय के प्रति करेतर प्राप्तियों का अनुपात) है। लागत वसूली के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के बीच भारी भिन्नता है।

जीएसडीपी के प्रति अनुपात के रूप में चालू अंतरण (यथा बंटवारे योग्य केंद्रीय कर और सहायता अनुदान) बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के संबंध में अधिक था जो ऐसे राजकोषीय अंतरणों में समतल समानता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट 9-ग)।

V.2.4 व्यय का स्वरूप

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में विकास व्यय (डीईवी) - जीएसडीपी अनुपात

2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में बढ़ गया जिसमें डीईवी-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य उक्त अवधि में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट 10-क)। यह उल्लेख करना होगा कि बिहार (29.2 प्रतिशत), झारखंड (22.1 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (20.2 प्रतिशत) जैसे तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्यों का स्थान विकास व्यय- जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में सर्वोच्च स्तर पर था जबकि पश्चिम बंगाल (8.0 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9.8 प्रतिशत) का स्थान निम्नतम स्तर पर था (सारणी 24)।

जीएसडीपी के प्रति विकासेतर व्यय के अनुपात के रूप में माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में 7.3 प्रतिशत से कम होकर 6.7 प्रतिशत रह गया (चार्ट 10-ख)। 2006-07 (सं.अ.) में जीएसडीपी के प्रति विकासेतर व्यय का अनुपात बिहार, उड़ीसा और पंजाब के मामले में अधिक था (10 प्रतिशत से अधिक) जबकि गुजरात और हरियाणा के मामले में न्यूनतम (5 प्रतिशत से कम) था (विवरण 12-16 भी देखें)।

गोवा और गुजरात को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने सामाजिक क्षेत्र के व्यय (अर्थात सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास, खाद्य संग्रह और भंडारण) के संदर्भ में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व और पूंजी दोनों खाते के अंतर्गत 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान अच्छा सुधार दर्शाया जिसमें माध्यिका मूल्य 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गया था। सभी राज्यों के बीच बिहार (18.7 प्रतिशत), झारखंड (13.8 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (13.5 प्रतिशत) का सामाजिक क्षेत्र के व्यय का स्तर निरंतर उच्च बना रहा (जीएसडीपी के संदर्भ में)। दूसरी ओर, हरियाणा (4.8 प्रतिशत), पंजाब (5.1 प्रतिशत), गुजरात (5.3 प्रतिशत), महाराष्ट्र (6.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (5.6 प्रतिशत) में सामाजिक क्षेत्र व्यय - जीएसडीपी अनुपात का स्तर कम है।

सभी राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर) ने 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान पूंजी परिव्यय - जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शाई जिसमें माध्यिका मूल्य 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 10-ग)। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक ने जीएसडीपी के संदर्भ में पूंजी परिव्यय का उच्च अनुपात बनाए रखा जबकि हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल का पूंजीगत परिव्यय - जीएसडीपी अनुपात लगातार कम (2 प्रतिशत से कम) बना रहा (सारणी 25)।

कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में शिक्षा (खेल, कला और संस्कृति सहित) के अंतर्गत समेकित व्यय (राजस्व और पूंजी परिव्यय) का अनुपात 2007-08 में कम होने का बजट अनुमान है (विवरण 41)।

सारणी 24 : विकास व्यय/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
10 से कम	पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
10 से 13	आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक , **उड़ीसा**	गुजरात, तमिलनाडु केरल, पंजाब, हरियाणा
13 से 16	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़	उत्तर प्रदेश, **राजस्थान**, उड़ीसा, कर्नाटक , आंध्र प्रदेश गोवा, मध्य प्रदेश
16 से अधिक	मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार	छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 25 : पूंजीगत परिव्यय/ जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
1 से कम	पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब	पश्चिम बंगाल
1 से 2	हरियाणा, उड़ीसा	केरल, हरियाणा
2 से 3	तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, **आंध्र प्रदेश**, कर्नाटक , बिहार	महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब
3 से 4	छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	गुजरात, **राजस्थान,** आंध्र प्रदेश
4 से अधिक	झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश	कर्नाटक , मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 10 : व्यय का स्वरूप - गैर विशेष श्रेणी राज्य

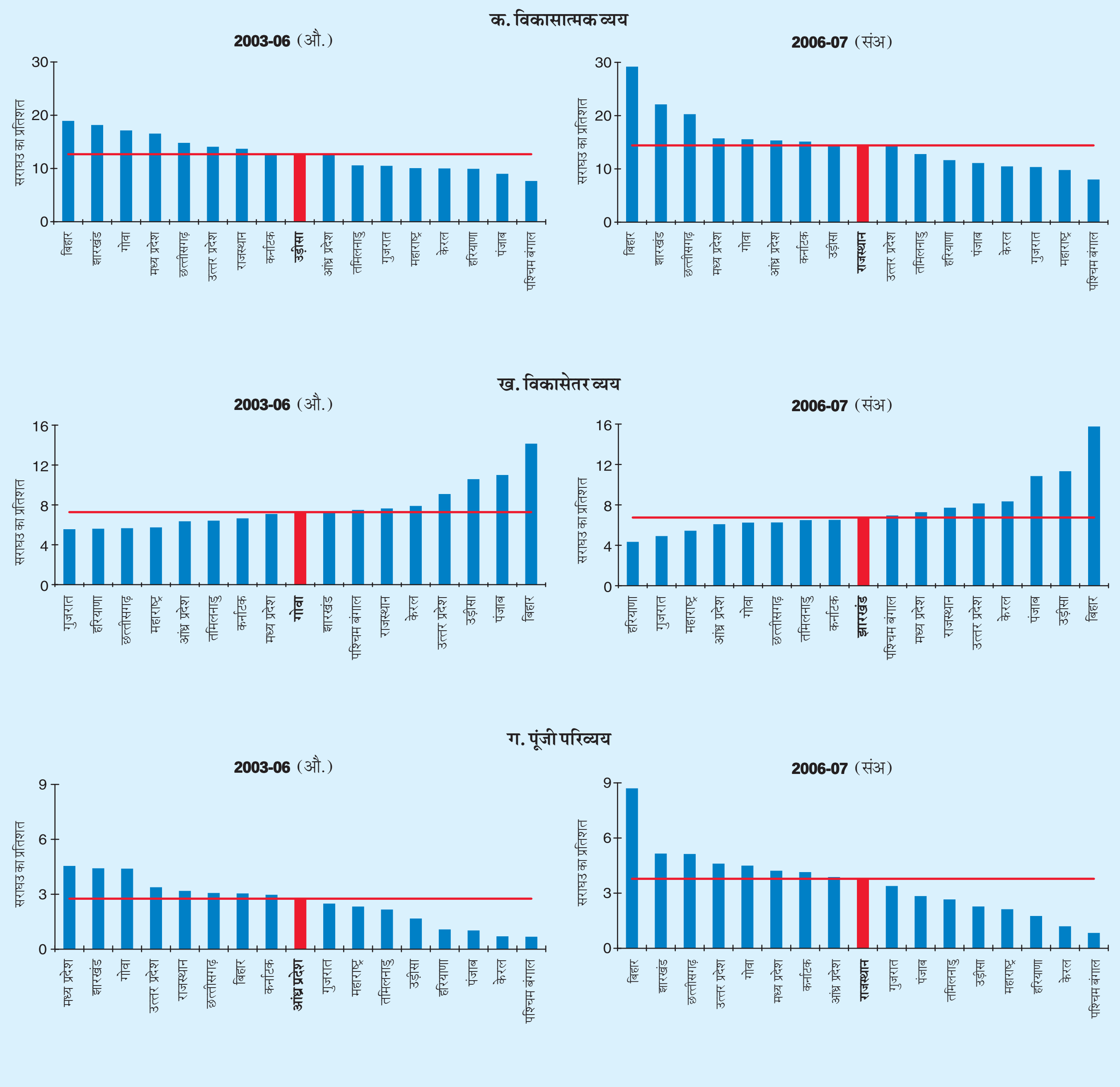

दूसरी ओर, स्वास्थ्य (चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण) पर समेकित व्यय पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहेगा (विवरण 42)। किंतु, इस संबंध में विभिन्न राज्यों में भारी भिन्नता है। 2006-07 (सं.अ.) में शिक्षा के अंतर्गत का व्यय दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और तमिल नाडु) के कुल संवितरण के 13.9 प्रतिशत (गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था। उसी प्रकार, दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तमिल नाडु) संबंधी कुल संवितरण के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय 4.1 प्रतिशत (गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था। राज्य सरकारों द्वारा कुल व्यय में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न राज्यों में ये सामाजिक सेवाएं अधिक लोगों तक पहुंचें।

V.3 विशेष श्रेणी के राज्य[5]

V.3.1 समग्र स्थिति

विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों (ग्यारह में से नौ) ने 2006-07 (सं.अ.) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया जिसमें उच्च पूंजी परिव्यय के कारण जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात का स्तर उच्च था। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों ने एफआरएल लागू होने के कारण उनके राजकोषीय निष्पादन में सुधार दर्शाया।

V.3.2 घाटे के संकेतक

यह उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी के ग्यारह राज्यों में से नौ ने 2003-06 (औसत) जैसे ही 2006-07 (सं.अ.) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया जिसमें जीएसडीपी के प्रति राजस्व अधिशेष का माध्यिका मूल्य 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 26 और चार्ट 11-ख)। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राजस्व खाते में सुधार देखा गया जबकि असम में इसमें गिरावट देखी गई। 2006-07 (सं.अ.) में राजस्व अधिशेष - जीएसडीपी अनुपात में 23.4 प्रतिशत के साथ सिक्किम प्रथम स्थान पर था किंतु उसी समय उसका जीएफडी - जीएसडीपी अनुपात भी 10.5 प्रतिशत पर सर्वाधिक था।

जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात की स्थिति 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में पांच राज्यों में बहुत खराब हो गई, यद्यपि उक्त अवधि में माध्यिका मूल्य 8.1 प्रतिशत से कम होकर 5.8 प्रतिशत रह गया था (चार्ट 11-क और सारणी 27)। किंतु पीडी-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य 1.0 प्रतिशत से खराब होकर 1.4 प्रतिशत रह गया (चार्ट 11-ग)।

ब्याज भुगतान दायित्व पूरे करने के लिए प्राथमिक राजस्व अधिशेष (अर्थात् राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर) 2006-07 (सं.अ.) में असम और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के शेष सभी राज्यों के संबंध में पर्याप्त बना रहा।

V.3.3 राजस्व निष्पादन

स्वयं के कर राजस्व - जीएसडीपी अनुपात, जो विशेष श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में कम होता है , में माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 (सं.अ.) में 4.3 प्रतिशत होने के साथ कुछ सुधार आया। मिज़ोरम और नागालैंड

सारणी 26 : राजस्व घाटे / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष	सिक्किम, जम्मू और कश्मीर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, **मणिपुर**, मिजोरम, मेघालय, असम	सिक्किम, जम्मू और कश्मीर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, **मेघालय**, उत्तराखंड
0.5 से कम	–	हिमाचल प्रदेश
0.5 से 1.0	–	–
1.0 से 1.5	–	असम
1.5 से 2.0	–	–
2.0 से अधिक	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	–

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 27 : सकल राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
1 से 3	नागालैंड, असम, त्रिपुरा	मेघालय
3 से 6	जम्मू और कश्मीर मेघालय	हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, **जम्मू और कश्मीर**
6 से 9	**सिक्किम**, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड	उत्तराखंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
9 से अधिक	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

[5] योजना विनिधान के संदर्भ में विशेष और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को रखा गया है।

चार्ट 11 : घाटा संकेतक - विशेष श्रेणी के राज्य

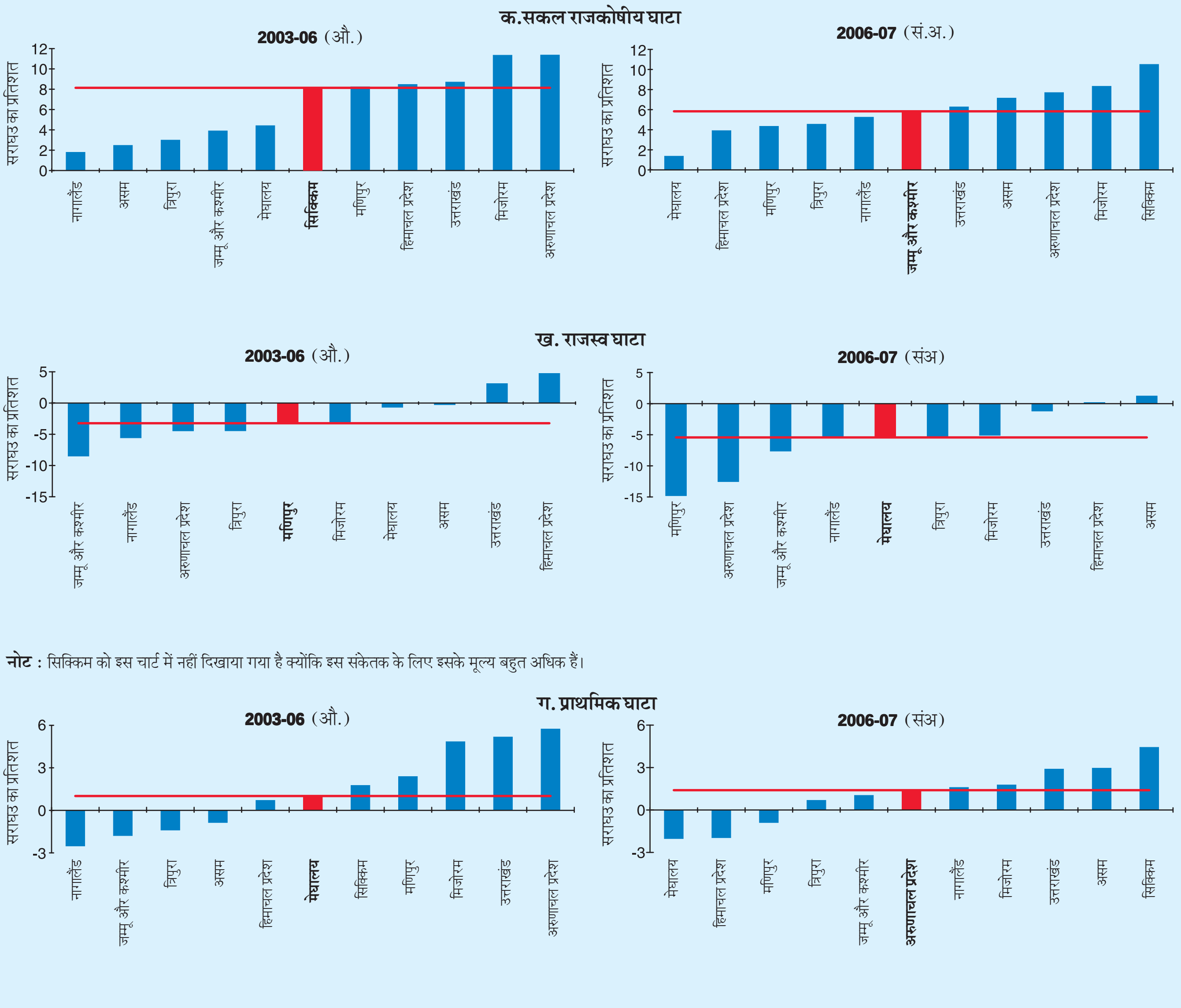

का यह अनुपात निरंतर कम (2 प्रतिशत से कम) और उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, असम और सिक्किम के संदर्भ में अधिक बना रहा (6 प्रतिशत से अधिक) (सारणी 28 और चार्ट 12-क)।

विशेष श्रेणी के राज्यों का स्वयं का करेतर राजस्व-जीएसडीपी अनुपात 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में बढ़ गया जिसमें इस अनुपात का माध्यिका मूल्य उक्त अवधि में 2.6 प्रतिशत से सुधरकर 3.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 12-ख)। सिक्किम के मामले में दोनों ही अवधियों में यह अनुपात असाधारण रूप से अधिक था, जिसका कारण राज्य लॉटरियों से उत्पन्न राजस्व था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और सड़कों के संदर्भ में राज्य-वार लागत वसूली (अर्थात करेतर प्राप्तियां-योजनेतर राजस्व व्यय अनुपात) दर्शाती है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त सामाजिक आर्थिक सेवाओं से हुई लागत वसूली विभिन्न राज्यों में कम थी। अतः, इन सेवाओं पर उपयुक्त उपयोग-शुल्क लगाकर लागत वसूली बढ़ाने की आवश्यकता है; हालांकि इसके लिए सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा।

केंद्र से चालू अंतरण और डिवोल्यूशन (बंटवारे योग्य कर और सहायता अनुदान) विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों के

चार्ट 12 : राजस्व निष्पादन - विशेष श्रेणी के राज्य

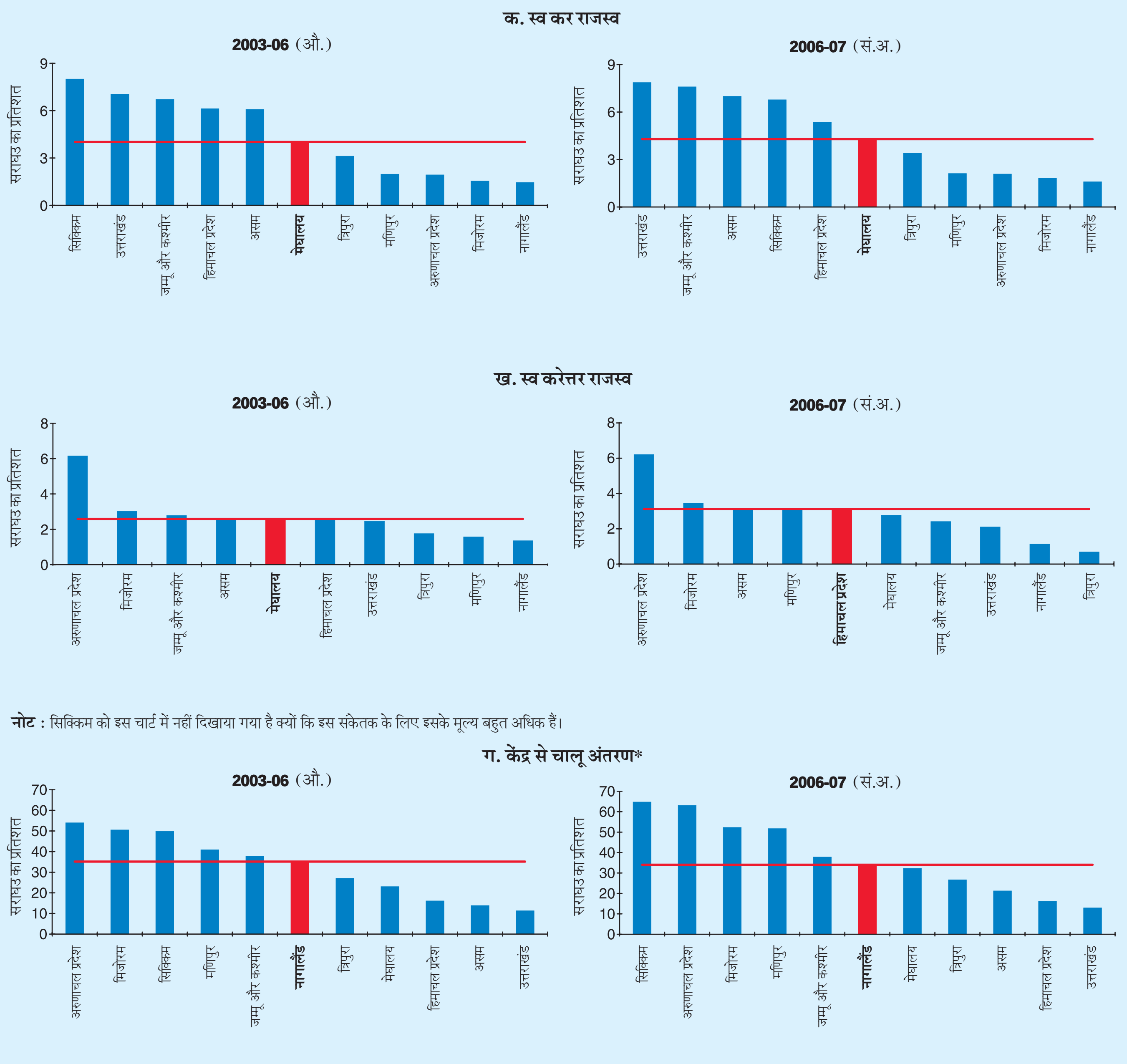

नोट : सिक्किम को इस चार्ट में नहीं दिखाया गया है क्यों कि इस संकेतक के लिए इसके मूल्य बहुत अधिक हैं।

* : केन्द्रीय करों में हिस्सा और राज्यों को सहायता अनुदान शामिल हैं।

लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बने रहे और वह भी इसके बावजूद कि सीटी-जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 35.2 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 34.0 प्रतिशत रह गया था (चार्ट 12-ग)। केंद्र के अंतरण का अनुपात अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर के मामले में 2006-07 (सं.अ.) में 50 प्रतिशत से अधिक था जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में 20 प्रतिशत से कम था।

V.3.4 व्यय का स्वरूप

विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात, जो गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में सामान्यतः

सारणी 28 : स्व कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश	मिजोरम, नागालैंड
2 से 4	मणिपुर, त्रिपुरा, **मेघालय**	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा
4 से 6	–	**मेघालय**, हिमाचल प्रदेश
6 से अधिक	असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम	असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 29 : विकास व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
20 से कम	असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
20 से 40	त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, **नागालैंड**	नागालैंड, त्रिपुरा, असम, **मेघालय**, जम्मू और कश्मीर
40 से 60	मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर, मिजोरम
60 से अधिक	–	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

बहुत अधिक रहता है, में और सुधार हुआ जिसमें माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 23.3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत अंक बढ़कर 2006-07 (सं.अ.) में 29.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट 13-क)। 2006-07 (सं.अ.) में विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 60 प्रतिशत से अधिक था जबकि हिमाचल प्रदेश के संबंध में 20 प्रतिशत से कम था (सारणी 29)।

गैर-विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका स्तर 2003-06 (औसत) के 16.5 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 14.9 प्रतिशत रह गया जो विशेष श्रेणी के राज्यों के व्यय प्रबंधन में सुधार दर्शाता है (चार्ट 13-ख)। 2006-07 (सं.अ.) में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड का गैर-विकास व्यय-जीएसडीपी अनुपात कम (15 प्रतिशत से कम) था जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम का अधिक था। सिक्किम का गैर-विकास व्यय-जीएसडीपी अनुपात बहुत अधिक (67.0 प्रतिशत) था।

विशेष श्रेणी के राज्यों के सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संदर्भ में अच्छा सुधार देखा गया जिसमें एसएसइ- जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 13.6 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 (सं.अ.) में 15.6 प्रतिशत हो गया। उक्त दोनों अवधियों में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने जीएसडीपी के अनुपात के रूप में एसएसइ का उच्च अनुपात बनाए रखा जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का यह अनुपात कम था।

विशेष श्रेणी के राज्यों के पूंजी परिव्यय (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) के उच्च स्तर में पुनः सुधार हुआ जिसमें माध्यिका स्तर 2003-06 (औसत) के 7.5 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2006-07 (सं.अ.) में 10.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट 13-ग)। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पूंजी परिव्यय-जीएसडीपी अनुपात दोनों अवधियों में लगातार ऊंचा बना रहा, वहीं असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और उत्तराखंड का कम रहा (सारणी 30)।

सारणी 30 : पूंजी परिव्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
5 से कम	असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय	हिमाचल प्रदेश
5 से 8	उत्तराखंड, नागालैंड, **त्रिपुरा**	असम, मेघालय, उत्तराखंड
8 से 11	मणिपुर	**नागालैंड**, त्रिपुरा
11 से 14	जम्मू और कश्मीर, मिजोरम	मिजोरम, जम्मू और कश्मीर
14 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 13 : व्यय का स्वरूप - विशेष श्रेणी के राज्य

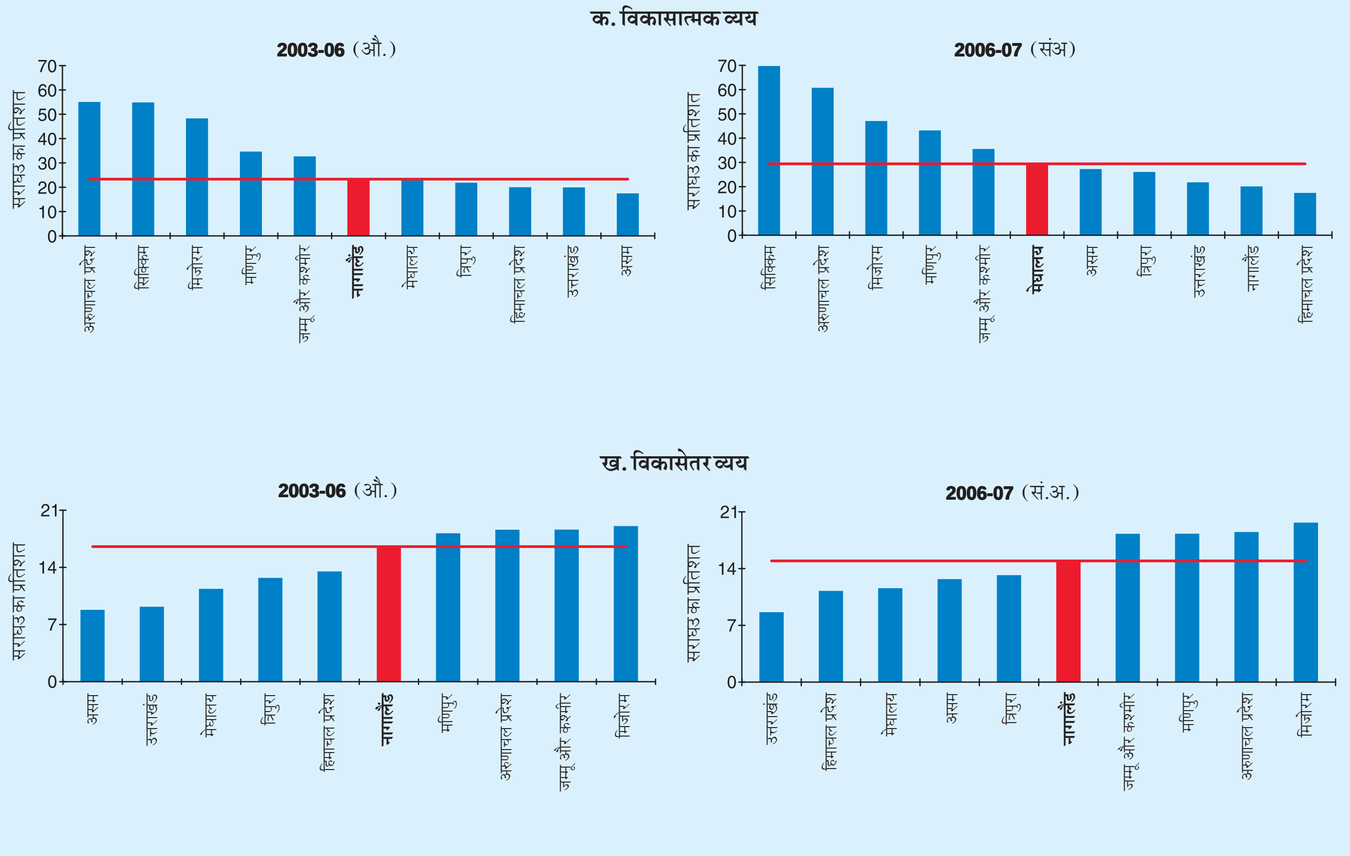

नोट : सिक्किम को इस चार्ट में नहीं दिखाया गया है क्यों कि इस संकेतक के लिए इसके मूल्य बहुत अधिक हैं।

शिक्षा पर व्यय (कुल संवितरण के अनुपात के रूप में) में विशेष श्रेणी के अनेक राज्यों में 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में सुधार हुआ (विवरण 41)। इस अवधि में विशेष श्रेणी के छह राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) में शिक्षा पर व्यय (कुल संवितरण के अनुपात के रूप में) में सुधार हुआ। कुल संवितरण में शिक्षा पर व्यय के हिस्से में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच भारी भिन्नता है जिसमें 2006-07 (सं.अ.) में असम में यह अनुपात 18.9 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था जबकि सिक्किम में 9.8 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था। कुल संवितरण के प्रति स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय के अनुपात में विशेष श्रेणी के लगभग आधे राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम

और त्रिपुरा) में 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में सुधार देखा गया (विवरण 42)। किंतु 2006-07 (सं.अ.) में यह अनुपात त्रिपुरा में 6.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था जबकि सिक्कम का 2.3 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर था।

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के बावजूद विभिन्न राज्यों की राजकोषीय स्थिति में भारी भिन्नता है। यह उल्लेख करना होगा कि बारहवें वित्त आयोग ने एकरूप राजकोषीय पुनर्रचना योजना की सिफारिश की है जो राज्य सरकारों द्वारा 2009-10 तक पूरे किए जाने वाले पंद्रह राजकोषीय मानकों के लक्ष्यों पर आधारित है।

VI. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं

राज्यों के व्यापक और बढ़ते जीएफडी के कारण, विशेष रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, राज्य सरकारों का बकाया ऋण संचित हो गया। केंद्र से ऋण, जो वर्षों में राज्यों के ऋण का महत्वपूर्ण घटक बन गया था, कम हो गया। दूसरी ओर, बाजार उधार और एनएसएसएफ का हिस्सा 1990 के दशक की तुलना में बढ़ गया। इस खंड में राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार, आकस्मिक देयताएं और अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का विश्लेषण किया गया है।

VI.1 बकाया देयताएं[6]

VI.1.1 मात्रा

राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 1991 के अंत में 1,28,155 करोड़ रुपए (जीडीपी का 22.5 प्रतिशत) थीं। ऋण-जीडीपी अनुपात, जो मार्च 1997 के अंत में 20.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था, मार्च 2006 के अंत में तेजी से बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया किंतु मार्च 2007 के अंत में कम होकर 30.8 प्रतिशत रह गया (सारणी 31)। राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 2008 के अंत में 13,78,663 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जिसमें ऋण - जीडीपी अनुपात 29.8 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी 21 और 22 भी देखें)

सारणी 31 : राज्य सरकारों की बकाया देयताएं
(मार्च के अंत में)

Year	राशि	वार्षिक वृद्धि	ऋण / सघड
	(करोड़ रुपए)	(प्रतिशत)	
1	2	3	4
1991	1,28,155	–	22.5
1992	1,47,030	14.7	22.5
1993	1,68,365	14.5	22.5
1994	1,87,875	11.6	21.9
1995	2,16,473	15.2	21.4
1996	2,49,535	15.3	21.0
1997	2,85,898	14.6	20.9
1998	3,30,816	15.7	21.7
1999	3,99,576	20.8	23.0
2000	5,09,529	27.5	26.1
2001	5,94,148	16.6	28.3
2002	6,90,747	16.3	30.3
2003	7,86,427	13.9	32.0
2004	9,13,376	16.1	33.0
2005	10,29,174	12.7	32.9
2006	11,67,866	13.5	32.7
2007 (सं.अ.)	12,68,683	8.6	30.8
2008 (ब.अ.)	13,78,663	8.7	29.8

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

स्रोत:
1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. भारत के केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे, सीएजी, भारत सरकार ।
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
4. रिजर्व बैंक का रिकार्ड।
5. केंद्र सरकार के वित्तीय लेखे, भारत सरकार

राज्य सरकारों ने ऋण के उच्च स्तर की निरंतरता की चिंता के कारण उनके एफआरएल में ऋण के स्तर की सीमा निश्चित की है जो निर्धारित अवधि में प्राप्त करनी है। बारहवें वित्त आयोग ने भी मध्यावधि में ऋण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 30.8 प्रतिशत ऋण-जीडीपी अनुपात की सिफारिश की है जो राज्य सरकारों द्वारा मार्च 2010 के अंत तक प्राप्त करना है। इसके अलावा, बारहवें वित्त आयोग ने उधार पर समग्र सीमा की भी सिफारिश की है (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) जो राज्य सरकारों को 2009-10 की समाप्ति तक पूरी करनी है। बारहवें वित्त आयोग ने ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत अनुपात की भी सिफारिश की है जो 2009-10 तक प्राप्त करना है।

[6] 2003-04 से बकाया देयताओं का डाटा बॉक्स 7 में दी गई पद्धति के अनुसार संकलित किया गया है।

VI.1.2 ऋण की संरचना

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना से यह दिखता है कि केंद्र से ऋण के हिस्से में तेज गिरावट हुई है और एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों, बाजार उधार और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के हिस्से में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कुछ वर्षों में आरक्षित निधि और जमाराशियां तथा अग्रिम बकाया देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं। 2007-08 (सं.अ.) के दौरान एनएसएसएफ से उधार मुख्य घटक होंगे (34.7 प्रतिशत) जिसके बाद बाजार उधार (19.5 प्रतिशत) और केंद्र से ऋण (12.0 प्रतिशत) का स्थान होगा । ऋण के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अल्प बचत, राज्य भविष्य निधि आदि (13.4 प्रतिशत) और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार (6.8 प्रतिशत, हैं (चार्ट.14)।

बकाया ऋण की व्यापक संरचना सारणी 32 में दी गई है। राज्य सरकारों की समेकित बकाया देयताओं की 1990-91 से 2007-08 (ब.अ.) की विस्तृत संरचना परिशिष्ट 21 और 22 में तथा बकाया देयताओं की राज्य-वार संरचना विवरण 26-28[7] में दी गई है।

चार्ट 14 : बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत में)

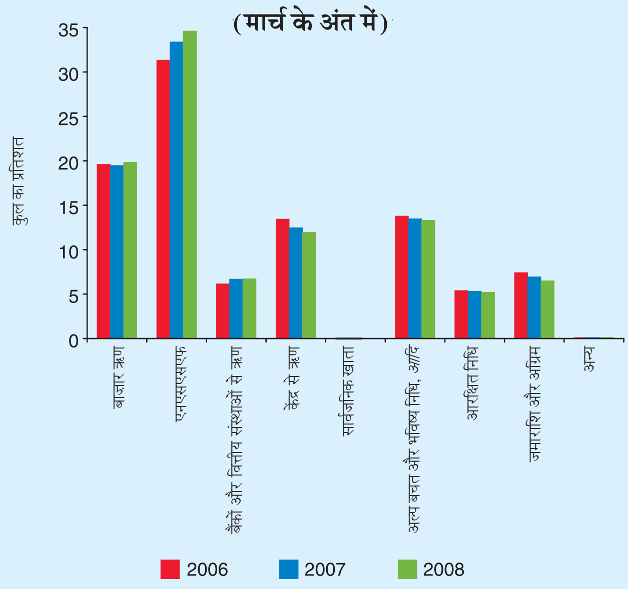

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर संरचना-वार जानकारी का एकल स्रोत नहीं है। राज्य सरकारों की 2003-04 से बकाया देयताओं को बॉक्स 7 में दी गई पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों

सारणी 32 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मदें	1991	2000	2005	2006	2007 (सं.अ.)	2008 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1. निवल आबंटन	15.0	24.6	57.8	59.8	61.5	62.7
जिसमें से:						
(i) बाजार उधार	12.2	14.8	20.7	19.6	19.1	19.5
(ii) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	–	5.0	27.4	31.3	33.5	34.7
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.0	3.4	6.6	6.2	6.7	6.8
2. केन्द्र से ऋण और अग्रिम	57.4	45.2	15.6	13.4	12.5	12.0
3. लोक लेखा (i से iii)	26.8	29.9	26.6	26.6	25.9	25.1
(i) अल्प बचत और राज्य भविष्य निधि आदि	13.2	15.8	14.2	13.8	13.5	13.4
(ii) आरक्षित निधि	3.7	3.9	5.1	5.4	5.4	5.2
(iii) जमाराशि और अग्रिम	10.0	10.2	7.3	7.4	7.0	6.5
4. आकस्मिकता निधि	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
कुल देयताएं (1 से 4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
कुल देयताएं (करोड़ रुपए)	**1,28,155**	**5,09,529**	**10,29,174**	**11,67,866**	**12,68,683**	**13,78,663**

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।
'–' : लागू नहीं.
स्रोत : सारणी 31 के अनुसार

[7] राज्य सरकारों की 1990-91 से 2002-03 तक की बकाया देयताओं पर राज्य-वार आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कृपया 'राज्य वित्त-बजटों का अध्ययन - 2006-07' का विवरण 26 देखें।

के बजट दस्तावेजों में उनकी बकाया देयताओं का पर्याप्त ब्यौरा तथा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राशि और उनकी संबंधित शर्तों (यथा ब्याज दर और परिपक्वता स्वरूप) का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण सीमित रह जाता है।

VI.1.3 राज्य-वार ऋण स्थिति

बकाया देयताओं का विस्तृत राज्य-वार घटक-वार विश्लेषण विवरण 26-28 में दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि तीन विभाजित राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मार्च 2000 के अंत की बकाया देयताएं नव निर्मित तीन राज्यों (क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड) की जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर प्रभाजित की गई हैं। राज्यों (गैर-विशेष और विशेष) को उनके ऋण- जीएसडीपी और आइपी-आरआर अनुपातों के स्तरों के आधार पर समूहबद्ध किया गया है और तुलनात्मक स्थिति अनुबंध 3 में दी गई है।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का ऋण-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य 2003-06 के 42.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2007 के अंत में 40.2 प्रतिशत रह गया जो राज्य सरकारों द्वारा उनके एफआरएल के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में उनके ऋण का स्तर घटाने के लिए किए गए प्रयासों और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऋण पुनर्रचना की पहलों का प्रभाव दर्शाता है (चार्ट 15 क)। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2003-06 (औसत) और 2006-07 (सं.अ.) के दौरान तुलनात्मक रूप से लगातार कम (35.0 प्रतिशत से कम) बना रहा जबकि उक्त दोनों अवधियों में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 55 प्रतिशत से अधिक पर अत्यधिक बना रहा (सारणी 33)।

राजस्व प्राप्तियों में से ब्याज भुगतान के लिए रखी गई राशि की मात्रा (आइपी/आरआर), जो ऋण धारणीयता का एक महत्वपूर्ण

बॉक्स 7 : राज्य सरकारों की बकाया देयताएं - संकलन पद्धति

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर उपलब्ध संगत समय श्रृंखला के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उनकी ऋण शोधन क्षमता और ऋण धारणीयता दर्शाते हैं। राज्य सरकार की देयताओं की परिभाषा और संरचना पर सर्वसम्मति के लिए राज्य सरकार की देयताओं की पद्धति और संकलन पर अगस्त 2004 में कार्य दल का गठन किया गया था (ब्यौरे के लिए 'राज्य वित्त-बजटों का अध्ययन, 2006-07' देखें)। इस दल ने दिसंबर 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को बकाया देयताओं से संबंधित आंकड़े निर्धारित फार्म में प्रकाशित करने चाहिए। किंतु, राज्य सरकरें यह जानकारी अपने बजट दस्तावेजों में प्रकाशित नहीं कर रही हैं।

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं से संबंधित आंकड़ों का मुख्य स्रोत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रकाशित केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे हैं जो अनुसंधानकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए लगभग दो वर्ष के अंतराल से उपलब्ध होते हैं। किंतु, एनएसएसएफ, केंद्र से ऋण और पॉवर बांड्स संबंधी सभी राज्यों के संगत आंकड़ों की श्रृंखला सीएजी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होती। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक में अलग से उपलब्ध होते हैं।

अतः, राज्य सरकारों की बकाया देयताओं से संबंधित आंकड़ों को उन वर्षों के लिए, जिनके लेखों के आंकड़े उपलब्ध हैं (2005-06), निम्नलिखित पद्धति से संकलित किया गया है :

1. बाजार उधार (राज्य विकास ऋण), पॉवर बांड्स और क्षतिपूर्ति बांडों के आंकड़े रिज़र्व बैंक के रेकार्ड से लिए गए हैं।
2. केंद्र से राज्यों को ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार के वित्त लेखों से लिए गए हैं।
3. एनएसएसएफ के अंतर्गत की बकाया राशि वित्त मंत्रालय से ली गई है।
4. ऋण की अन्य सभी मदें सीएजी प्रकाशन से ली गई हैं।

2005-06 की बकाया देयताओं को संकलित करते समय सीएजी रिपोर्ट में 'अन्य संस्थाओं से ऋण' शीर्ष के अंतर्गत दिए गए पॉवर बांड्स के आंकड़े निवल किए गए थे क्योंकि पॉवर बांड्स के आंकड़े रिज़र्व बैंक के रेकार्ड से अलग से लिए गए थे।

मार्च 2007 की समाप्ति पर भी ऐसा ही कार्य किया गया था जहां बाजार उधार, पॉवर बांडों और क्षतिपूर्ति बांडों के आंकड़े रिज़र्व बैंक के रेकार्ड से तथा एनएसएसएफ के वित्त मंत्रालय से लिए गए थे। अन्य सभी मदों के लिए, राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित प्रवाह आंकड़े (फ्लो फिगर्स) मार्च 2006 के बकाया आंकड़ों में जोड़े गए। मार्च 2008 के अंत की स्थिति के संबंध में, बजट दस्तावेजों के प्रवाह आंकड़े मार्च 2007 के अंत के उपर्युक्तानुसार संकलित बकाया के आंकड़ों में जोड़े गए। पॉवर बांडों के मामले में पॉवर बांडों की चुकौती के आंकड़े रिज़र्व बैंक के रेकार्ड से लिए गए और मार्च 2007 के अंत में बकाया पॉवर बांडों से घटा दिए गए। संगत आंकड़ों के अन्य स्रोत के अभाव में इस पद्धति को अपनाकर राज्य सरकारों की बकाया देयताएं इस रिपोर्ट में संकलित की गई हैं। इसी पद्धति को अपनाकर पिछले वर्षों, अर्थात मार्च 2004 की समाप्ति और मार्च 2005 की समाप्ति के ऋण की स्थिति संशोधित करने का कार्य भी किया गया।

चार्ट 15 : बकाया देयताएं - गैर विशेष वर्ग के राज्य

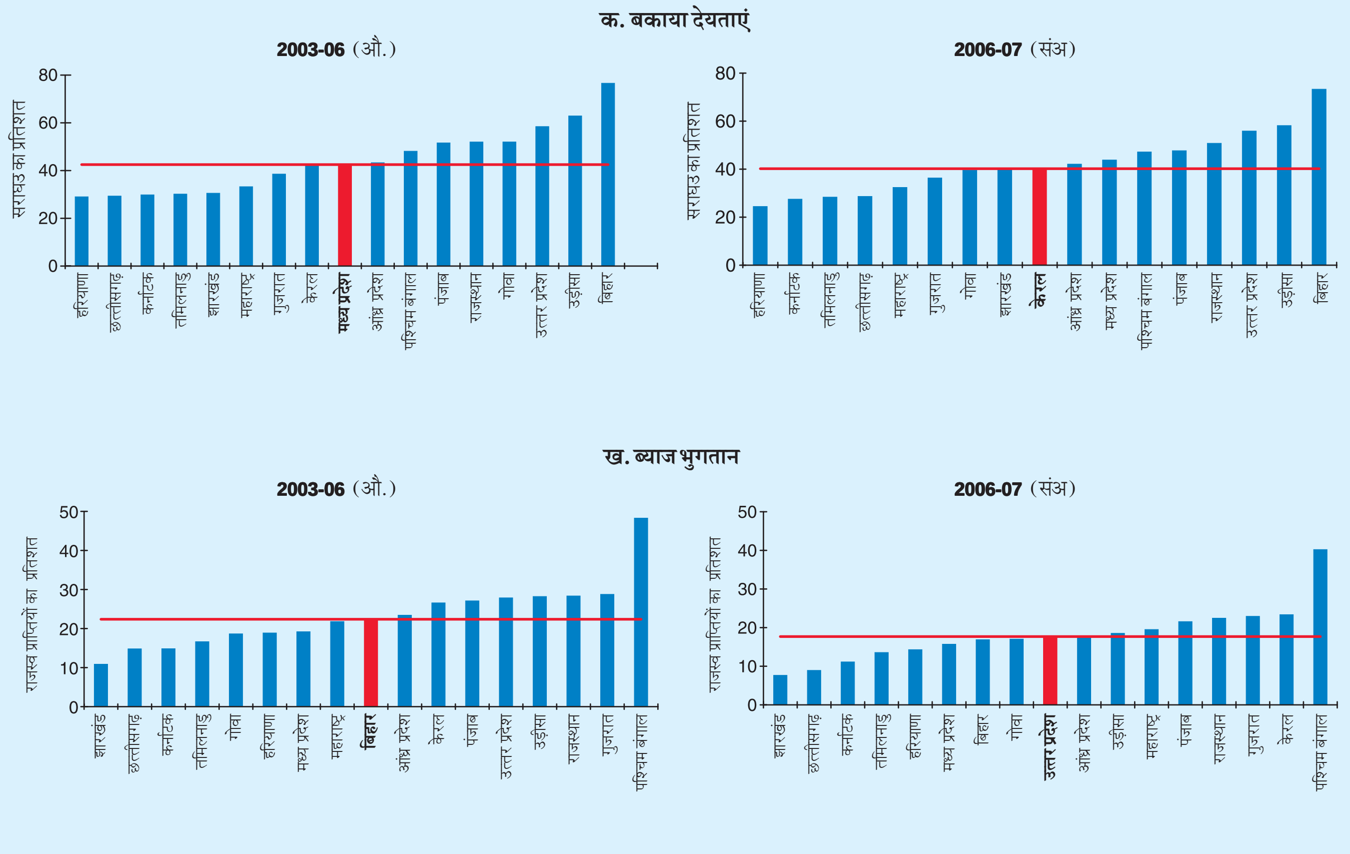

संकेतक होती है, में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिसमें माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 22.4 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 17.7 प्रतिशत रह गया (चार्ट 15 ख)। झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के संबंध में यह अनुपात तुलनात्मक रूप से कम था (15.0 प्रतिशत से कम) जबकि पश्चिम बंगाल का अनुपात अधिक (30 प्रतिशत से अधिक) था (सारणी 34)। आइपी/आरआर अनुपात में गिरावट सामान्यतः ऋण अदला-बदली योजना (डीएसएस) के कारण ब्याज भुगतान में गिरावट दर्शाती है।

ऋण धारणीयता के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की ओर से राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया है और यह सुझाव दिया है कि किसी राज्य का समग्र उधार कार्यक्रम सभी स्रोतों से उधार को हिसाब में लेते हुए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक आधार पर निर्धारित होना चाहिए। राज्य सरकारें ऋण के स्तर को नियंत्रित रखने और उसे धारणीय स्तर पर लाने के लिए एफआरएल लागू करना, समेकित शोधन निधि और गारंटी शोधन

सारणी 33 : ऋण / सराघउ अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
35 से कम	हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक , छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड	हरियाणा, कर्नाटक , तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
35 से 50	गुजरात, आंध्र प्रदेश केरल, **मध्य प्रदेश** पश्चिम बंगाल	गुजरात, **केरल,** गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश
50 से 70	गोवा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
70 से अधिक	बिहार	बिहार

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

निधि की स्थापना तथा गारंटी पर उच्चतम सीमा लगाने जैसा संस्थागत तंत्र स्थापित कर रही हैं।

विशेष वर्ग के राज्य

विशेष वर्ग के राज्यों के ऋण - जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 74.3 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2006-07 (संशोधित अनुमान) के दौरान 65.1 प्रतिशत हो गया। विशेष वर्ग के राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात का वर्तमान स्तर सापेक्षिक रूप से अधिक माना गया है, ऐसा इन राज्यों के बीच मौजूद व्यापक अंतर के बावजूद है (चार्ट 16 क)। जबकि मिजोरम और मणिपुर के ऋण का स्तर काफी अधिक बना रहा, (उनके संबंधित जीएसडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक), कुछ अन्य राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में, उपर्युक्त 80 प्रतिशत से अधिक के अनुपात को लेते हुए, उनके ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2003-06 (औसत) के स्तर से 2006-07 (सं. अ.) में तेजी से बढ़ोत्तरी दिखी। दूसरी तरफ, हिमाचल प्रदेश का ऋण - जीएसडीपी अनुपात 2003-06 (औसत) के 79.8 प्रतिशत से रूप से कम होगा।

सारणी 34 : ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां अनुपात स्तर के अनुसार गैर - विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
15 से कम	झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक	झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक , तमिलनाडु, हरियाणा
15 से 25	तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, **बिहार**, आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, **उत्तर प्रदेश**, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल
25 से 30	केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात	–
30 से अधिक	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

2006-07 (सं.अ.) में 66.5 प्रतिशत रह गया। दोनों अवधियों के दौरान असम, नागालैण्ड, उत्तराखंड और मेघालय में ऋण -जीएसडीपी अनुपात सापेक्षिक रूप से कम (50 प्रतिशत से कम) बना रहा (सारणी 35)।

आइपी/आरआर का माध्यिका स्तर 2003-06 (औसत) के 12.1 प्रतिशत से घटकर 2006-07 (संशोधित अनुमान) में 10.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट 16 ख)। हिमाचल प्रदेश (24.0 प्रतिशत) को छोड़कर सभी विशेष वर्ग के राज्यों का ऋण चुकौती भार 2006-07 के दौरान 15 प्रतिशत से कम था, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को मार्च 2010 के अंत तक प्राप्त किया जाना है। कुछ विशेष वर्ग के राज्यों का आइपी-आरआर अनुपात 10 प्रतिशत से कम था (सारणी 36)।

VI.2 बाजार उधार

VI.2.1 समेकित स्थिति

राज्य सरकारें विभिन्न अवधियों वाली दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिनमें अधिकांशतः बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंशदान किया जाता है। राज्य सरकारों की समग्र बकाया देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 1991 के अंत के 12.2 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 14.8 प्रतिशत और आगे बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 20.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 32)। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, 2005-06 से राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय ऋणों के संबंध में

सारणी 35 : ऋण / सराघउ अनुपात स्तर के अनुसार विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
40 से कम	असम	असम
40 से 50	मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड	उत्तराखंड, नागालैंड, मेघालय
50 से 60	त्रिपुरा	त्रिपुरा
60 से अधिक	जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश **सिक्किम**, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	**हिमाचल प्रदेश**, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 16 : बकाया देयताएं - विशेष श्रेणी के राज्य

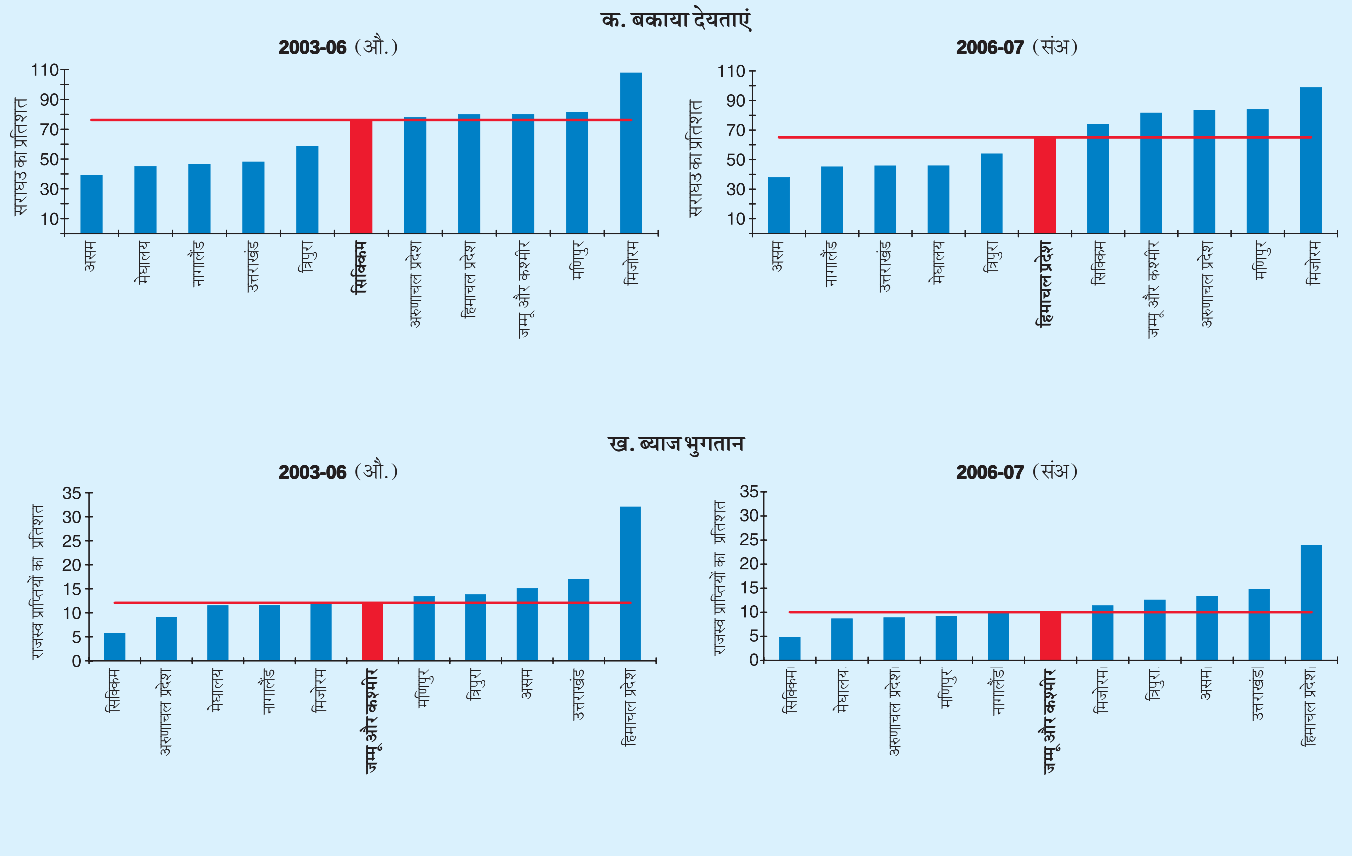

केन्द्रीय बजट में अब कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है और राज्यों से अपेक्षा है कि वे योजना कार्यक्रमों[8] के लिए संसाधन जुटाने हेतु बाजार में प्रवेश करें। कुल ऋण में राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2006 के अंत से लगभग 19.5 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

सारणी 36 : ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**2003-06** (औ.)	**2006-07** (सं.अ.)
1	2	3
10 से कम	सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड
10 से 15	मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, **जम्मू और कश्मीर** मणिपुर, त्रिपुरा	मिजोरम, त्रिपुरा, असम , उत्तराखंड, **जम्मू और कश्मीर**
15 से 20	असम, उत्तराखंड	–
20 से अधिक	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के अधिक लागत वाले बाजार ऋणों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 2007 की समाप्ति को, 10 प्रतिशत और अधिक ब्याज दर वाले बकाया बाजार उधार का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 32.2 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशत अंक गिरकर 27.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 37)।

VI.2.2 2007-08 के दौरान बाजार उधार का आबंटन

रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार, राज्य सरकारों के बाजार उधारों का निवल आबंटन धीमी गति से बढ़ा है (सारणी 38 और विवरण 29)। अतिरिक्त आबंटनों में 2007-08 के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि 2006-07 तक इसमें गिरावट दिखी। राज्य सरकारों

[8] तथापि, बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा केंद्र से ऋणों के संबंध में प्राप्तियों के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करना जारी है।

सारणी 37 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक की ब्याज दर स्थिति
(मार्च के अंत में)

ब्याज दर का दायरा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल का प्रतिशत	
	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	33,825	14.8	13.9
6.00-6.99	58,563	58,564	25.6	24.1
7.00-7.99	49,601	59,638	21.7	24.5
8.00-8.99	8,004	18,791	3.5	7.7
9.00-9.99	5,412	5,412	2.4	2.2
10.00-10.99	14,563	14,468	6.4	6.0
11.00-11.99	17,062	16,934	7.5	7.0
12.00-12.99	26,146	25,960	11.4	10.7
13.00-13.99	15,722	9,186	6.9	3.8
जोड़	**2,28,898**	**2,42,777**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

के लिए उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटनों को 2007-08 के दौरान 28,811 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 67.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 11,555 करोड़ रुपए के पुनर्भुगतान और 5,625 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन को ध्यान में रखते हुए, सकल आबंटन की राशि 45,990 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72.9 प्रतिशत अधिक है (परिशिष्ट सारणी 23)। 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) राज्यों ने 8.00-8.90 प्रतिशत की सीमा में निर्दिष्ट दर के साथ नीलामी के माध्यम से 30,875 करोड़ रुपए (सकल आबंटन का 67.2 प्रतिशत) के बाजार उधार जुटाए। बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर, जो 1990 के दशक के मध्य से 2003-04 तक कम हुई थी, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अनुरूप 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) बढ़कर 8.39 प्रतिशत हो गई, जो ब्याज दरों में सामान्य ऊर्ध्वमुखी वृद्धि को दर्शाती है(सारणी 39)। 2007-08 में अब तक (30 नवंबर 2007 तक) बाजार उधारों की संपूर्ण राशि 2006-07 की तरह नीलामी के माध्यम से जुटाई गई, यह बेहतर वित्तीय दशाओं के आधार पर बाजार से उधार जुटाने के राज्य सरकार के इरादे को दर्शाता है।

सारणी 38 : राज्य सरकारों की बाजार उधारियां
(करोड़ रुपए)

मदें	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242	28,811
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	2,803	5,625
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	–	–	–
4. कुल (1+2+3)	29,144	46,660	36,971	19,634	20,046	34,436
5. चुकौती	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551	11,555
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,094	25,908	26,597	45,990
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	–	–	–
8. आरआइडीएफ ऋणों की पूर्व चुकौती से जुटाई गई राशि	–	–	1,386	–	–	–
9. कुल जुटाई गई राशि (i + ii)	30,853	50,521	39,101	21,729	20,825	30,875
(i) टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	–	–
(ii) नीलामियां	2,973	2,895	885	10,543	20,825	30,875
	(13)	(8)	(3)	(24)	(22)	(21)
10. जुटाई गई निवल राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	14,274	19,320
11. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस के अतिरिक्त) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	14,274	19,320
12. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस और आरआइडीएफ के अतिरिक्त) (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	14,274	19,320
ज्ञापन मदें :						
(i) कूपन / अधिकतम आय दायरा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66	8.00-8.90
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.10	8.39
(iii) औसत परिपक्वता अवधि (वर्ष)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00	10.00

* : 30 नवंबर 2007 तक जुटाई गई राशि
डीएसएस : ऋण स्वैप योजना '–' : शून्य / लागू नहीं
टिप्पणी : (i) कोष्ठकों के आंकड़े नीलामी रूट का विकल्प देने वाले राज्यों की संख्या दर्शाते हैं।
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक रिकार्ड के अनुसार बाज़ार उधार संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़ों से अलग हो सकते हैं।
स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

सारणी 39 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय

वर्ष	दायरा (प्रतिशत)	भारित औसत (प्रतिशत)	कुल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91	11.50	11.50	2,569
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
1992-93	13.00	13.00	3,805
1993-94	13.50	13.50	4,145
1994-95	12.50	12.50	5,123
1995-96	14.00	14.00	6,274
1996-97	13.75-13.85	13.83	6,536
1997-98	12.30-13.05	12.82	7,749
1998-99	12.15-12.50	12.35	12,114
1999-00	11.00-12.25	11.89	13,706
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2001-02	7.80-10.53	9.20	18,707
2002-03	6.60-8.00	7.49	30,853
2003-04	5.78-6.40	6.13	50,521
2004-05	5.60-7.36	6.45	39,101
2005-06	7.32-7.85	7.63	21,729
2006-07	7.65-8.66	8.10	20,825
2007-08*	8.00-8.90	8.39	30,875

* : 30 नवंबर 2007 तक ।
स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन

राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर बनी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों के लिए एक संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई। तदनुसार, सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2006-07 के लिए 9,875 करोड़ रुपए कर दिया गया। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की राज्यवार सीमा की वर्ष के अंत में समीक्षा की गई। यह पाया गया कि विद्यमान सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न कारण से पर्याप्त थी : (i) 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग (ii) जैसा कि बारहवें वित्त आयोग में कहा गया है राजकोषीय वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार राज्य सरकारों का अनुकूलन; इस प्रकार परिवर्तन के अंत का संकेत देना (iii) 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों की पर्याप्त चलनिधि का आशानुकूल बने रहना। तदनुसार, 2007-08 के दौरान विद्यमान राज्य-वार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम को बनाए रखने का निर्णय लिया गया (सारणी 40)।

2006-07 के दौरान, राज्य सरकारों का सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग

सारणी 40 : सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा - 1996 से 2007

अवधि	राशि (करोड़ रुपए)	पिछली सीमा की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3
i. अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234	शून्य
ii. मार्च 1999 से जनवरी 2001	3,941	76.4
iii. फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283	34.1
iv. अप्रैल 2002 से 2 मार्च 2003	6,035	14.2
v. 3 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004	7,170	18.8
vi. 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005	8,140	13.5
vii. 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006	8,935	9.8
viii. 1 अप्रैल 2006 आज की तारीख तक	9,875	10.5

स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

कम बना रहा। 2006-07 के दौरान ऐसे राज्यों की संख्या में कमी हो गई जिन्होंने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया था (2005-06 में 12 राज्यों की तुलना में 8 राज्य)। इसी प्रकार, 2006-07 के दौरान ओवरड्राफ्ट उपयोग करने वाली राज्य सरकारों की संख्या में कमी आई (2005-06 में आठ राज्यों की तुलना में दो राज्य) (विवरण 38)। इसने समग्र नकदी स्थिति में सुधार को दर्शाया जिसका परिणाम अधिकांश राज्य सरकारों के पास अधिशेष नकद शेषों का काफी अधिक संचयन हो गया।

2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) 904 करोड़ रुपए का राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (दैनिक बकायों का औसत) का उपयोग पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 246 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक था (चार्ट 17)। 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) सात राज्यों ने 1-155 दिनों की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया, जिसमें से तीन राज्यों ने 3-65 दिनों की अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया (विवरण 38)। कई राज्य सरकारों द्वारा अधिशेष नकद शेषों के उच्च स्तर को बनाए रखने के बावजूद, अर्थोपाय अग्रिम का अधिक उपयोग कुछ राज्यों के मामले में प्राप्तियों और व्ययों के बीच अस्थायी विषमता को दर्शाता है।

रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम भी प्रदान करती है, जो रिज़र्व बैंक से भिन्न मौद्रिक विस्तार का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष अर्थोपाय अग्रिम का सामान्य अर्थोपाय के पहले सहारा लेना चाहिए। 2000-01 से 2007-08 के दौरान (बजट अनुमान)

चार्ट 17: राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दैनिक बकाया का औसत)

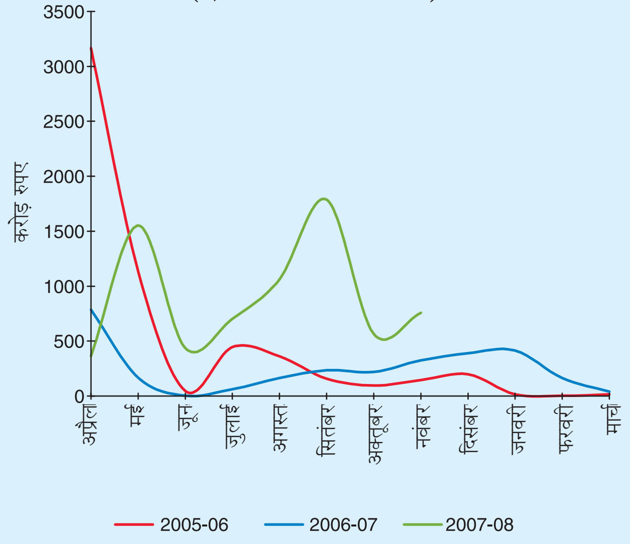

राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा दिए गए (सकल) अर्थोपाय अग्रिमों के आंकड़े, जैसाकि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सूचित किया गया, विवरण 39 में दिए गए हैं। ऐसे अग्रिमों की कुल राशि 2002-03 (बारह राज्य) में 3,329 करोड़ रुपए से निरंतर घटकर 2006-07 (संशोधित अनुमान) (दो राज्य) में 400 करोड़ रुपए हो गई है और 2007-08 (दो राज्य) में 400 करोड़ रुपए की समान राशि का बजट अनुमान लगाया गया है। विशेष वर्ग के राज्यों में असम और गैर-विशेष वर्ग के राज्यों में केरल ने 2007-08 के दौरान ऐसे अग्रिमों के लिए बजट प्रावधान किया है।

VI.4 आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं (शहरी स्थानीय निकायों सहित) की ओर से गारंटी और ऋण चुकौती आश्वासन-पत्र जारी करती रही हैं जिससे वे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटा सकें। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण है क्योंकि राज्य ऐसे निवेशों के लिए बजटीय सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं। राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां मार्च 2000 के अंत के 1,32,029 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,19,658 करोड़ रुपए (जीडीपी का 7.9 प्रतिशत) हो गईं, लेकिन मार्च 2006 के अंत में गिरकर 1,96,914 करोड़ रुपए (जीडीपी का 5.5 प्रतिशत) हो गईं (सारणी 41 और विवरण 43)।

सारणी 41 : राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

वर्ष (मार्च का अंत)	राशि (करोड़ रुपए)	सघउ का प्रतिशत
1	2	3
1992	40,158	6.1
1993	42,515	5.7
1994	48,865	5.7
1995	48,479	4.8
1996	52,631	4.4
1997	65,339	4.8
1998	73,751	4.8
1999	79,457	4.6
2000	1,32,029	6.8
2001	1,68,719	8.0
2002	1,65,386	7.3
2003	1,84,294	7.5
2004 अ	2,19,658	7.9
2005 अ	2,04,426	6.5
2006 अ	1,96,914	5.5

अ : अनंतिम
टिप्पणी : आंकड़े 2005 तक 17 राज्यों और 2006 के लिए 16 राज्यों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों और राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी।

आकस्मिक देयताएं प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के ऋण भार का हिस्सा नहीं बनती हैं। तथापि, उधार लेने वाली एजेंसी के द्वारा चूक की दशा में राज्यों को ब्याज चुकाने का दायित्व पूरा करना होगा। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय निहितार्थ को देखते हुए, कई राज्यों ने अपने एफआरएल अथवा अन्य रूप में गारंटियों पर सीमा (वैधानिक अथवा प्रशासनिक) लगाना शुरू किया है और वे बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गारंटी शुल्क निर्धारित करने के माध्यम से गारंटी शोधन निधि स्थापित करने की प्रक्रिया में भी हैं। अब तक, दस राज्य सरकारों ने गारंटी शोधन निधि की स्थापना की है। जून 2007 के अंत में गारंटी शोधन निधि में कुल निवेश 2,481 करोड़ रुपए था। बेजबरुआ समिति ने सिफारिश की कि समेकित ऋण शोधन निधि/ गारंटी शोधन निधि में राज्यों का निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश उनके सामान्य अर्थोपाय सीमा के उच्चतम तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग करने के लिए पात्र हो सकता है। इन सिफारिशों के फलस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में राज्य सरकारों के बीच गारंटी शोधन निधि के लिए संशोधित मॉडल योजनाएं परिचालित की थीं। 30 जून 2007 को, दस में से तीन राज्यों ने संशोधित गारंटी शोधन निधि योजना स्वीकार की।

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

राज्य सरकारों की ऋण स्थिति न केवल उनकी बकाया देयताओं के समग्र स्तर बल्कि ऐसे विभिन्न संकेतकों पर भी, जो ऋण की वहनीयता निर्धारित करते हैं, निर्भर होती है। इस खंड में ब्याज भुगतानों के बोझ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के परिपक्वता पैटर्न के अनुसार राज्य सरकारों की ऋण वहनीयता का तथा राज्य सरकारों द्वारा चलनिधि प्रबंधन के संदर्भ में उठने वाली मुद्दों का मूल्यांकन किया जाता है।

VI.5.1 ब्याज भुगतान

राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात, जो ऋण वहनीयता का एक प्रमुख संकेतक है, 1990-91 के 13.0 प्रतिशत से तेजी से क्षरित होकर 2003-04 में 26.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गया लेकिन इसके पश्चात इसमें ऋण स्वैप योजना (2002-03 से 2004-05 तक) के कारण व्यापक रूप से गिरावट आई। 2007-08 के दौरान इस के 16.9 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है। राज्य वित्तों के लिए सुझाए गए पुनर्संरचित मार्ग के अनुसार, बारहवें वित्त आयोग के कार्य काल की अवधि के अंतिम वर्ष (2009-10) की समाप्ति तक इस अनुपात को सभी राज्यों के द्वारा धीरे-धीरे कम करके 15 प्रतिशत तक किए जाने की आवश्यकता है। ब्याज भुगतानों का बोझ,यदि नियंत्रित नहीं किया गया, तो राज्य सरकारों के लिए घाटा, ऋण और ब्याज भुगतानों का दुष्चक्र शुरू हो सकता है (चार्ट 18)।

चार्ट 18 : घाटा, ऋण और ब्याज भार

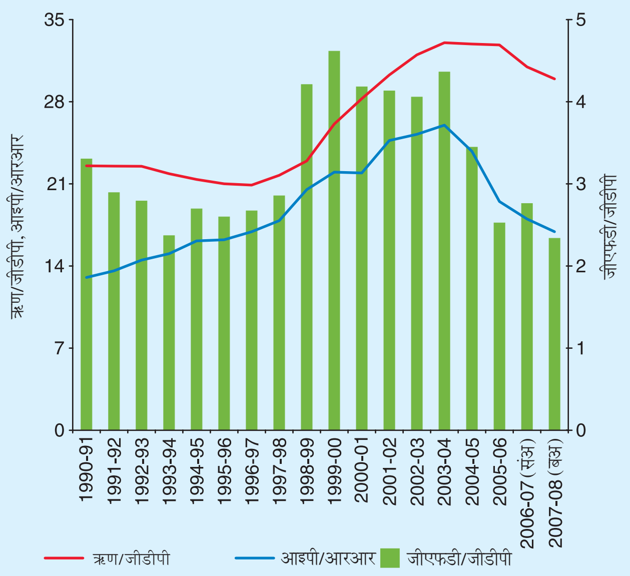

हाल के वर्षों में, ऋण वृद्धि में गिरावट राजकोषीय घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का परिणाम है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण राहत ने हाल के वर्षों में ऋण को कम करने में मदद की है। केंद्र के उच्च लागत ऋण का पूर्व भुगतान करने के लिए हाल की ऋण स्वैप योजना सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों का प्रभाव राज्य सरकारों के बकाया ऋण पर औसत ब्याज दर 1999-2000 के 11.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम होकर 2004-05 में 9.5 प्रतिशत और 2007-08 (बजट अनुमान) में 8.1 प्रतिशत होने में परिलक्षित हुआ है (सारणी 42)।

VI.5.2 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का परिपक्वता-स्वरूप

परिपक्वता-स्वरूप के अनुसार राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 41.2 प्रतिशत मार्च 2007 के अंत में सात वर्ष के ऊपर के परिपक्वता कोष्ठक से संबंधित था और 67.1 प्रतिशत पाँच वर्ष की परिपक्वता के ऊपर था। बकाया ऋण का केवल 17.4 प्रतिशत 0-3 वर्ष के परिपक्वता कोष्ठक में था और 32.9 प्रतिशत 5 वर्ष से कम के परिपक्वता कोष्ठक में था (सारणी 43)।

सारणी 42 : राज्य सरकार की बकाया देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औसत ब्याज दर*
1	2
1991-92	8.5
1992-93	9.0
1993-94	9.4
1994-95	10.3
1995-96	10.1
1996-97	10.2
1997-98	10.5
1998-99	10.7
1999-00	11.2
2000-01	10.0
2001-02	10.4
2002-03	10.0
2003-04	10.2
2004-05	9.5
2005-06	8.2
2006-07 (सं.अ.)	8.2
2007-08 (ब.अ.)	8.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की बकाया देयताओं द्वारा भाग देकर परिकलित

स्रोत : सारणी 31 के समान।

ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान उधारों की अधिक राशि के कारण बाजार उधारों के परिपक्वता स्वरूप में 2012-13 से 2015-16 के दौरान बड़ा पुनर्भुगतान दिखाई पड़ता है। बकाया बाजार ऋणों के राज्य-वार और प्रतिभूति-वार ब्यौरे विवरण 32 में दिए गए हैं।

VI.5.3 नकद शेषों के निवेश

एक मुद्दा, जो राज्य सरकारों के चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव डालता है, अधिशेष नकद शेष से संबंधित है। राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेष की बहुत बड़ी राशि 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में उनके व्यापक निवेश में परिलक्षित हुई (चार्ट 19)। राज्य सरकारों ने अपने अधिशेष नकदी शेषों का निवेश नीलामी खज़ाना बिलों में भी किया। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों और नीलामी खज़ाना बिलों में राज्य सरकारों के समन्वित निवेश 23 नवंबर 2007 को 62,996 करोड़ रुपए थे। चूँकि राज्यों को इन निवेशों पर, इनके संसाधनों के लिए उधारों की लागत की तुलना में,

सारणी 43 : बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरूप
(मार्च 2007 के अंत में)

राज्य	कुल बकाया राशि का प्रतिशत				
	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-7 वर्ष	7 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	4.28	16.48	17.13	26.03	36.08
2. अरुणाचल प्रदेश	2.44	4.57	12.37	14.62	66.00
3. असम	5.10	12.62	15.07	21.62	45.59
4. बिहार	7.50	11.84	22.12	23.94	34.59
5. छत्तीसगढ़	6.86	17.24	20.34	22.99	32.57
6. गोवा	2.77	16.11	16.94	23.80	40.38
7. गुजरात	3.74	12.63	16.88	37.88	28.87
8. हिमाचल प्रदेश	1.67	8.78	14.36	28.55	46.63
9. हरियाणा	5.07	12.15	13.10	31.64	38.04
10. जम्मू और कश्मीर	3.35	7.19	16.50	27.74	45.22
11. झारखंड	6.93	10.95	20.25	22.85	39.02
12. कर्नाटक	3.95	16.06	19.28	27.36	33.35
13. केरल	5.16	11.52	16.45	18.98	47.88
14. मध्य प्रदेश	4.54	11.41	13.16	22.86	48.02
15. महाराष्ट्र	3.88	8.43	11.98	27.39	48.31
16. मणिपुर	4.28	9.32	10.78	14.22	61.40
17. मेघालय	4.30	13.83	15.31	12.54	54.02
18. मिजोरम	2.56	9.16	11.12	20.93	56.23
19. नागालैंड	4.20	13.07	17.11	17.29	48.33
20. उड़ीसा	8.07	14.81	19.65	24.64	32.83
21. पंजाब	3.47	11.02	9.10	30.59	45.82
22. राजस्थान	4.69	15.86	17.05	24.94	37.46
23. सिक्किम	4.96	18.59	9.24	7.07	60.14
24. त्रिपुरा	3.92	15.00	14.35	17.18	49.55
25. तमिलनाडु	4.96	10.26	16.31	26.84	41.63
26. उत्तराखंड	2.23	6.25	8.03	40.17	43.32
27. उत्तर प्रदेश	5.82	16.35	16.00	20.10	41.72
28. पश्चिम बंगाल	4.16	8.64	11.74	29.67	45.79
सभी राज्य	**4.76**	**12.64**	**15.54**	**25.83**	**41.23**

स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

सारणी 44 : बकाया राज्य ऋण एवं पावर बांड की परिपक्वता का स्वरूप
(मार्च 2007 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राज्य ऋण	पावर बांड	कुल
1	2	3	4
2007-08	11,555	1,453	13,008
2008-09	14,371	2,907	17,278
2009-10	16,315	2,907	19,222
2010-11	15,734	2,907	18,641
2011-12	21,999	2,907	24,906
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,907	38,098
2016-17	31,522	1,453	32,975
जोड़	**2,42,777**	**26,051**	**2,68,828**

स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

चार्ट 19 : राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में निवेश
(दैनिक बकायों का औसत)

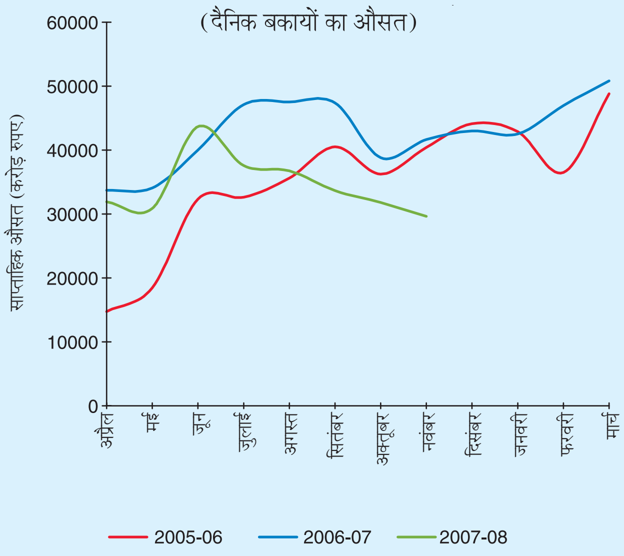

कम दर पर प्रतिफल मिलता है, इससे उनके राजस्व खाते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एक दूसरा मामला, जिसका राज्य सरकारों के चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है, उनके ऋणात्मक प्रारंभिक नकद शेष से संबंधित है। कई राज्य सरकारों ने (सात विशेष वर्ग के और बारह गैर-विशेष वर्ग के) 2007-08 के लिए बजट अनुमानों में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष दर्ज किए हैं जो (-)5 करोड़ रुपए (पश्चिम बंगाल) और (-) 2,470 करोड़ (असम) के बीच भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से कई राज्यों ने विगत में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष दर्ज किया है। प्रारंभिक नकदी घाटा प्रत्याशित चलनिधि की समस्या को बतलाता है, जिसे उस सीमा तक तीव्र बनाया जा सकता है जिस सीमा तक वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां कुल व्ययों (अर्थात परंपरागत बजट घाटा) से कम होती हैं, जब तक कि इन्हें अतिरिक्त संसाधन जुटा करके समाप्त नहीं कर दिया जाता। इससे नकदी/निवेश शेषों का आहरण करने अथवा रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ेगी।

VI.5.4 ऋण समेकन और राहत

बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत केंद्रीय ऋणों के समेकन के लिए एक ऋण राहत पैकेज प्रस्तुत किया है। ऋण समेकन और राहत सुविधा के दो हिस्से हैं : (i) सभी राज्य सरकारों पर लागू ऋण राहत की सामान्य योजना और (ii) राजकोषीय कार्य निष्पादन से संबद्ध बट्टे खाते डालने की योजना जिससे 2008-09 तक राजस्व शेषों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। ऋण समेकन और राहत सुविधा का उपयोग राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाने, प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष में राजकोषीय घाटे में कमी की मात्रा और 2004-05 के स्तर पर सकल राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के अधीन होगा। चौबीस राज्य सरकारें अभी तक ऋण समेकन से लाभान्वित हुई हैं (30 अगस्त 2007 के अनुसार)। 30 अगस्त 2007 को राज्य सरकारों के ऋण समेकन की कुल राशि 1,09,977 करोड़ रुपए, ऋण बट्टे खाते डालने की राशि 8,474 करोड़ रुपए और ब्याज राहत राशि 8,387 करोड़ रुपए है (विवरण 46)।

VII. राज्य सरकारों के राजकोषीय अंतरण

राज्यकोषीय अंतरण सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यों और वित्तीय संसाधनों के आबंटन के फलस्वरूप, राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय सरकारों के बीच उत्पन्न हुए असंतुलनों को दूर करके सरकार के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में संघीय प्रणाली के अंतर्गत, जबकि आर्थिक और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है, उनके अपने संसाधन जरूरतों से कम पड़ जाते हैं, जिससे केंद्र से राज्यों के लिए राजकोषीय अंतरण की आवश्यकता आ पड़ती है (परिशिष्ट 4)। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। नौवें वित्त आयोग की शुरुआत से, वित्त आयोग ने अंतर-भरण दृष्टिकोण के स्थान पर प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाया है। समानीकरण अंतरण के लिए एक व्यापक भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने कुल अंतरणों में अनुदानों के हिस्से को बढ़ाना प्रस्तावित किया है। जहाँ तक करों के अंतरण की बात है, दसवें वित्त आयोग ने कर अंतरण की एक वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की जिसमें राज्यों को सभी केंद्रीय करों के कुल निवल आगमों में हिस्सा दिया जाएगा। इस योजना को ग्यारहवें वित्त आयोग से आगे लागू किया गया। इस अंतरण ने केंद्र सरकार को समन्वित रूप से कर सुधार को आगे बढ़ाने में और अधिक स्वतंत्रता तथा नमनीयता प्रदान की तथा केंद्रीय करों के सकल आधिक्य का बँटवारा करने में राज्यों की मदद की।

राज्य सरकारों द्वारा 2007-08 में समेकित स्तर पर राजस्व आधिक्य का अनुमान लगाने के कारण, राज्यों की वित्तीय स्थिति में दो दशकों के पश्चात काफी परिवर्तन परिलक्षित होगा[9]। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन तथा अधिकांश राज्यों (अब तक छब्बीस) द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाए जाने के संदर्भ में राजकोषीय अंतरणों की भूमिका का विश्लेषण और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। इस खंड में चार वित्त आयोगों अर्थात नवें वित्त आयोग (1990-95), दसवें वित्त आयोग (1995-2000), ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-05) और बारहवें वित्त आयोग (2005-06 से अब तक) की अवधि के दौरान राज्यों की राजकोषीय स्थिति निर्धारित करने में राजकोषीय अंतरणों की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

[9] वर्ष 1986-87 से राज्य सरकारों के समेकित राजस्व लेखे घाटे में चले गए।

VII.1 अवधारणा, संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत व्यवस्था

VII.1.1 अवधारणा

संघीय व्यवस्था में राजकोषीय अंतरण कर डिवोलूशन और अनुदानों के माध्यम से किए जाते हैं जिसे केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों से संपूरित किया जाता है। अन्य संघीय देशों में अपनाई गई प्रथा के अनुसार, भारत में राजकोषीय अंतरण 'समानीकरण' के सिद्धांत से संचालित है, जो राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता में कमी को निष्प्रभावी करता है, लेकिन राजस्व प्रयास को नहीं। राजकोषीय अंतरणों के प्रति प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रतिकूल प्रोत्साहनों को निष्प्रभावी करता है क्योंकि राज्यों को उस राजस्व के अर्थ में मूल्यांकित किया जाता है, जिसे उन्हें अपनी-अपनी क्षमताओं को देखते हुए उगाहना चाहिए। इसी प्रकार, व्ययों का मूल्यांकन सेवा के औसत अथवा न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से संबद्ध आवश्यकता और संबंधित लागत मानदंडों के आधार पर किया जाता है, न कि व्ययों के विगत इतिहास के आधार पर। आस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रमुख संघों में राजकोषीय अंतरण प्रथा बॉक्स 8 में दी गई है।

राजकोषीय अंतरणों का उद्देश्य ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों को दूर करना है। ऊर्ध्वस्थ असंतुलन इसलिए होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार को अधिक संसाधन दिए गए हैं जबकि राज्य सरकारों को अधिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्षैतिज असंतुलन भिन्न राजकोषीय क्षमताओं और राज्यों को आवश्यकताओं के साथ-साथ सेवाएं देने की अलग-अलग लागतों के कारण उत्पन्न होते हैं (बॉक्स 9)। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अंतरणों का कुल मिलाकर उद्देश्य ऊर्ध्वस्थ असंतुलनों को ठीक करना है। राज्य सरकारों के बीच अंतरणों के आबंटन का उद्देश्य क्षैतिज असंतुलनों को ठीक करना है। अंतरणों की वर्तमान योजना में, कर डिवोल्यूशन ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों को ठीक करने में दुहरी भूमिका निभाता है, जबकि अनुदान सहायता का उद्देश्य मुख्य रूप से समानीकरण के स्तर को प्राप्त करना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत वैधानिक अनुदानों के अलावा, योजना आयोग द्वारा निर्णीत राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को कवर करने वाले योजना अनुदान हैं, इसी तरह योजना के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए योजना अनुदान हैं (बॉक्स 10)। दूसरे प्रकार के अनुदानों में, जो परिमाण में काफी छोटे हैं, योजना से इतर पक्ष में रखे गए राज्यों को केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए गए विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं।

VII.1.2 संवैधानिक प्रावधान

भारत में, केंद्र से राज्यों को राजकोषीय अंतरण संविधान में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किए जाते हैं। निम्न के माध्यम से संसाधनों के व्यापक अंतरण को आसान बनाने के लिए संविधान में अनिवार्य और प्रभावशाली उपबंध किए गए हैं[10] :

क) केंद्र द्वारा शुल्क को लगाया जाना लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाना और अपने पास बनाए रखना (अनुच्छेद 268);

ख) केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर और शुल्क लेकिन राज्यों को संपूर्ण रूप में दे दिए गए (अनुच्छेद 269);

ग) आयकर से प्राप्त आगम का अनिवार्य रूप से बंटवारा (अनुच्छेद 270);

घ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आगमों में अनुमतियोग्य सहभागिता (अनुच्छेद 272);

ङ) राज्यों को राजस्व की वैधानिक अनुदान-सहायता (अनुच्छेद 275);

च) किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान (अनुच्छेद 282); और

छ) किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऋण देना (अनुच्छेद 293)।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के बंटवारे का कार्य वित्त आयोग को सौंपा गया है (अनुच्छेद 280)। यह केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच करों के निवल आगमों तथा राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता के भी वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग के सामने मुख्य विचारणीय मुद्दे इनसे संबंधित हैं (क) राज्यों का कुल हिस्सा निर्धारित करना, (ख) ऐसे मानदंड निर्धारित करना जिन्हें अलग-अलग राज्यों के बीच हिस्सा तय करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और (ग) बँटवारे संबंधी विभिन्न मानदंडों से संबद्ध भारों को निर्धारित करना। अंतरणों के हिस्से के परस्पर मानदंड विचारणीय विषयों की तीन बातों पर आधारित हैं : अर्थात, आवश्यकताएं, लागत असमर्थता और राजकोषीय कार्यक्षमता।

[10] **स्रोत:** विठ्ठल बी. पी. आर. एवं एम. एल. शास्त्री (2001), ''फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया'', ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।

बॉक्स 8 : आस्ट्रेलिया और कनाडा में राजकोषीय अंतरण

संघीय राज्यों के बीच ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलन एक सामान्य घटना है जिसमें केंद्र से राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण की प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है। दो बड़े संघों अर्थात आस्ट्रेलिया और कनाडा में संघीय अंतरण की विशेषताओं की चर्चा नीचे की गई है।

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया में राजकोषीय अंतरण के ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज पक्षों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सुस्थापित संस्थागत व्यवस्था की गई है। जबकि आस्ट्रेलिया सरकार की परिषद ऊर्ध्वस्थ अंतरणों को तय करती है, राष्ट्रकुल-राज्य वित्तीय संबंध की मंत्रि परिषद राज्यों को अनुदान आबंटन पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो ऊर्ध्वस्थ अंतरणों का एक घटक बनाती है। इसके अलावा, विशेष प्रयोजन मंत्रि-परिषद राष्ट्रकुल सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए विशेष प्रयोजन भुगतानों को देखती है। राष्ट्रकुल अनुदान आयोग, जो 1933 में स्थापित एक सलाहकार निकाय है, क्षैतिज राजकोषीय अंतरण के वितरण के लिए मानदंडों की सिफारिश करता है। राष्ट्रकुल अनुदान आयोग ऊर्ध्वस्थ असंतुलन के मुद्दों को नहीं देखता है। ऋण परिषद राष्ट्रकुल और राज्य सरकारों के उधारों का समन्वयन करती है।

आस्ट्रेलिया में ऊर्ध्वस्थ अंतरणों की सीमा और आकार के विकास को चार स्पष्ट चरणों में देखा जा सकता है : (i) 1976 के पहले, जब राज्यों को सामान्य राजस्व सहायता दी गई; (ii) 1976-1985 तक, जब राजस्व बँटवारे की व्यवस्था लागू की गई; (iii) 1986 से 1997 तक, जब वित्तीय सहायता अनुदानों की प्रणाली पुनः शुरू की गई और (iv) 1999 में अन्तर-सरकारी सहमति के पश्चात, जिसमें जीएसटी राजस्व के बँटवारे का प्रावधान किया गया है (रंगराजन और श्रीवास्तव, 2004)। आस्ट्रेलिया में ऊर्ध्वस्थ अंतरण में जीएसटी संग्रह, स्वास्थ्य देखभाल अनुदान और अनेक विशेष प्रयोजन भुगतान शामिल हैं। विशेष प्रयोजन भुगतान बार-बार दिए जाते हैं और पूँजी अनुदान राज्य के विशेष कार्यों जैसे सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा), सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी, आर्थिक सेवाओं (रोड, परिवहन, उद्योग सहायता, जल संसाधन) और अन्य सेवाओं (जैसे आवास और शहरी पुनर्नवीकरण, क्षेत्रीय विकास, आपदा राहत तथा ऋण प्रभार) के लिए दिए जाते हैं। विशेष प्रयोजन भुगतान आस्ट्रेलिया में ऊर्ध्वस्थ अंतरण के लगभग आधा हैं। राष्ट्रकुल आस्ट्रेलिया में 10 प्रतिशत की समान दर से जीएसटी वसूलता है। तथापि, 1999 में अंतर सरकारी सहमति के पश्चात, जीएसटी के अंतर्गत किए गए संग्रहणों को पूरी तरह से राज्यों को अंतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार, जीएसटी संग्रहणों की सीमा तक ऊर्ध्वस्थ अंतरण स्वयमेव निर्धारित हो जाता है।

राष्ट्रकुल अनुदान आयोग द्वारा अपनाया गया क्षैतिज राजकोषीय समानीकरण, सभी राज्यों में जन सेवाओं का समान स्तर सुनिश्चित करने की बात ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता को समान बनाने का प्रयास करता है। क्षैतिज राजकोषीय समानीकरण के तीन स्तम्भ हैं अर्थात, क्षमता समानीकरण, आंतरिक मानक और नीतिगत तटस्थता। राष्ट्रकुल अनुदान आयोग राज्यों के बीच फार्मूला आधारित प्रोसेसर अंतरण के अंतर्गत कार्य करता है। वर्षों के दौरान, राष्ट्रकुल अनुदान आयोग ने क्षैतिज राजकोषीय समानीकरण के लिए अपने मानदंडों को आसान बनाया है। 2005 में, राज्य सरकारों के कुल राजस्व का 46.2 प्रतिशत राष्ट्र कुल सरकारों का अनुदान था और स्थानीय सरकारों के कुल राजस्व का 13.2 प्रतिशत उच्च स्तरीय सरकारों का अनुदान (जीएफएस 2006) था।

कनाडा

कनाडा में अंतर-सरकारी अंतरणों में समानीकरण अनुदान, कनाडा के स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा अंतरण (सीएचएसटी) तथा क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीयन (टीएफएफ) शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, एक नई सुविधा है जिसे स्वास्थ्य सुधार निधि (एचआरएफ) कहते हैं। राजकोषीय क्षमताओं को समान करने के लिए समानीकरण अनुदानों को 1982 से संविधान में अनिवार्य किया गया है। कनाडा में ये अनुदान कुल अंतर-सरकारी अंतरणों के लगभग एक चौथाई हैं। समानीकरण अनुदान की संपूर्ण राशि प्रतिनिधि कर प्रणाली दृष्टिकोण के ढंग से निर्धारित की जाती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, एक विशेष प्रान्त के लिए अनुदान की संपूर्ण राशि का परिकलन, विभिन्न राजस्व स्रोतों के संबंध में मानक आधार और वास्तविक आधार के बीच अंतर के लिए, औसत राजस्व प्रयास का प्रयोग करके किया जाता है। कनाडा में, मानक आधार को पांच प्रांतों के औसत के रूप में माना जाता है।

सीएचएसटी प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों के लिए सबसे बड़ा संघीय अंतरण है। सीएचएसटी अंतरण का तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं का वित्तीयन है। सीएचएसटी दो प्रकार के हैं, अर्थात नकद और कर अंतरण केंद्र। 1977 में शुरू किए गए कर अंतरण बिंदु कनाडियन प्रणाली के संघीय अंतरण की अनोखी विशेषता है । इस प्रणाली के अंतर्गत, संघीय सरकार अपनी वैयक्तिक और कंपनी आय कर दरों को घटाने के लिए राजी हो गई और इसके पश्चात् संघीय सरकार द्वारा छोड़ी गई दरों पर उन्हीं कर आधारों से राजस्व एकत्र करने के लिए प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों को अनुमति दी गई। कर केंद्रों की सीमाओं का निर्धारण अलग-अलग प्रांतों अथवा क्षेत्रीय सरकारों और संघीय सरकार के बीच वार्ता के द्वारा किया जाता है। बड़े प्रांतों के कर केंद्र काफी ऊँचे हैं क्योंकि उनके कर आधार बहुत बड़े हैं। सीएचएसटी नकदी अंतरणों को, कर केंद्रों के अंतर्गत प्रांतीय प्रति व्यक्ति कुल पात्रता से अंतरण की राशि को घटाकर, अवशिष्ट के रूप में परिकलित किया जाता है। कनाडा में सीएचएसटी में कुल अंतर-सरकारी अंतरण का लगभग तीन-चौथाई है।

कनाडा में तीन क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीयन (टीएफएफ) के माध्यम से अपनी निधियों के एक हिस्से को प्राप्त करती हैं। इन विशेष अंतरणों का उद्देश्य आबादी के एक छोटे भाग, व्यापक क्षेत्र और मौसम की कठिन दशाओं के कारण प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रति व्यक्ति अधिक लागत के लिए क्षेत्रों की प्रतिपूर्ति करना है। क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीयन एक 'अंतर भरने वाला' फार्मूला है जिसमें व्यय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय सरकारों के अपने संसाधनों के बीच अंतर पर विचार किया जाता है। कनाडा में कुल सरकारी अंतरणों में क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीयन परिमाण का एक छोटा हिस्सा है।

2005 में, कनाडा में प्रांतीय सरकारों और स्थानीय सरकारों ने अपने कुल राजस्व का क्रमशः 17.6 प्रतिशत और 40.2 प्रतिशत अंतर-सरकारी अंतरणों के माध्यम से प्राप्त किया (ओईएफएस, 2006)।

संदर्भ

1. रंगराजन, सी. और श्रीवास्तव, डी.के. (2004), आस्ट्रेलिया में ''राजकोषीय अंतरण : समीक्षा और भारत में प्रासंगिकता'', वर्किंग पेपर सं.20, सार्वजनिक वित्त और नीति राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली।
2. रंगराजन, सी. और श्रीवास्तव, डी.के. (2004), ''कनाडा में राजकोषीय अंतरण : प्रतिस्पर्धा और सबक लेना'', वर्किंग पेपर सं.18, सार्वजनिक वित्त और नीति राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली।
3. मा जून (1997), ''इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांस्फर - ए कंपेरिजन ऑफ नाइन कंट्रीज'', विश्व बैंक।
4. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (2006), सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस)।
5. राष्ट्रकुल अनुदान आयोग (2002), गाइडलाइन्स फॉर इंप्लीमेंटिंग हॉरिजेंटल फिस्कल इक्वलाइजेशन।

बॉक्स 9 : क्षैतिज और ऊर्ध्वस्थ समता

किसी संघीय व्यवस्था में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों को ऐसे ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों की मध्यस्थता करने के लिए आवश्यकता है जो कार्यों के आबंटन और सरकार के विभिन्न स्तरों के वित्तीय स्रोतों के कारण हुए हैं। भारतीय संघ में, जबकि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के ऐसे सभी कार्य हैं जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का गठन, चुनाव, आदि तथा राज्यों को लोगों के जीवन और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य जैसे व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, पानी, आदि करने पड़ते हैं। कराधान की शक्तियों को भी संघ सरकार और राज्यों के बीच बाँटा गया है, केंद्र सरकार कृषि आय को छोड़कर अन्य आय, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निगम कर वसूलती है तथा राज्य सरकारें भूमि राजस्व, अल्कोहल शराब, कृषि आय पर कर, संपदा शुल्क, माल की खरीद/बिक्री पर कर, वाहनों, पेशों, विलासिता की वस्तुओं, मनोरंजन, स्टाम्प शुल्क, आदि पर कर वसूलती हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वस्थ असंतुलन कराधान की शक्तियों से संबंधित उपबंधों के द्वारा संविधान में दिया गया है, जो इस आधार पर राज्यों के सार्वजनिक व्यय से संबंधित कई प्रमुख कार्यों को सौंपने से और बढ़ गया है कि जनता के समीपतम होने के कारण वे ऐसी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के दान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अन्य कारकों के कारण, उनके विकास के स्तरों में अंतरों से राज्यों के बीच तीव्र क्षैतिज असंतुलन होते हैं। भारत में, राज्यों की न केवल संख्या अधिक है, उनमें कई अन्य मामलों जैसे क्षेत्र, आबादी का आकार, आय, कराधार और खनिज तथा वन संसाधनों में विविधता है। महत्वपूर्ण बात है कि धनी राज्यों की आबादी के हिस्से की तुलना में गरीब राज्यों की आबादी में अंतरण की आवश्यकता सापेक्षिक रूप से अधिक है। केंद्र और समानीकरण अनुदान के लिए उपलब्ध संसाधनों के राज्यों के बीच बँटवारे के द्वारा देश के सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए, केंद्र द्वारा राज्यों को राजकोषीय अंतरण का उद्देश्य ऐसे अंतर्निहित ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों को दूर करना है। भारत में, ऊर्ध्वस्थ असंतुलन राजस्व बँटवारे के द्वारा और क्षैतिज असंतुलन अनुदानों के द्वारा अनुपूरित राज्यों के बीच बँटवारे योग्य राजस्व के संवितरण के फार्मूले के माध्यम से ठीक किए जाने की आशा है। प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद बनाया जाने वाला वित्त आयोग, करों और अनुदान-सहायता के निवल आगम के वितरण की केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच भी सिफारिश करके, राजकोषीय अंतरण को सुगम बनाता है।

सरकार की संघीय प्रणाली वाले अन्य राज्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य सरकारों के राजस्व स्रोतों और व्यय उत्तरदायित्वों के बीच असंतुलन तथा विभिन्न राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं में अंतर की अधिकता भी है, जिससे असंतुलनों को दूर करने में राजकोषीय अंतरणों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा मिलता है। आस्ट्रेलिया की संघीय प्रणाली में क्षैतिज असंतुलनों की अधिक मात्रा और क्षैतिज असंतुलनों की सापेक्षिक रूप से कम मात्रा है। इन असंतुलनों को कर बँटवारा प्रबंधन और विशिष्ट प्रयोजन अनुदानों के माध्यम से ठीक किया जाता है। दूसरी तरफ, कनाडा के संघवाद में वास्तविक अंतर-प्रांतीय और आंतर-प्रांतीय अंतरों के कारण ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज दोनों असंतुलनों की बहुत अधिक मात्रा है। इसलिए, कनाडा में, संघीय अंतरणों की एक समानकारी और उदार व्यवस्था है जिसमें संघीय - प्रांतीय राजकोषीय व्यवस्था और स्थापित कार्यक्रम वित्तीयन अधिनियम, 1977 के अंतर्गत सांविधिक सब्सिडी और अंतरण शामिल हैं। कनाडा में दोनों स्तरों की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सशर्त समान अनुदानों के माध्यम से लागत में सहभागी होती हैं। अमरीका में भी, जहाँ पर सरकार के अनेक स्तर हैं, राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन काफी अधिक हैं और अंतरण क्रियाविधि में वास्तविक (सशर्त) अनुदान, समूह अनुदान और सामान्य राजस्व बँटवारा शामिल हैं। चार देशों अर्थात आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका और भारत में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों का तुलनात्मक मूल्यांकन नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी : अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध - एक तुलना

	भारत	आस्ट्रेलिया	कनाडा	अमरीका
कार्यों का बंटवारा				
1. महत्वपूर्ण कार्य जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, केंद्र के साथ बातचीत	हां	हां	हां	हां
2. राज्यों के शिक्षा, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, आदि से संबंधित कार्य	हां	हां	हां	हां
कर शक्तियों का बंटवारा				
1. केंद्र के महत्वपूर्ण और लोचपूर्ण कर	हां	हां	हां	हां
2. केंद्र के पास राज्यों पर अभिभावी शक्तियां हैं	हां	हां	हां	हां
3. केंद्र सभी कर लगा सकता है।	नहीं	हां	हां	हां
4. काफी मात्रा परस्पर व्यापी है	नहीं	नहीं	हां	हां
अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध				
1. औपचारिक	हां	हां	–	–
2. अनौपचारिक	–	–	हां	हां
3. ऊर्ध्वस्थ असंतुलन	भारी	भारी	भारी	भारी
4. क्षैतिज असंतुलन	ऊंचे	ऊंचे	ऊंचे	ऊंचे
5. असंतुलनों में सुधार	आंशिक	अत्यंत अधिक	अधिक	अधिक नहीं

संदर्भ :

1. विट्ठल, वी.पी.आर. और एम.एल.शास्त्री (2001), ''फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10) - नवंबर।

बॉक्स 10 : केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

भारत में, केन्द्र से राज्यों को निधियों का अंतरण सांविधिक और सांविधिकेतर दोनों मार्गों से किया जाता है। सांविधिक मार्ग के अन्तर्गत, वित्त आयोग हर पाँच वर्ष के लिए केंद्र से राज्यों को बँटवारे योग्य करों और योजनेतर अनुदानों की सिफारिश करता है। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा केंद्र से राज्यों को निधियों का अंतरण दो सांविधिकेतर मार्गों के द्वारा किया जाता है। पहला, राज्य योजनाओं को सहायता, जो केंद्रीय योजना सहायता (सीपीए) कहलाती है और दूसरा केंद्रीय मंत्रालयों की केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाएं (सीएसएस), जो संविधान के अनुच्छेद 282 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती हैं।

केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाएं लंबवत् अंतर पाटने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य राज्यों को उस व्यय के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय/क्षेत्रीय प्राथमिकता समझती है, जबकि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सामान्यतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। सीएसएस कई मंत्रालयों द्वारा बनायी जाती हैं, जो मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित केंद्रीय योजना बजट के माध्यम से केंद्र से राज्यों को निधियों का अंतरण करते हैं। लेकिन, योजनाओं का अनुमोदन और अनापत्ति योजना आयोग से अपेक्षित है, इसके पश्चात् केंद्रीय मंत्रालय राज्य-वार आबंटन करते हैं। अलग-अलग योजनाओं का परिव्यय और स्वरूप योजनाओं के साथ संलग्न उपबंधों और दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे राज्यों द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

शुरू में, सीएसएस केवल तभी बनायी जाती थीं जब कोई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य हो, जैसे निर्धनता उन्मूलन किया जाना हो अथवा कार्यक्रम का स्वरूप क्षेत्रीय अथवा अंतर-राज्य स्वरूप का हो अथवा नई गति देने वाला हो अथवा इसका प्रयोजन सर्वेक्षण या अनुसंधान हो। तथापि, राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के काफी बड़े क्षेत्र को शामिल करके सीएसएस की संख्या बढ़ाई गई। राज्य संबंधी विषयों पर केंद्र की बढ़ी हुई संलिप्तता के लिए महत्वपूर्ण कारण हैं : सामाजिक रूप से प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने में राज्यों की असमर्थता, राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रणनीति का अभाव और प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की अपर्याप्त प्रतिबद्धता। तथापि, सामाजिक कार्यक्रम के लिए बाह्य निधियों की उपलब्धता, जो कि राज्य का विषय है, और जिसे पहले सरकार की केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता था, योगदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक क्षेत्र के लिए बाह्य निधीयन, जो बाह्य एजेंसियों द्वारा आसान ऋण के रूप में दिया जाता है, के लिए निधियों के आसान प्रवाह हेतु जबाबदेही सुनिश्चित करने और गहरी निगरानी तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की शर्त रहती है।

विशेष प्रयोजन योजनाओं के रूप में, विशेष प्रयोजन अनुदान और ऋण, जिसे 1969 में सीएसएस का नाम दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच झगड़े का कारण हैं। राज्यों ने कहा है कि यदि केंद्र के पास अतिरिक्त संसाधन हैं, तो उसे शर्तमुक्त अथवा समूह सहायता के रूप में राज्यों को अंतरित किया जा सकता है न कि सशर्त सहायता के रूप में जैसा कि सीएसएस में है। 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक फैसला लिया कि राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता कुल मिलाकर समूह/बिना शर्त सहायता के रूप में दी जानी चाहिए और सीएसएस राशि को समूह सहायता के 1/6 तक सीमित किया जाना चाहिए। तथापि, सहायता की संख्या और राशि दोनों के अनुसार केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाओं में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

केंद्रीय योजना में सीएसएस के दो प्रकार हैं। सीएसएस के पहले वर्ग (वर्ग I) में वे योजनाएं शामिल हैं, जिसके लिए केंद्रीय बजट में परिव्यय को स्पष्ट रूप से सीएसएस योजनाओं के रूप में माना गया है और उसे राज्य बजटों के माध्यम से दिया जाएगा। वर्ग II की सीएसएस को केंद्रीय बजट में राज्यों के अंतरण के रूप में नहीं माना गया है और इसमें उन योजनाओं को शामिल किया गया है जिनका विभाग के विशिष्ट कार्यात्मक शीर्ष के अन्तर्गत एक पृथक कार्यक्रमात्मक लघु/अतिलघु शीर्ष के साथ बजट अनुमान लगाया गया है। वर्ग II की सीएसएस को या तो राज्य बजटों के माध्यम से पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से मार्गस्थ किया जाता है अथवा राज्य बजटों में शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें सीधे राज्य/जिला एजेंसियों को भेजा जाता है। 2007-08 के केंद्रीय बजट के अनुसार, वर्ग I सीएसएस के अन्तर्गत आबंटित राशि 21,880 करोड़ रुपए होगी, जो 2007-08 के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का 47.0 प्रतिशत होगी और जो 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 42.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। अनुमान है कि 2006-07 में केंद्र द्वारा प्रायोजित कुल 196 योजनाएं (वर्ग I और वर्ग II दोनों) थीं। इनमें से 24,802 करोड़ रुपए वाली 154 सीएसएस को राज्य बजटों के माध्यम से मार्गस्थ होने का अनुमान लगाया है और 36,516 करोड़ रुपए की 41 शेष सीएसएस राज्य बजटों से बाहर होंगी तथा पंचायती राज जैसी संस्थाओं के पास सीधे कार्यान्वयन के लिए जाएंगीं (राव, गुप्ता और जेना, 2007)। 2006-07 में सीएसएस के अन्तर्गत कुल अनुमानित परिव्यय केंद्रीय योजना के लिए सकल बजट सहायता का 46.7 प्रतिशत और राज्य सरकारों के अनुमोदित योजना परिव्यय का 33.3 प्रतिशत था।

यद्यपि सीएसएस को अधिकांश रूप से केंद्र द्वारा अनुदान के रूप में निधि प्रदान की जाती है, राज्यों को भी उतना ही योगदान करना होता है। 1980 के दशक में, राज्यों द्वारा सामान्य रूप से 50 प्रतिशत का समान योगदान किया गया, लेकिन राज्यों की कठिन राजकोषीय स्थिति को देखते हुए, 1990 के दशक में इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। राज्यों से अपेक्षित इस योगदान को देखते हुए, यह पाया गया कि सापेक्षिक रूप से अच्छी स्थिति वाले राज्यों को सीएसएस से अधिक लाभ हुआ है क्योंकि उनके पास बेहतर समानुपातिक संसाधन और बेहतर कार्यान्वयन क्षमता है। वर्तमान दशक में शुरू की गई कुछ योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वयं विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को केंद्र से प्राप्त 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से संचालित किया जाता है।

सीएसएस से संबंधित कुछ मुद्दे शैक्षिक साहित्य में उठाए गए हैं, यह प्रायः कहा जाता है कि केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाओं का विस्तार प्रायः राज्य और स्थानीय निकायों के लिए प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा, सीएसएस के सतत बढ़ने से, राज्यों को राजकोषीय अंतरण फार्मूला आधारित होने के बजाय अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है, जो राजकोषीय संघवाद के हित में वांछनीय नहीं है। सीएसएस से जुड़ी एक समस्या यह है कि केंद्र सरकार इसके मानदंड बनाती है जिसके अन्तर्गत योजनाएं संचालित होती हैं और इससे राज्य सरकारों को अक्सर उस नमनीयता से वंचित होना पड़ता है जिसकी स्थानीय दशाओं को ध्यान में लेते समय आवश्यकता होती है। दूसरी समस्या यह है कि केंद्रीय सहायता जारी करने को उपभोग प्रमाणपत्रों के समय पर प्रस्तुत करने से जोड़ा गया है, ऐसा अनुशासन यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि अंतरणों से वास्तविक व्यय होता है। यह कहा गया है कि सहायता के बाद के हिस्से जारी करने के पहले उपभोग प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा कार्यान्वयन को हानि पहुँचा सकती है, विशेष रूप से तब जब कोई खास प्रकार का कार्य वर्ष के केवल कुछ ही निश्चित महीनों में किया जा सकता है।

संदर्भ :

1. दीक्षित ए., रेणुका विश्वनाथन और टी आर रघुनंदन (2007), 'एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स', इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, 9 जून।

2. गर्ग, सुभाषचंद्र (2006), 'ट्रांसफारमेशन ऑफ सेंट्रल ग्रान्ट्स टू स्टेट्स - ग्रोइंग कंडीशनलटी एंड बाइपासिंग स्टेट बजट्स' इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, 2 दिसंबर।

3. राव, सी. भुजंगा, मनीष गुप्ता और प्रताप रंजन जेना (2007), 'सेंट्रल फ्लोज टु पंचायत्स - ए कंपरेटिव स्टडी ऑफ मध्य प्रदेश' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 3 फरवरी।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विभाज्य करों में राज्यों के अंश पर अब तक की गई सिफारिशें अनुबंध 5 में दी गई हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले दो मुख्य केंद्रीय कर राज्यों के साथ बांटे गए थे, अर्थात निगम कर छोड़कर आय कर (अनुच्छेद 270) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अनुच्छेद 272)। आय कर का बंटवारा अनिवार्य था जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का बंटवारा विवेकसम्मत था। 80वें संविधान संशोधन ने केंद्रीय करों के बंटवारे की पद्धति में आधारभूत परिवर्तन किए। सभी केंद्रीय कर बंटवारे योग्य समूह में लाए गए (अनुच्छेद 270) और अनुच्छेद 268 तथा 269 के तहत के करों, निर्धारित उपकरों और अनुच्छेद 271 के अंतर्गत के अधिभारों को छोड़कर शेष सभी केंद्रीय करों से अंश देना अनिवार्य हो गया। संशोधित अनुच्छेद 269 में मात्र सीएसटी और परेषण कर हैं जो प्रभारित नहीं किए जाते। इस परिवर्तन का आधार दसवें वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण की उसकी वैकल्पिक योजना में की गई सिफारिश थी जिसके अनुसार एकल करों के विभाजन के स्थान पर राज्य अधिभारों और उप करों को छोड़कर शेष सभी केंद्रीय करों के कुल निवल आगम में हिस्सा पा सकते हैं। यह योजना सर्वप्रथम ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा लागू की गई। इस नई अंतरण योजना से केंद्र को कर सुधार का कार्य समन्वित रूप से करने की अधिक स्वतंत्रता और लोच प्राप्त हुई तथा केंद्रीय करों की कुल घट-बढ़ में अंश प्राप्ति हेतु राज्य सक्षम हुए। संविधान की सातवीं अनुसूची में सेवा कर संबंधी अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं। किंतु, अनुच्छेद 268ए के अंतर्गत सेवा कर को केंद्रीय करों के विभाज्य समूह से हटा दिया गया है जिससे वे वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं।

एक समान विभाजन के संबंध में पिछले कुल वित्त आयोग से वितरण के मानदंड निम्न की ओर परिवर्तित हुए हैं : (क) आवश्यकता संबंधी कारकों में जनसंख्या और आय अंतर को स्वीकृति प्राप्त हुई है; (ख) लागत अक्षमता कारकों में क्षेत्र और बुनियादी सुविधा सूचकांक अंतर अधिमानी संकेतक प्रतीत हुए हैं; और (ग) राजकोषीय कुशलता कारकों में कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन, जिन्हें राजस्व व्यय के प्रति स्वयं के कर राजस्व के अनुपात से नापा गया है, को उपयुक्त माना गया है। अनुवर्ती वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण के लिए उपयोग में लाया गया मानदंड और भारांक अनुबंध 6 में दिया गया है।

एक समान विभाजन का एक अन्य साधन 'सहायता अनुदान' है। अनुदान के संदर्भ में अनुच्छेद 280(3)(बी) और 270 के अंतर्गत वित्त आयोग को दो दायित्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 280(3)(बी) के अनुसार वित्त आयोग को ऐसे सहायता अनुदान संबंधी 'सिद्धांतों' की सिफारिश करनी होती है। अनुच्छेद 275(1) में 'सहायता की आवश्यकता' में राज्य सरकारों को देय विशिष्ट राशि के आकलन पर चर्चा की गई है। आवश्यकता के आकलन के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी गई सेवाओं, औसत या अन्य वांछनीय मानदंडों के संबंध में इन सेवाओं के स्तर और सीमा, जहां तक इन अपेक्षाओं को स्वयं के राजस्व से पूरा किया जा सकता है, पर ध्यान देना होगा। सेवाओं को सामान्य प्रशासन जैसे सार्वजनिक सामान और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे गुणवत्तापूर्ण सामान जैसा माना जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि अनुदान पूर्ण राशि के संदर्भ में दिए जाते हैं जिससे वे अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि विभाज्य करों की राशि केंद्र सरकार द्वारा कर जुटाव पर निर्भर होकर बदलती रहती है क्योंकि अंतरण जुटाए गए कुल करों के अनुपात में होते हैं।

VII.1.3 संस्थागत व्यवस्था

सांविधिक अंतरण, जिनमें केंद्रीय कर राजस्व और अनुदान शामिल होते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वितरित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को योजना सहायता दी जाती है जिसमें अनुदान और ऋण शामिल होते हैं। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का अनुदान-ऋण अनुपात 30:70 है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों का 90:10 है। सामान्य केंद्रीय सहायता में 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए निर्धारित होता है। राज्यों की योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का निर्धारण 'गाडगिल फामूर्ला' और उसमें बाद में किए गए आशोधन जैसे संशोधन के आधार पर किया जाता है (बॉक्स 11)। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को ऋण और अनुदान के बीच 70:30 का अनुपात लगाने (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10:90) की प्रणाली समाप्त की जाए।

इसके अलावा, चूंकि राज्य बाहर से उधार नहीं ले सकते, अतः भारत सरकार मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और बाहरी

बॉक्स 11 : गाडगिल फार्मूला और उसके रूपांतर

1. *एनडीसीसी द्वारा सितंबर 1968 में अनुमोदित मूल गाडगिल फार्मूला*

(1) केंद्र की कुल सहायता में से सर्वप्रथम असम, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए।

(2) उसके पश्चात शेष केंद्रीय सहायता शेष चौदह राज्यों के बीच निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वितरित की जानी चाहिए :

(i) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत - 1965 के मध्य की अनुमानित जनसंख्या।

(ii) प्रति व्यक्ति राज्य देशी उत्पाद (एसडीपी) - तीन वर्षों (1962-63 से 1964-65) का औसत - के आधार पर 10 प्रतिशत; मात्र उन्हीं राज्यों को सहायता दी जाए जहां प्रति व्यक्ति एसडीपी राष्ट्रीय औसत से कम है। वितरण में परिवर्तन पद्धति अपनायी जाएगी।

(iii) 10 प्रतिशत राज्यों के कर प्रयासों के आधार पर प्रति व्यक्ति एसडीपी (1962-65 का औसत) के प्रतिशत के रूप में राज्य की अपनी प्रति व्यक्ति कर प्राप्तियां (1967-68)।

(iv) निरंतर चल रही सिंचाई और बिजली की उन मुख्य परियोजनाओं के चौथी योजना में प्रवेश के आधार पर 10 प्रतिशत जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है और न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यय हुआ है।

(v) एकल राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए 10 प्रतिशत।

2. *अद्यतन किया गया गाडगिल फार्मूला*

(1) केंद्र की कुल सहायता में से सर्वप्रथम असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा की आवश्यकता पूरी की जाए।

(2) शेष राशि को निम्नवत वितरित किया जाए :

(i) 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर - 1971 की जनसंख्या।

(ii) 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति एसडीपी के आधार पर - औसत से कम वाले राज्यों को ही, 1970 - 73 का औसत।

(iii) 10 प्रतिशत राज्यों के कर प्रयासों के आधार पर - प्रति व्यक्ति एसडीपी (1970-73 को औसत) के प्रतिशत के रूप में राज्य की अपनी प्रति व्यक्ति कर प्राप्तियां (1973-74)।

(iv) 10 प्रतिशत निरंतर चल रही सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं के आधार पर।

(v) 10 प्रतिशत राज्यों की विशेष समस्याओं के आधार पर। (यहां मूल गाडगिल फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मात्र आंकड़ों के आधार को अद्यतन किया गया है)।

3. *आशोधित गाडगिल फर्मूला*

(1) विशेष श्रेणी के आठ राज्यों के लिए एकमुश्त राशि अलग रखनी है।

(2) शेष 14 राज्यों के बीच शेष राशि निम्नवत वितरित की जाएगी :

(i) 60 प्रतिशत - 1971 की जनसंख्या।

(ii) 10 प्रतिशत - कर प्रयास - 1978-79 की कर प्राप्तियां और 1973-76 का प्रति व्यक्ति एसडीपी।

(iii) 20 प्रतिशत - औसत से कम वाले राज्यों को 1973-76 का प्रति व्यक्ति एसडीपी।

(iv) 10 प्रतिशत - राज्यों की विशेष समस्याएं।

4. *संशोधित गाडगिल फार्मूला*

राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसंबर 1991 में हुई अपनी बैठक में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए निम्नवत संशोधित फार्मूला अनुमोदित किया ।

(i) 60 प्रतिशत - 1971 की जनसंख्या।

(ii) 25 प्रतिशत - प्रति व्यक्ति एसडीपी :

(क) 20 प्रति व्यक्ति एसडीपी के औसत से कम वाले राज्यों के लिए - परिवर्तन पद्धति

(ख) 5 प्रतिशत सभी राज्यों के लिए - अंतर पद्धति।

(iii) 7.5 प्रतिशत - कर प्रयास, राजकोषीय प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, स्त्री शिक्षा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और भूमि सुधार को समय पर पूरा करने संबंधी निष्पादन।

(iv) 7.5 प्रतिशत : राज्यों की विशेष समस्याएं।

स्रोत : बीपीआर विठ्ठल और एम.एल.शास्त्री (2002), 'राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आबंटन का गाडगिल फार्मूला', आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र।

सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि राज्यों को अंतरित करती है। केंद्र सरकार ऐसे ऋणों का विनिमय दर जोखिम स्वयं वहन करती है और निधि आगे राज्य सरकारों को उधार देती है जिस पर ब्याज दर समय-समय पर निर्धारित स्थिर दर होती है। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि बाह्य सहायता राज्यों को उन्हीं शर्तों पर अंतरित की जाए जो बाह्य निधीयन एजेंसियों द्वारा ऐसी सहायता पर लगाई जाती है जिससे भारत सरकार बिना लाभ या हानि वाला वित्तीय मध्यस्थ बन सके। इससे संबंधित विनिमय दर जोखिम राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा।

जहां तक राज्यों को राजकोषीय अंतरणों की लेखांकन व्यवस्था का संबंध है, राजस्व लेखे (केंद्रीय करों में हिस्सा और सहायता अनुदान) तथा पूंजी लेखे (केंद्र से ऋण) के सभी अंतरण भारत की समेकित निधि से होते हैं।

VII.2 राजकोषीय अंतरणों का महत्व[11]

VII.2.1 समेकित स्थिति

निम्नलिखित परिच्छेदों में दिया गया विश्लेषण पिछले दो दशकों के दौरान राजकोषीय अंतरण की प्रवृत्ति और तत्पश्चात केंद्रीय कर में हिस्सा, केंद्र से सहायता अनुदान और ऋण जैसे विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति कवर करता है। इसके अलावा, वित्त आयोग और अन्य के माध्यम से राजकोषीय अंतरणों की प्रवृत्ति भी कवर की गई है।

सकल डिवोल्यूशन और अंतरण

सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (जीडीटी), जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा (एससीटी), सहायता अनुदान (जीआइए) और केंद्र से ऋण शामिल होते हैं, पिछले वर्षों में लगातार बढ़ा है किंतु उसमें 1999-2000 में गिरावट देखी गई (सारणी 45 और चार्ट 20)। घटक-वार, जीडीटी में एससीटी और जीआइए का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ गया जिसमें बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को एलएफसी समाप्त हो गई।

2007-08 में जीडीटी जीडीपी के 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 24)। औसतन, बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान जीडीटी-जीडीपी का अनुपात ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि (5.2 प्रतिशत) की तुलना में 5.5 प्रतिशत पर अधिक था (सारणी 46)। 2005-08 के दौरान जीडीटी राज्यों के कुल संवितरण और कुल प्राप्तियों के लगभग 33 प्रतिशत थी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीटी दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधियों के साथ 1990 के दशक में और 2000 के दशक के प्रारंभ में कम हो गई। बारहवें वित्त आयोग की अवधि में अब तक 22.5 प्रतिशत पर जीडीटी की चक्रवृद्धि वार्षिक

सारणी 45 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण का संयोजन

वर्ष	केंद्रीय करों में हिस्सा	सहायता अनुदान	केंद्र से ऋण	कुल	केंद्रीय करों में हिस्सा	सहायता अनुदान	केंद्र से ऋण	कुल
	(करोड़ रुपए)				(कुल से प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986-87	8,384	6,985	7,703	23,072	36.3	30.3	33.4	100.0
1987-88	9,660	8,275	9,034	26,969	35.8	30.7	33.5	100.0
1988-89	10,736	9,660	9,937	30,333	35.4	31.8	32.8	100.0
1989-90	13,097	8,505	11,259	32,862	39.9	25.9	34.3	100.0
1990-91	14,242	12,643	13,974	40,859	34.9	30.9	34.2	100.0
1991-92	16,848	15,226	13,069	45,143	37.3	33.7	29.0	100.0
1992-93	20,580	17,759	13,100	51,439	40.0	34.5	25.5	100.0
1993-94	22,395	21,176	14,277	57,848	38.7	36.6	24.7	100.0
1994-95	24,885	19,911	18,742	63,538	39.2	31.3	29.5	100.0
1995-96	29,048	20,873	18,804	68,725	42.3	30.4	27.4	100.0
1996-97	35,038	22,949	22,931	80,918	43.3	28.4	28.3	100.0
1997-98	40,411	23,853	29,744	94,009	43.0	25.4	31.6	100.0
1998-99	39,421	23,480	39,367	1,02,268	38.5	23.0	38.5	100.0
1999-00	44,121	30,177	21,354	95,652	46.1	31.5	22.3	100.0
2000-01	50,734	37,289	18,707	1,06,730	47.5	34.9	17.5	100.0
2001-02	52,215	42,601	24,396	1,19,213	43.8	35.7	20.5	100.0
2002-03	56,655	45,170	26,831	1,28,657	44.0	35.1	20.9	100.0
2003-04	67,080	50,834	25,871	1,43,785	46.7	35.4	18.0	100.0
2004-05	78,550	56,322	25,878	1,60,750	48.9	35.0	16.1	100.0
2005-06	94,024	76,750	8,097	1,78,871	52.6	42.9	4.5	100.0
2006-07 (सं.अ.)	1,15,737	1,02,955	10,197	2,28,889	50.6	45.0	4.5	100.0
2007-08 (ब.अ.)	1,36,184	1,17,320	14,918	2,68,422	50.7	43.7	5.6	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

[11] इस खंड के आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं । बारहवें वित्त आयोग की अवधि के अंतर्गत आंकड़े पहले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 के लिए उपलब्ध हैं। अतः , बारहवें वित्त आयोग से संबंधित आंकड़े पिछली अवधि के आंकड़ों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।

सारणी 46 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण* – वार्षिक औसत

अवधि	जीडीटी (करोड़ रुपए)	जीडीटी/जीडीपी	जीडीटी/एडी	जीडीटी/एआर	जीडीटी (एएजीआर)
		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6
नौवां वि. आ. (1990-95)	51,765	6.8	42.6	42.3	14.2
दसवां वि. आ. (1995-00)	88,314	5.7	38.4	38.7	8.9
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	1,31,827	5.2	30.4	30.2	11.0
बारहवां वि. आ. (2005-08)	2,25,394	5.5	33.4	33.0	18.8

* : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (जीडीटी) में केंद्रीय कर, केंद्र से सहायता अनुदान और केंद्र से सकल ऋण शामिल हैं।
जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
एडी : सकल संवितरण
एआर : कुल प्राप्तियां.
एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

वृद्धि दर (सीएजीआर) पिछले तीन वित्त आयोग के दौरान की स्थिति की तुलना में बहुत अधिक थी (चार्ट 21)।

निवल डिवोल्यूशन और अंतरण

केंद्र से निवल डिवोल्यूशन और अंतरण (एनडीटी), जिनमें चुकौती और ब्याज भुगतान हटाकर सकल डिवोल्यूशन और अंतरण शामिल होते हैं, 2007-08 में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 25)। औसतन, बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों के दौरान एनडीटी का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग (3.3 प्रतिशत) और दसवें वित्त आयोग (4.1 प्रतिशत) की अवधि की तुलना में अधिक (जीडीपी का 4.9 प्रतिशत) था (सारणी 47)। एनडीटी कुल संवितरण और कुल प्राप्तियों का लगभग 30 प्रतिशत था। एनडीटी पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में बारहवें वित्त आयोग की अवधि में अब तक तेज गति से (25.2 प्रतिशत सीएजीआर) बढ़े (चार्ट 21)। इसके अलावा, 2005-06 के दौरान एनडीटी का सीएजीआर जीडीपी को पार कर गया जिससे पूर्ववर्ती तीन पंचवर्षीय अवधियों की प्रवृत्ति उलट गई जब जीडीपी का सीएजीआर एनडीटी से अधिक था।

केंद्रीय करों में अंश

ऊपर बनाए अनुसार, एससीटी का उद्देश्य ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों में सुधार करना है। औसत आधार पर, जीडीटी में एससीटी का अंश नौवें वित्त आयोग के दौरान के 38.0 प्रतिशत से बढ़कर दसवें

चार्ट 20 : केंद्र से संसाधनों का सकल अंतरण

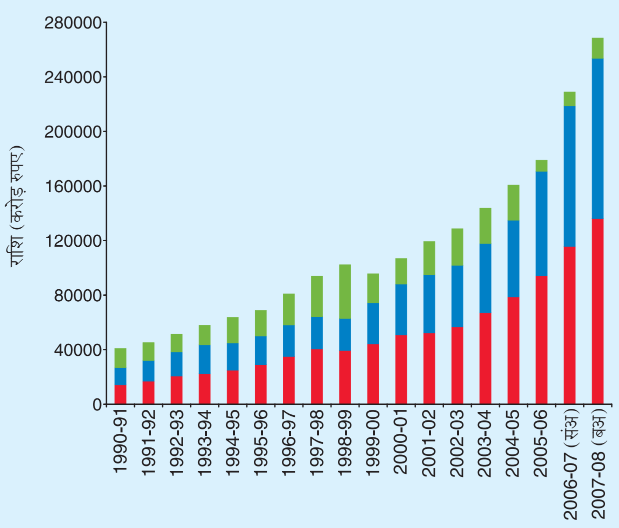

चार्ट 21 : जीडीटी और एनडीटी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरें

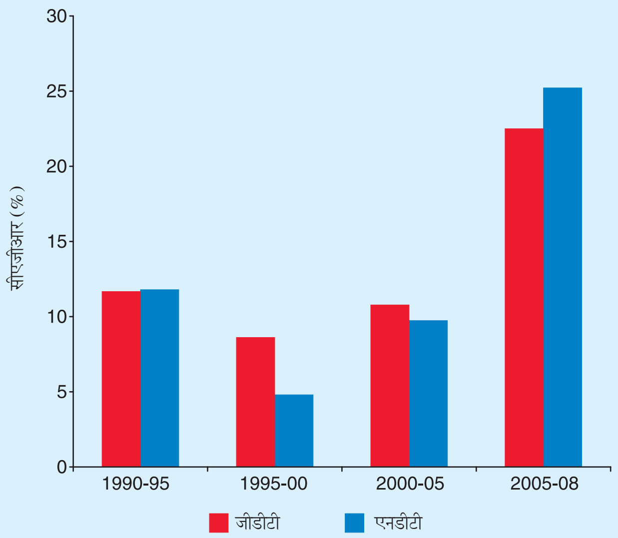

जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण
एनडीटी : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण

सारणी 47 : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण* – वार्षिक औसत

अवधि	एनडीटी (करोड़ रुपए)	एनडीटी/जीडीपी	एनडीटी/एडी	एनडीटी/एआर	एनडीटी (एएजीआर)
		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6
नौवां वि. आ. (1990-95)	39,798	5.2	32.8	32.5	14.7
दसवां वि. आ. (1995-00)	62,965	4.1	27.6	27.8	5.2
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	84,515	3.3	19.4	19.3	11.7
बारहवां वि. आ. (2005-08)	2,04,058	4.9	30.1	29.8	35.6

* : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण ऋण चुकौतियां और भुगतानों को घटाकर प्राप्त सकल डिवोल्यूशन और अंतरण हैं।
एनडीटी : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण जीडीपी: सकल घरेलू उत्पाद
एडी : सकल संवितरण एआर : कुल प्राप्तियां.
एएजीआर: वार्षिक औसत वृद्धि दर
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

वित्त आयोग की अवधि के दौरान 42.6 प्रतिशत और ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में और बढ़कर 46.2 प्रतिशत हो गया। बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में एससीटी-जीडीटी अनुपात बढ़कर 51.3 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एससीटी बढ़कर 2005-08 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गया जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान इसका औसत 2.4 प्रतिशत था (सारणी 48)। एससीटी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 22 प्रतिशत और राज्यों के कुल कर राजस्व का लगभग एक-तिहाई है (परिशिष्ट सारणी 26)। इस प्रकार, हाल के वर्षों के दौरान एससीटी जीडीटी के मुख्य घटक के रूप में उभरा है (सारणी 45 भी देखें)।

2005-08 के दौरान 20.3 प्रतिशत पर एससीटी का सीएजीआर राज्यों के 17.7 प्रतिशत के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) से अधिक था और यह नौवें, दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत था (चार्ट 22)।

चार्ट 22 : ओटीआर, एससीटी और जीआइए की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दरें

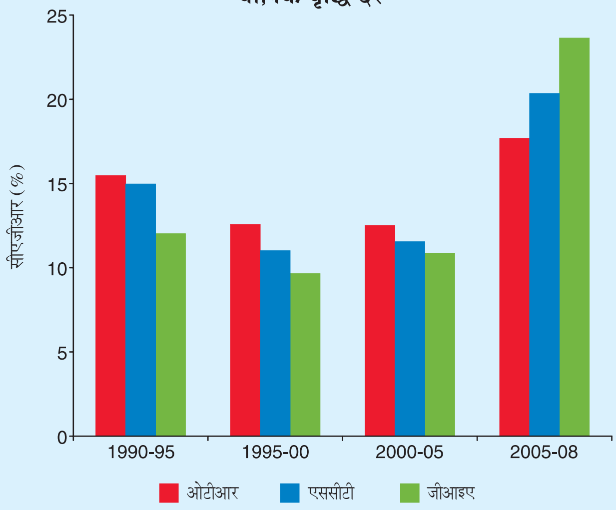

ओटीआर : स्वाधिकृत कर राजस्व एससीटी : केंद्रीय करों में हिस्सा
जीआइए : सहायता अनुदान

सारणी 48 : केंद्रीय करों में हिस्सा – वार्षिक औसत

अवधि	एससीटी (करोड़ रुपए)	एससीटी/जीडीटी	एससीटी/जीडीपी	एससीटी/आरआर	एससीटी/टीआर	एससीटी(एएजीआर)
		(प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7
नौवां वि. आ. (1990-95)	19,790	38.0	2.6	21.4	32.5	13.8
दसवां वि. आ. (1995-00)	37,608	42.6	2.4	22.7	32.4	12.4
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	61,047	46.2	2.4	21.4	30.1	12.4
बारहवां वि. आ. (2005-08)	1,15,315	51.3	2.8	22.0	31.1	20.2

एससीटी : केंद्रीय करों में हिस्सा जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
आरआर : राजस्व प्राप्तियां टीआर : कर राजस्व एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 49 : सहायता अनुदान – वार्षिक औसत

अवधि	एसजी	एनएसजी	जीआइए (2+3)	जीआइए/ जीडीटी	एसजी/ जीडीपी	एनएसजी/ जीडीपी	जीआइए/ जीडीपी	जीआइए (एएजीआर)
	(करोड़ रुपए)			(प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नौवां वि. आ. (1990-95)	2,382	14,961	17,343	33.4	0.3	1.9	2.3	19.8
दसवां वि. आ. (1995-00)	2,935	21,332	24,267	27.7	0.2	1.4	1.6	9.1
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	9,792	36,651	46,443	35.2	0.4	1.4	1.8	13.4
बारहवां वि. आ. (2005-08)	20,620	78,389	99,008	43.9	0.5	1.9	2.4	28.1

एसजी : सांविधिक अनुदान एनएसजी : सांविधिकेतर अनुदान जीआइए : सहायता अनुदान
जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सहायता अनुदान

जीडीटी में जीआइए का अंश नौवें वित्त आयोग के 33.4 प्रतिशत से कम होकर दसवें वित्त आयोग के दौरान 27.7 प्रतिशत रह गया किंतु ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान बढ़कर 35.2 प्रतिशत हो गया। बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में जीआइए-जीडीटी अनुपात बढ़कर 43.9 प्रतिशत हो गया (सारणी 49)। जीआइए ने राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में लगभग 19 प्रतिशत का योगदान किया और यह राज्यों के करेतर राजस्व का लगभग दो-तिहाई था (परिशिष्ट सारणी 27)। 2005-06 के दौरान जीआइए 23.6 प्रतिशत सीएजीआर पर बढ़ा और उसने एससीटी के साथ ही राज्यों की ओटीआर वृद्धि को पार कर लिया (चार्ट 22)। यह वृद्धि सांविधिक और गैर सांविधिक दोनों घटकों में हुई थी।

केंद्र से ऋण

केंद्र से राज्यों को मिलने वाले योजना ऋण की 2005-06 से समाप्ति, अल्प बचत के लेखांकन स्वरूप में परिवर्तन और 1 अप्रैल 1999 से एनएसएसएफ का गठन होने से बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एससीटी और जीआइए केंद्र से राज्यों को होने वाले जीडीटी के दो मुख्य घटक बने रहे।

जीडीटी में सकल एलएफसी का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान के 18.6 प्रतिशत से कम होकर बारहवें वित्त आयोग के दौरान 4.8 प्रतिशत रह गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एलएफसी का हिस्सा और राज्यों की कुल पूंजीगत प्राप्तियों में उसका हिस्सा तेजी से कम हो गया (सारणी 50 और परिशिष्ट सारणी 28)। एलएफसी के महत्व में गिरावट बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1 अप्रैल 2005 से योजना ऋण की समाप्ति दर्शाती है। 2005-06 के केंद्रीय बजट में यह निर्णय लिया गया था कि विधान युक्त केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपनी वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार से सीधे ही ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार, ब्लॉक ऋण (योजना) राज्यों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। राज्य सरकारें अनुमोदित योजना आकार के अनुरूप अपेक्षित राशि

सारणी 50 : केंद्र से ऋण

अवधि	जीएलएफसी	एनएलएफसी	जीएलएफसी/ जीडीटी	एनएलएफसी/ एनडीटी	जीएलएफसी/ जीडीपी	एनएलएफसी/ जीडीपी	जीएलएफसी/ सीआर	जीएलएफसी/ (एएजीआर)
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नौवां वि. आ. (1990-95)	14,632	10,384	28.6	26.3	1.9	1.4	48.3	11.6
दसवां वि. आ. (1995-00)	26,440	19,190	29.6	29.9	1.7	1.3	43.2	7.7
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	24,337	4,601	18.6	5.9	1.0	0.2	16.5	4.9
बारहवां वि. आ. (2005-08)	11,071	2,817	4.8	1.2	0.3	0.1	7.1	1.2

जीएलएफसी : केंद्र से सकल ऋण एनएलएफसी : केंद्र से निवल ऋण जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण
एनडीटी : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद सीआर : पूंजी प्राप्तियां
एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 51 : वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

अवधि	एससीटी	एसजी	एफसीटी (2+3)	ओसीटी	जोड़ (4+5)
1	2	3	4	5	6
नौवां वि. आ. (1990-95)	19,790 (2.6)	2,382 (0.3)	22,172 (2.9)	14,961 (1.9)	37,133 (4.9)
दसवां वि. आ. (1995-00)	37,608 (2.4)	2,935 (0.2)	40,542 (2.6)	21,332 (1.4)	61,874 (4.0)
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	61,047 (2.4)	9,792 (0.4)	70,839 (2.8)	36,651 (1.4)	1,07,490 (4.2)
बारहवां वि. आ. (2005-08)	1,15,315 (2.8)	20,620 (0.5)	1,35,935 (3.3)	78,389 (1.9)	2,14,323 (5.2)

एससीटी : केंद्रीय करों में हिस्सा
एसजी : सांविधिक अनुदान
ओसीटी : अन्य चालू अंतरण
एफसीटी : वित्त आयोग के अंतरण

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े सघउ से प्रतिशत के रूप में हैं।
2. अन्य चालू अंतरण सांविधिकेतर अनुदानों के समान हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बाजार से जुटाएंगी। यह निर्णय विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांत के अनुरूप था ताकि राज्यों को उनके ऋण जोखिम के संदर्भ में उधार लेने की अनुमति मिल सके और केंद्र सरकार का मध्यस्थ के रूप में कार्य करना समाप्त किया जा सके।

वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण

वित्त आयोग के अंतरण, जिसमें एससीटी और वैधानिक अनुदान तथा नैसर्गिक आपदाओं के संबंध में अनुदान शामिल होते हैं, औसतन राज्यों को किए गए कुल चालू अंतरणों का लगभग दो-तिहाई थे। जीडीपी के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग के दौरान वित्त आयोग के अंतरण जीडीपी के 3.3 प्रतिशत थे जो नौवें वित्त आयोग के समय से सबसे बड़ा वित्त आयोग का अंतरण है (सारणी 51 और परिशिष्ट सारणी 29)। इसका कारण एससीटी के साथ बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अनुदान के घटक में भारी वृद्धि था।

यह उल्लेखनीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने निम्नलिखित कारणों से वित्त आयोग के समग्र अंतरणों की अधिक भूमिका की सिफारिश की है : (क) अनुदान का निर्धारण निरपेक्ष रूप से किया जाए ताकि राशि का पता चले, (ख) अनुदान को बेहतर रूप से लक्ष्यित किया जा सकता है, और (ग) अनुदान निर्धारित करने में बेहतर लेखे लागत अक्षमता और पुनर्वितरण धारणा में लिए जा सकते हैं जो कर डिवोल्यूशन फार्मूले में ठीक से पकड़ में नहीं आते हैं। तदनुसार, बारहवें वित्त आयोग ने वित्त आयोग के कुल अंतरण में 2005-10 की अवधि में 18.87 प्रतिशत अंश वृद्धि की अनुमति दी जो दसवें वित्त आयोग के दौरान 8.96 प्रतिशत और ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान के 13.47 प्रतिशत थी। 2005-06 से 2007-08 के डाटा से यह प्रदर्शित हुआ कि वित्त आयोग के अंतरण में अनुदानों का अंश औसतन 15.2 प्रतिशत था जबकि कर डिवोल्यूशन का 84.8 प्रतिशत था।

अन्य चालू अंतरण भी, जिनमें पीसी और वित्त मंत्रालय से अंतरण शामिल होते हैं, बारहवें वित्त आयोग की अवधि में जीडीपी की तुलना में अधिक बढ़े।

VII.2.2 राज्य-वार स्थिति

राज्य-वार स्थिति की समीक्षा से जनसंख्या के आकार के आधार पर डिवोल्यूशन और अंतरण, राजस्व उत्पत्ति क्षमता और राज्यों की विकास-आवश्यकता के आधार के संदर्भ में भारी भिन्नता का पता चलता है। सकल और निवल डिवोल्यूशन और अंतरण, केंद्रीय करों में हिस्सा, अनुदान सहायता, केंद्र से ऋण, वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण, अंतरण से पहले और बाद में राजस्व प्राप्ति तथा जीएफडी के वित्तपोषण में केंद्र के ऋण की भूमिका की स्थिति विवरण सं.49-56 में दी गई है।

सारणी 52 : जीडीटी/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**1990-95** (औ.)	**1995-00** (औ.)	**2000-05** (औ.)	**2005-08** (औ.)
5 से कम	हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात	महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, गोवा	महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, केरल	हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल
5 से 10	कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, **केरल**, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान	केरल, **कर्नाटक** , मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	कर्नाटक , **पश्चिम बंगाल,** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल, **आंध्र प्रदेश** कर्नाटक , राजस्थान, झारखंड
10 से अधिक	उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार,उड़ीसा	उड़ीसा, बिहार	झारखंड, उड़ीसा, बिहार	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केंद्र से संसाधन अंतरण पर निर्भरता (जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में नापी गई) गैर विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अधिक है (10 प्रतिशत से अधिक) (सारणी 52 और चार्ट 23)। किंतु, यह उल्लेख करना होगा कि अन्य राज्यों से सापेक्षिक तौर पर अधिक जीएसडीपी वाले राज्यों का जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात कम होगा, भले ही ऐसे राज्यों का निरपेक्ष डिवोल्यूशन और अंतरण अधिक हो। इसके अलावा, जनसंख्या के उच्च स्तरों वाले कम विकसित कुछ राज्यों का जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात, माध्यिका स्तर से अधिक होने के बावजूद, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कम हो सकता है।

चार्ट 23 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

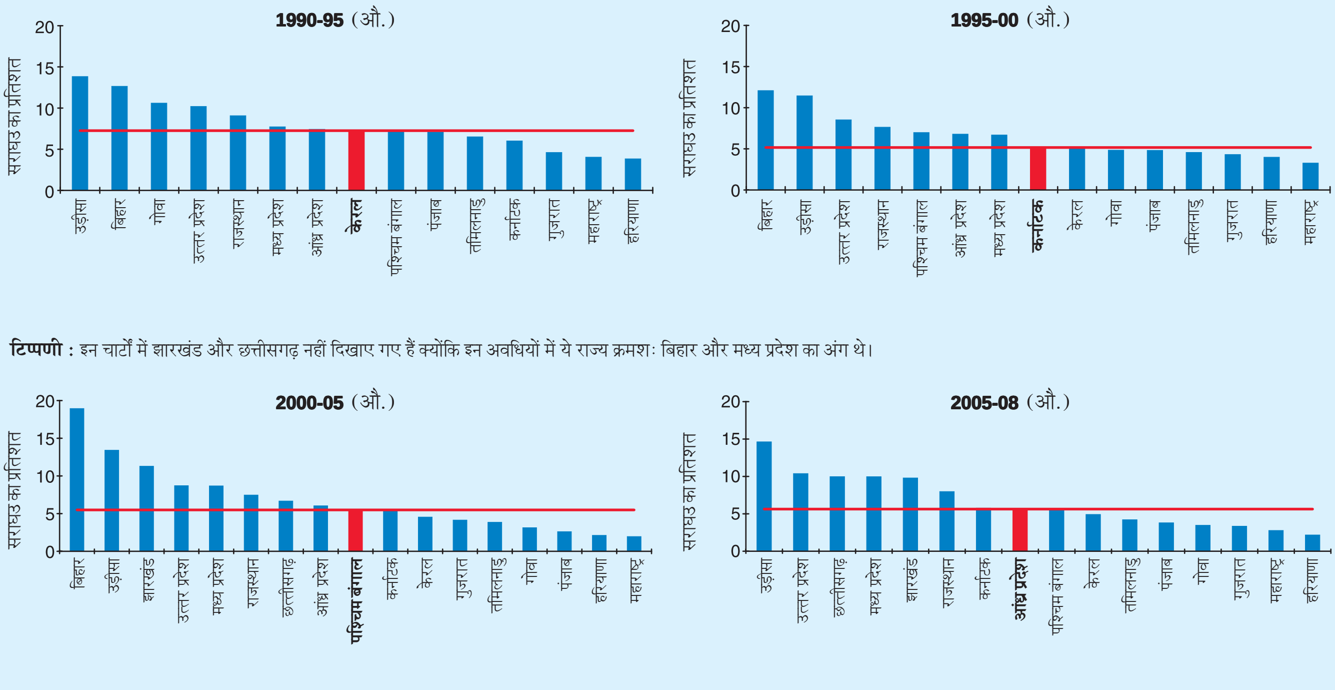

टिप्पणी : इन चार्टों में झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि इन अवधियों में ये राज्य क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश का अंग थे।

टिप्पणी : इस चार्ट में बिहार नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए इसका मान 2005-08 के दौरान अत्यंत ऊंचा था।

सारणी 53 : वित्त आयोग डिवोल्यूशन /जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी

दायरा (प्रतिशत)	**1990-95** (औ.)	**1995-00** (औ.)	**2000-05** (औ.)	**2005-08** (औ.)
2 से कम	हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब	महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात	हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, गुजरात	हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात
2 से 5	कर्नाटक , तमिलनाडु, केरल, **पश्चिम बंगाल**, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश	गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, **केरल**, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, **आंध्र प्रदेश**, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान	गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक , केरल, **आंध्र प्रदेश,** पश्चिम बंगाल
5 से 8	गोवा, उड़ीसा, बिहार	उड़ीसा, बिहार	उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड	राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
8 से अधिक	–	–	बिहार	उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा

जीएसडीपी के प्रति वित्त आयोग के डिवोल्यूशन के अनुपात में गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों, अर्थात् 2005-08 में सुधार हुआ। वित्त आयोग डिवोल्यूशन - जीएसडीपी अनुपात बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों के मामले में 8 प्रतिशत से अधिक था (सारणी 53 और चार्ट 24)।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों के डिवोल्यूशन और अंतरण उनके जीएसडीपी तथा कुल संवितरण की तुलना में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। किंतु, इसमें राज्य-वार भारी भिन्नता है। 2005-08 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात 50 प्रतिशत से

चार्ट 24 वित्त आयोग के डिवोल्यूशन - गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

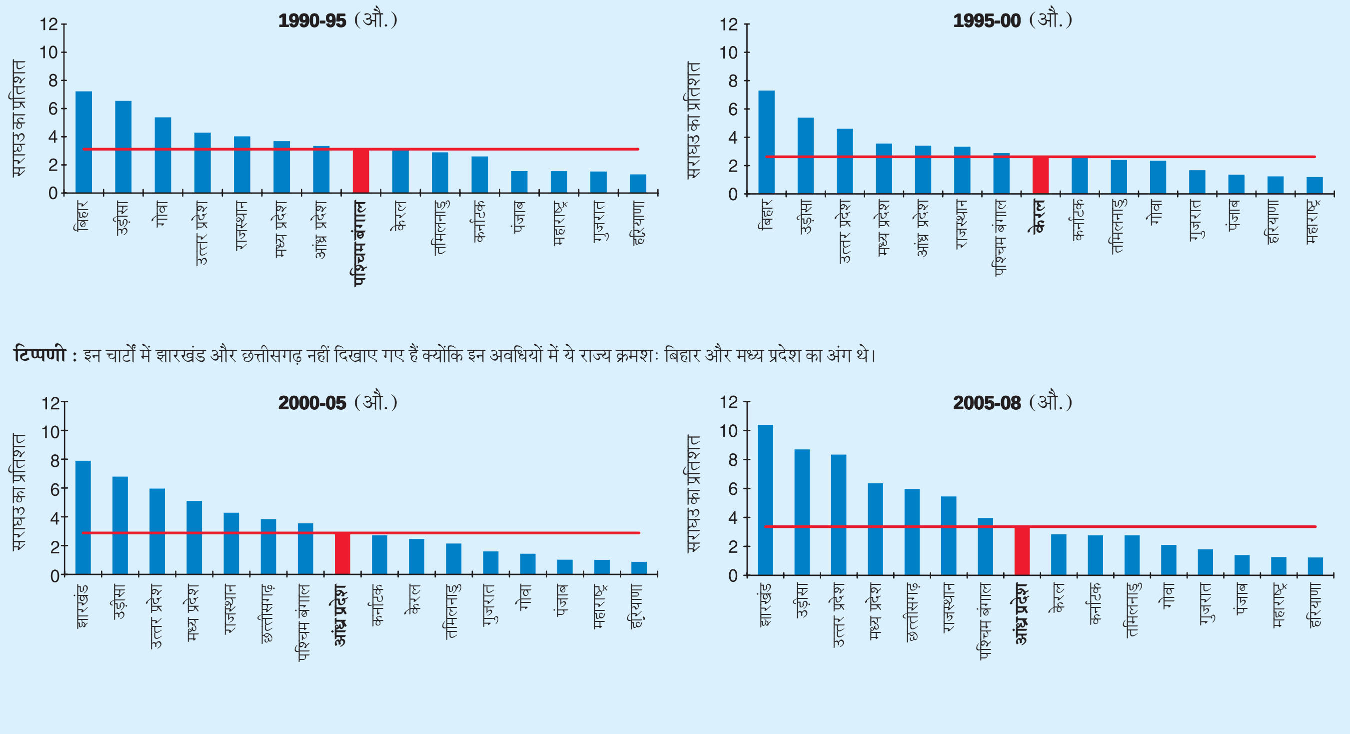

टिप्पणी : इन चार्टों में झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं दिखाए गए है क्योंकि इन अवधियों में ये राज्य क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश का अंग थे।

टिप्पणी : इस चार्ट में बिहार नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए इसका मान 2000-05 और 2005-08 के दौरान अत्यंत ऊंचा था।

सारणी 54 : जीडीटी/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**1990-95** (औ.)	**1995-00** (औ.)	**2000-05** (औ.)	**2005-08** (औ.)
20 से कम	असम	असम	असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश असम
20 से 35	हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर	हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा	मेघालय, त्रिपुरा,	त्रिपुरा, मेघालय, **नागालैंड**
35 से 50	**त्रिपुरा**, मणिपुर,	**जम्मू और कश्मीर**, मणिपुर, नागालैंड	मिजोरम, **जम्मू और कश्मीर** नागालैंड	मणिपुर, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर
50 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

अधिक था जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का 20 प्रतिशत से कम थ (सारणी 54 और चार्ट 25)। मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का वित्त आयोग डिवोल्यूशन-जीएसडीपी अनुपात अधिक (20 प्रतिशत से अधिक) था जबकि असम, मेघालय और उत्तराखंड का कम (10 प्रतिशत से कम) था (सारणी 55 और चार्ट 26)।

VII.3 राजकोषीय अंतरणों का प्रभाव

पहले उल्लेख किए अनुसार, राज्यों की समेकित वित्तीय स्थिति में 2007-08 (ब.अ.) में सुधार होने का अनुमान है जिसमें राज्य सरकारें दो दशक बाद राजस्व अधिशेष की स्थिति में आने के लक्ष्य पर चल रही हैं। 2007-08 (ब.अ.) में, राज्य सरकारों ने 11,973 करोड़ रुपए या जीडीपी के 0.3 प्रतिशत के समेकित

चार्ट 25 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण-विशेष श्रेणी के राज्य

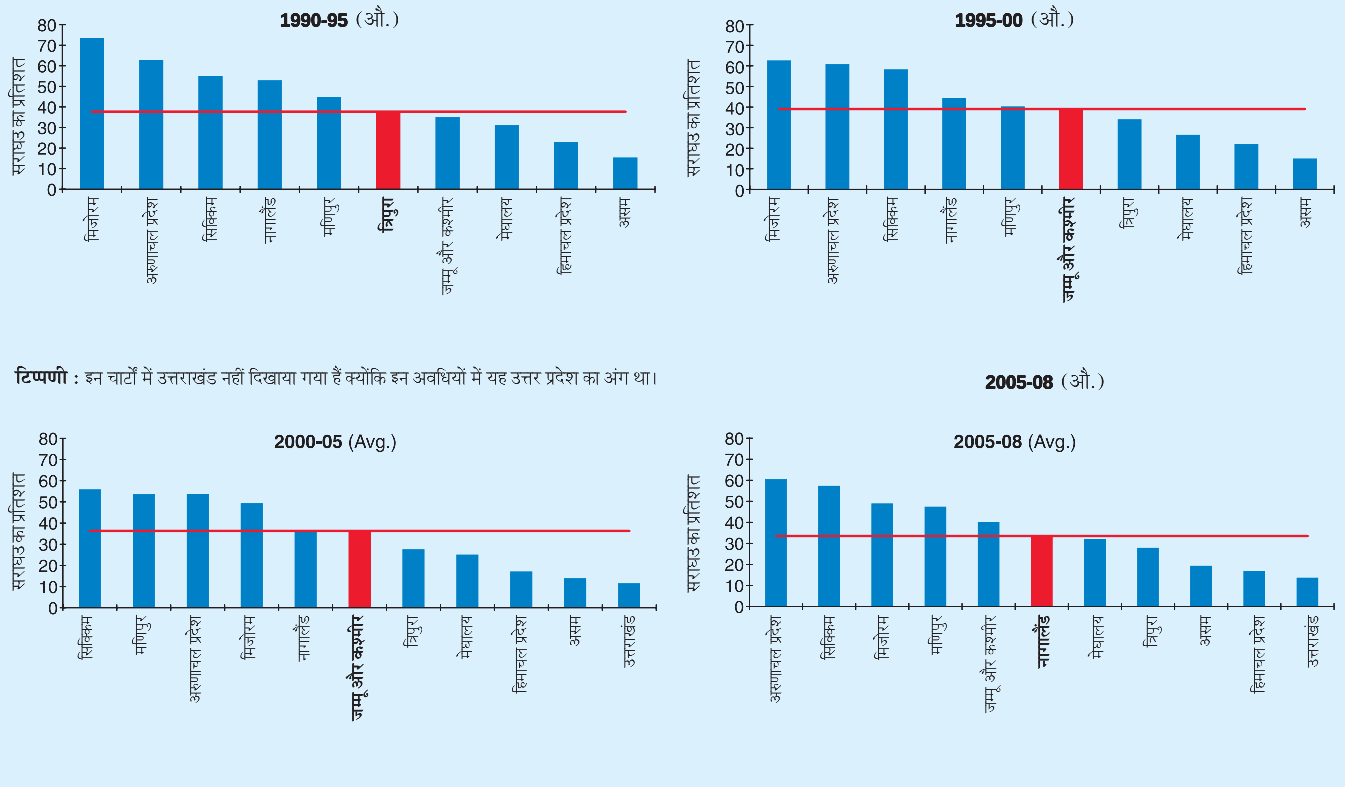

टिप्पणी : इन चार्टों में उत्तराखंड नहीं दिखाया गया हैं क्योंकि इन अवधियों में यह उत्तर प्रदेश का अंग था।

सारणी 55 : वित्त आयोग के डिवोल्यूशन जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	**1990-95** (औ.)	**1995-00** (औ.)	**2000-05** (औ.)	**2005-08** (औ.)
10 से कम	असम, हिमाचल प्रदेश	असम, हिमाचल प्रदेश	उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय	मेघालय, उत्तराखंड, असम
10 से 20	मेघालय, सिक्किम, **जम्मू और कश्मीर,** त्रिपुरा	जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, **मेघालय,** त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड	त्रिपुरा, **मणिपुर,** अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड	हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, **सिक्किम**, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड
20 से अधिक	मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम	–	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम

राजस्व अधिशेष का अनुमान किया है। राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में सुधार होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : (i) अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा एफआरएल का अधिनियमन, जिससे राजकोषीय सुधार और समेकन की नियम-आधारित प्रक्रिया स्थापित हुई; (ii) राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में उछाल, जिसके 2006-07 (सं.अ.) के 21.1 प्रतिशत के उपर 2007-08 में 14.4 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान है; (iii) राज्य सरकारों द्वारा व्यय प्रबंधन और (iv) केंद्र से ऊंचे चालू अंतरण जिसके 2006-07 (सं.अ.) की 28.1 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर 2007-08 में 15.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। केंद्र से राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरणों का प्रभाव राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और उससे राजस्व घाटे में कमी होने के माध्यम से दिखा।

चार्ट 26 : वित्त आयोग के डिवोल्यूशन - विशेष श्रेणी के राज्य

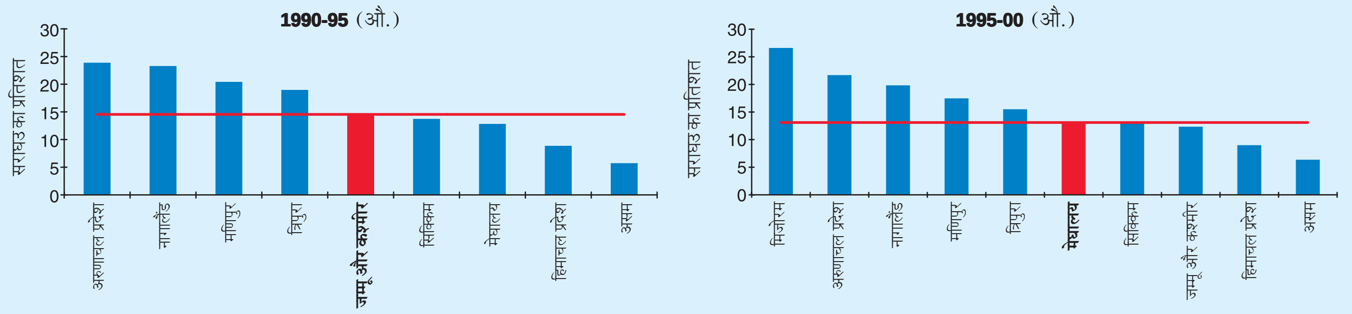

टिप्पणी : 1) इन चार्टों में उत्तराखंड नहीं दिखाया गया हैं क्योंकि इन अवधियों में यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था।
2) इन चार्टों में मिजोरम नहीं दिखाया गया हैं क्योंकि 1990-95 के दौरान इस संकेतक का मान बहुत ऊँचा है।

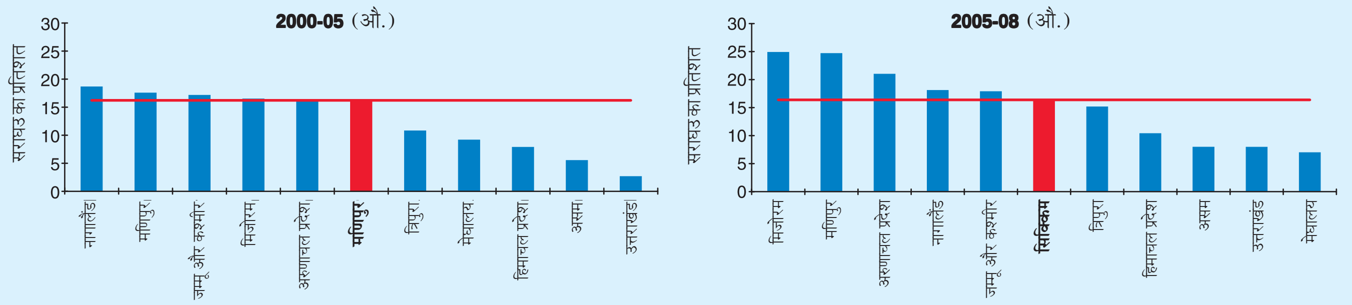

सारणी 56 : डिवोल्यूशन और अंतरणों के पहले और बाद में राजस्व प्राप्तियां

अवधि	आरआरबीटी	आरआरएटी	आरआरबीटी/ जीडीपी	आरआरएटी/ जीडीपी
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)	
1	2	3	4	5
नौवां वि. आ. (1990-95)	55,546	92,679	7.2	12.1
दसवां वि. आ. (1995-00)	1,03,542	1,65,416	6.7	10.7
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	1,78,171	2,85,661	7.0	11.2
बारहवां वि. आ. (2005-08)	3,08,738	5,23,061	7.5	12.7

आरआरबीटी : डिवोल्यूशन और अंतरणों के पहले राजस्व प्राप्तियां
आरआरएटी : डिवोल्यूशन और अंतरणों के बाद राजस्व प्राप्तियां
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राजस्व लेखा

नौवें से ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य सरकारों की अंतरणों के पहले की राजस्व प्राप्तियों का औसत जीडीपी का 7.0 प्रतिशत था जबकि अंतरणों के बाद की राजस्व प्राप्तियों का औसत जीडीपी का 11.3 प्रतिशत था। बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में अंतरणों के पहले और बाद की राजस्व प्राप्तियों का औसत जीडीपी के क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत है (सारणी 56 और परिशिष्ट सारणी 30)। राज्य सरकारों को उच्च डिवोल्यूशन और संसाधनों के अंतरण से विशेष रूप से राजस्व लेखे में पर्याप्त सुधार में राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया में सहायता मिली।

पूंजी लेखा

पूंजी लेखे में, केंद्र से ऋण के रूप में हुए अंतरणों से राज्यों की जीएफडी के वित्तपोषण में सहायता मिली। ऐतिहासिक रूप से, केंद्र से प्राप्त ऋण 1998-99 तक जीएफडी के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत था। जीएफडी के वित्तपोषण में निवल एलएफसी के महत्व में तेजी से कमी आई है - 1990-95 के 48.7 प्रतिशत और 1995-2000 के 39.7 प्रतिशत के औसत से 2000-05 में 4.6 प्रतिशत और आगे 2005-08 में 2.6 प्रतिशत रह गया (सारणी 57 और परिशिष्ट सारणी 31)। किंतु राज्य सरकारों के एलएफसी में गिरावट की खुले बाजार से अधिक उधार और वार्तातय ऋणों से क्षतिपूर्ति हो गई। राज्यों के जीएफडी की वित्तपोषण पद्धति का बदलता माहौल भी 1 अप्रैल 1999 से एनएसएसएफ की स्थापना के कारण अल्प बचतों के संदर्भ में लेखांकन मानदंड में परिवर्तन दर्शाता है। एनएसएसएफ के अंतर्गत का संग्रह, जो राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की जमानत पर राज्य सरकारों को अंतरित किया जाता है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान निधि का सक्रिय स्रोत बन गया है। एनएसएसएफ के गठन से पहले अल्प बचतों को केंद्र से राज्यों को ऋण के रूप में देखा जाता था।

2002-03 से 2004-05 की अवधि में डीएसएस लागू होने से भी जीएफडी की वित्तपोषण मद के रूप में एलएफसी का महत्व काफी कम हो गया। इस योजना के अंतर्गत राज्यों ने अतिरिक्त बाजार उधार से प्राप्त आगम और 2004-05 को समाप्त तीन वर्षीय अवधि में प्राप्त चालू निवल अल्प बचत आगम के एक भाग की सहायता से केंद्र के प्रति उच्च लागत की देयताओं की चुकौती कर दी। इस योजना के अंतर्गत राज्यों ने 2002-03 और 2004-05 के बीच की अवधि में केंद्र के साथ 1,03,652 करोड़ रुपए के उच्च लागत वाले ऋणों की अदला-बदली की। इससे राज्य सरकारों का ब्याज भार कम होने में सहायता मिली।

निष्कर्ष के रूप में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 2005-06 से केंद्र से राज्यों को देय योजना ऋण

सारणी 57 : केंद्र से निवल ऋण और सकल राजकोषीय घाटा

अवधि	एनएलएफसी	जीएफडी	एनएलएफसी/ जीएफडी	अन्य*/जीएफडी	एनएलएफसी/ जीडीपी	जीएफडी/जीडीपी
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
नौवां वि. आ. (1990-95)	10,384	21,250	48.7	51.3	1.4	2.8
दसवां वि. आ. (1995-00)	19,190	54,860	39.7	60.3	1.3	3.4
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	4,601	102,063	4.6	95.4	0.2	4.0
बारहवां वि. आ. (2005-08)	2,817	104,107	2.6	97.4	0.1	2.5

* : अन्य में शामिल हैं, बाजार उधार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि, आदि
एनएलएफसी : केंद्र से निवल ऋण जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

की समाप्ति और अल्प बचतों के लेखांकन ढांचे में परिवर्तन और 1 अप्रैल 1999 से एनएसएस के गठन के कारण केंद्रीय करों में अंश और सहायता अनुदान केंद्र से राज्यों को होने वाले सकल डिवोल्यूशन और अंतरण के दो मुख्य घटक बने रहे। केंद्र से राज्यों को होने वाले सकल डिवोल्यूशन और अंतरण, जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, सहायता अनुदान और केंद्र से ऋण शामिल होते हैं, ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के 5.2 प्रतिशत के औसत स्तर की तुलना में बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान जीडीपी के 5.5 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुंच गए। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में उछाल के अलावा बारहवें वित्त आयोग की अवधि के पहले तीन वर्षों में केंद्रीय करों में हुए उच्च डिवोल्यूशन और अनुदान अंतरण से राज्य सरकारों की स्थिति सुधरने में सहायता मिली। इसके अलावा, राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि गरीब राज्यों की ओर अधिक डिवोल्यूशन हुआ है (जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में) जो समतुल्यता सिद्धांत दर्शाता है।

यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों में भिन्नता है। केंद्रीय करों में हिस्सा तथा अनुदान के आंकड़े केंद्र तथा राज्यों में बजट में भिन्न होते हैं जिससे राज्य बजट के आंकड़ों में कम/अधिक अनुमान होते हैं जो सारणी 58 से देखे जा सकते हैं। केंद्रीय बजट के आंकड़ों और राज्य बजट के आंकड़ों के मिलान में बाधा आती है क्योंकि केंद्रीय बजट के दस्तावेजों में राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं होते।

सारणी 58 : बजट आंकड़ों में घटबढ़ - केंद्रीय बजट और राज्य बजट

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केंद्रीय करों में अंश	अनुदान	योजना अनुदान	योजनेतर अनुदान
1	2	3 = 4+5	4	5
1986-87	-91	-729	-528	-200
1987-88	62	-855	-607	-248
1988-89	67	-463	-204	-259
1989-90	-135	-369	-101	-268
1990-91	-293	-529	-636	108
1991-92	-349	-853	-867	13
1992-93	58	-659	-770	101
1993-94	154	-340	-191	-149
1994-95	45	-610	-547	30
1995-96	-237	-1,114	-825	-167
1996-97	-23	-1,076	284	-1,154
1997-98	-3,137	473	68	774
1998-99	276	-2,225	-743	-1,099
1999-00	640	-63	864	-781
2000-01	-954	-2,332	905	-3,072
2001-02	-627	-301	3,388	-3,532
2002-03	533	1,159	1,439	-93
2003-04	1,314	3,328	5,285	-1,766
2004-05	-45	3,756	4,222	-256
2005-06	-361	4,532	2,790	1,742
2006-07 (सं.अ.)	-4,640	14,874	14,938	-65
2007-08 (ब.अ.)	-6,266	15,629	20,152	-4,523

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : राज्य बजट आंकड़ों में (-) कम अनुमान / (+) अधिक अनुमान

स्रोत : 1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. केंद्रीय बजट दस्तावेज।

VIII. मुद्दे और परिदृश्य

VIII.1 राजकोषीय समायोजन पथ

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि हाल के वर्षों में उनके राजकोषीय असंतुलनों में उल्लेखनीय कमी आई है जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राजकोषीय पुनर्गठन पथ के संदर्भ में राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार और समेकन उपाय प्रारंभ करना दर्शाती है। राज्यों ने उनके एफआरएल के संदर्भ में मध्यावधि राजकोषीय योजना भी लाई है। 2007-08 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का विचार किया है और दो दशकों के अंतराल के बाद राजस्व लेखे में समेकित अधिशेष का अनुमान रखा है। पूंजी परिव्यय में वृद्धि होने के कारण 2005-06 (लेखे) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी की 0.3 प्रतिशत वृद्धि से 2007-08 (ब.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.3 प्रतिशत कम रहने का अनुमान है (0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट)। 2007-08 में जीएफडी में बजट सुधार का अनुमान राजस्व लेखे में टर्नअराउंड होने के विचार पर आधारित है जिससे पिछले वर्ष में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत घाटे की तुलना में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत अधिशेष निर्माण होने का बजट अनुमान है।

राज्य सरकारों का राजकोषीय सुधार पथ दीर्घकालिक रहा है, वहीं संबंधित कुछ मुद्दों पर ध्यान देना उचित होगा। विशेष रूप से, राजकोषीय सुधार की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। अनेक राज्य सरकारों ने

राजकोषीय घाटा (आरडी और जीएफडी दोनों) कम करने का लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग और उनके एफआरएल में बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। जहां राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 1990 के दशक के पूर्वार्ध में जीडीपी के 12.1 प्रतिशत के औसत स्तर से सुधर कर 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी के 12.9 प्रतिशत हो गईं, वहीं उक्त अवधि में राजस्व व्यय जीडीपी के 12.8 प्रतिशत के औसत स्तर से थोड़ा बढ़कर जीडीपी के 13.0 प्रतिशत हो गया। 2006-07 (सं.अ.) में 10.2 प्रतिशत पर जीडीपी- कुल विकास व्यय अनुपात 1990 के दशक के पूर्वार्ध के 10.8 प्रतिशत के औसत स्तर से कम बना रहा। किंतु, जीडीपी - पूंजी परिव्यय अनुपात उक्त अवधि में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, उक्त अवधि में गैर विकास व्यय जीडीपी के 4.3 प्रतिशत के औसत स्तर से बढ़कर जीडीपी का 5.4 प्रतिशत हो गया।

विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार टिकाऊ राजकोषीय समेकन राजकोषीय सशक्तिकरण के माध्यम से अर्थात राजस्व प्रवाह के अवसर और उसका आकार बढ़ाकर किया जाना चाहिए। राजस्व वृद्धि पर आधारित राजकोषीय कार्यनीति भी व्यय पद्धति को विकास प्रक्रिया की ओर मोड़ने में लचीलापन उपलब्ध कराएगी। दूसरी ओर मुख्यतः व्यय कटौती पर आधारित राजकोषीय समायोजन से कल्याण के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा समग्र आर्थिक कार्यों में मंदी का जोखिम बढ़ सकता है। कर प्रशासन में सुधार और कर विरूपण में कमी के संदर्भ में कर के ढांचे में सुधार में प्रगति हुई है। राज्य सरकारों द्वारा वैट लागू करना सटीक सफलता नहीं रही है। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में हाल के वर्षों में तेजी देखी गई है। किंतु, यह ध्यान देने योग्य है कि जीडीपी के रूप में राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व 1990 के पूर्वार्ध के 1.8 प्रतिशत से घटकर हाल के वर्षों में 1.3 प्रतिशत रह गए। इस प्रकार, उचित उपयोग प्रभार, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के माध्यम से करेतर राजस्व से संसाधन जुटाव में वृद्धि महत्वपूर्ण बन जाती है। राज्य वित्तों की स्थिति में मुख्यतः विभिन्न जन सेवाओं की लागत वसूली में सुधार और सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने से सुधार आएगा। तथापि, उच्च उपयोग प्रभार तभी व्यवहार्य होगा जब राज्यों द्वारा सेवा देने में भी सुधार हो। अतः, जन सेवाएं देने में सुधार लाने को राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः राज्य सरकारों को जन सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सुधार हेतु प्राथमिकता देनी चाहिए।

VIII.2 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार के वित्त का एक निराशाजनक पहलू यह भी है कि यद्यपि विकासात्मक व्यय,जीडीपी के अनुपात में,हाल के वर्षों में 1990 के पूर्वार्द्ध के लगभग 11प्रतिशत से घटकर 9-10 प्रतिशत के बीच रहा है, वहीं गैर विकासात्मक व्यय (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज भुगतान,पेंशन और प्रशासनिक सेवाएं सम्मिलित हैं) जीडीपी के अनुपात में लगभग 4 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 5-6 प्रतिशत तक हो गया है। गैर-विकासात्मक व्यय को निर्मित करनेवाले घटकों की कई मदों की समर्पित प्रकृति को देखते हुए इसमें भारी-भरकम कटौती अल्प काल में करना अर्थक्षम नहीं होगा। भविष्य में जनसांख्यिकी में होनेवाले परिवर्तनों के कारण गैर-विकासात्मक व्यय के अंतर्गत पेंशन भुगतानों में वृद्धि होने की संभावना है। यह नोट करने योग्य बात है कि उन्नीस राज्य सरकारों ने नए भर्ती कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर पेंशन निधियां निर्मित करने की दिशा में पहलकदमी की है जो कुछ सीमा तक ही सही भविष्य में पेंशन के कारण जानेवाली राशि की भरपाई करेगा। जहां तक ब्याज भुगतानों की बात है ब्याज लागत के संबंध में डीएसएस निश्चित बचत देता है। टीएफसी की संस्तुतियों पर आधारित ऋण राहत का लाभ राज्यों को भी प्राप्त होगा। तथापि, यह भलीभांति विदित है कि ऐसी योजनाएं केवल एक अस्थायी राहत देती हैं और जबकि ब्याज भुगतानों में दीर्घकालिक कटौती बकाया ऋणों में हुई कमी के अनुरूप होगी। दूसरी ओर, प्रशासनिक और स्थापना व्ययों में कमी तभी संभव होगी जब स्टाफ की पुनर्संरचना और उनके पुनर्नियोजन के संबंध में कुछ राज्यों द्वारा की गई पहलकदमियों को अधिक से अधिक स्वीकृति और गति प्राप्त हो। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्ययों के पुनः अभिमुखीकरण के लिए लोक व्यय प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होगी । इस संदर्भ में प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव विभिन्न प्रकार की विधियों की ओर इंगित करता है जिसमें कतिपय व्ययों पर सीमा लगाना, व्ययों की प्राथमिकता तय करना, कार्यकारी कार्य का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण, उन्नत नकद प्रबंधन के साथ-साथ तय किए गए लक्ष्यों के लिए सेवाओं की सुपुर्दगी में गुरुतर उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है। इनमें से कुछ सिद्धांतों को अंगीकार करने से राजकोषीय समेकन की उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होगी।

चूंकि सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय से संबंधित जिम्मेदारियों का सर्वाधिक बोझ राज्य सरकारों के दायरे में आता है, आम तौर पर यह माना जाता है कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय का स्तर मानव विकास के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। 2000 में यूनाइटेड नेशन द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये मिलेनियम विकास उद्देश्यों (एमडीजी) के अनुसार देशों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वे कतिपय लक्ष्यों, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र के संबंध में, को 2015 तक प्राप्त कर लें। इन उद्देश्यों का संबंध (i) 1990 के अत्यंत गरीबी और भूख के स्तरों को कम करके आधा करने (ii) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना सुनिश्चित करने (iii) लिंगभेद मिटाना (iv) पांच वर्ष से कम मृत्यु दर में दो-तिहाई कमी करने और माताओं की मृत्यु दर में तीन-चौथाई की कमी करने (v) एचआइवी/एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलाव को समाप्त करने (vi) अर्थक्षम विकास नीतियों का एकीकरण करके पर्यावरण संसाधनों को सुरक्षित रखने और (vii) सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता तक पहुंच न रखने वाली आबादी को इन साधनों तक पहुंच उपलब्ध कराकर ऐसी आबादी को आधे से कम करने से है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत ने प्राथमिक स्कूलों में अधिक बच्चों को अंगीकृत करने, एचआइवी/एड्स और ट्यूबरक्यूलोसिस को काबू करने में तथा स्वच्छ जल जनसंख्या के बड़े हिस्से को उपलब्ध कराने में पहले ही बेंचमार्क हासिल कर लिया है। तथापि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कतिपय लक्ष्यों के संबंध में भारत महत्वपूर्ण रूप से कई विकसित देशों से पीछे है। गरीबी, भूख, जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रमुख संकेतकों के संबंध में धीमी प्रगति के अलावा रिपोर्ट कहती है कि प्रतीत होता है भारत कुछ जलवायु परिवर्तन मुद्दों से भी जूझ रहा है। मिलेनियम विकास उद्देश्यों में से अधिकतर का संबंध सामाजिक क्षेत्रों से है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकारों की भूमिका प्रमुख है।राज्य सरकारें सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के लिए योजना बना सकती हैं ताकि हमारा देश मिलेनियम विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए।

व्यय प्रबंधन के साथ सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और उनके मूल्यांकन का मुद्दा घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। परंपरागत रूप से राज्यों के द्वारा योजना की निगरानी परिव्यय के संबंध में प्राप्त व्यय स्तरों का पता करके की गई है। यद्यपि कार्यान्वयन की गति को मापने के लिए व्यय एक महत्वपूर्ण उपाय है परंतु यह प्रभावोत्पादकता का मापक नहीं है। अतः परिव्यय और व्यय से हटकर, अंतिम फलों/ आउटकम (निष्कर्षों) पर पहुंचना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने 2005-06 के लिए बजट के प्रारंभ के साथ ही आउटकम बजट (बजटफल) बनाने की शुरुआत कर दी है। कई राज्य सरकारों जैसे - छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा ने भी बजटफल लागू करने का प्रस्ताव किया है। कई बार निष्कर्षों के निर्धारण के समय आकस्मिक चेन में कार्यक्रम के बाहर के तत्व सम्मिलित हो सकते हैं। यह एक स्पष्ट गोचर तथ्य है, उदाहरणार्थ- स्वास्थ्य के मामले में जहां स्वास्थ्य स्थिति में हुई उन्नति आम तौर पर उपचारात्मक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाधा न पहुंचाने के परिणामस्वरूप नहीं है अपितु स्वच्छ पेय जल,स्वच्छता और साफ-सफाई की शिक्षा के प्रावधान के परिणामस्वरूप है और ये सभी अन्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों में सम्मिलित हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से इतर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की उचित निगरानी करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्र निगरानी के लिए तथापि आवश्यक है कि मूल्यांकन निष्पादन करने के लिए बेंचमार्क पर एक सहमति होती हो। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर के अनुसार योजना आयोग एक पक्की शर्त लगाने पर विचार कर रही है जिसमें कहा गया होगा कि योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों के लिए,अनुमोदन से पूर्व, पर्याप्त बेंचमार्किंग जरूरी होगी। आयोग अपनी मूल्यांकन क्षमता को और अधिक मजबूत करने की योजना भी बना रहा है जिसके लिए वह अनुसंधान संस्थाओं और सिविल सोसाइटी संगठनों, जो सश्रम सबूत आधारित मूल्यांकन करने की क्षमता रखती हैं, को इस काम में लगाएगा। राज्य सरकारें योजना कार्यक्रमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन सुधारने के लिए इस जैसे उपाय लागू करने पर विचार करें।

लिंग आधारित बजट की मान्यता तबसे बढ़ रही है जबसे विश्व के कई देशों ने अपने बजट उपायों में इसे लागू किया है। भारत में भारत सरकार की वार्षिक योजना 2006-07 में भी स्त्री कंपोनेट योजना (डब्ल्यूसीपी) और लिंग आधारित बजट इन दो प्रमुख चली आ रही नीतियों को आगे कार्यान्वित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना और लिंग भेद का नाश करने के अंतिम उद्देश्य के लिए काम करना और लिंग न्याय के लिए उर्वरा परिवेश निर्मित करना तथा महिलाओं को शक्तिसंपन्न करना । स्त्री कंपोनेट योजना (डब्ल्यूसीपी) में कहा गया है कि निधियों/लाभों के

30 प्रतिशत से अनधिक भाग को महिलाओं से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में विभिन्न महिला योजनाओं के अंतर्गत सुरक्षित किया जाए। लिंग आधारित बजटिंग को न सिर्फ महिलाओं के लिए संसाधन जुटाने के उपाय के रूप में माना जाता है अपितु यह कार्यान्वियन मुद्दों और निष्कर्षों को जानने में भी उतना ही उपयोगी है। महिलाओं के लिए संसाधनों के संवितरण का मात्रांकन करने के अलावा अन्य पहलकदमियों में नीतियों और कार्यान्वियन प्रक्रिया में लिंग विषयक चिंताओं को मुख्य धारा में सम्मिलित करना, लिंग विषयक असकल डेटा ,लिंग विकास सूचकांक का संकलन और समेकन करना और लिंग विषयक परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रमों, नीतियों/अवरोधों की पुनरीक्षा और उनका विश्लेषण करना सम्मिलित है। राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाये हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने 2007-08 के अपने बजट के साथ ही लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया है जिसमें महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए निधियों के संवितरण के ब्यौरे दिये गए हैं। अन्य राज्यों की सरकारें लिंग आधारित बजटिंग का एकीकरण अपने मुख्य धारा बजटों के साथ करने के उपायों पर विचार करें।

VIII.3 राजकोषीय पारदर्शिता और बजट विश्वसनीयता

राजकोषीय पारदर्शिता, जिसे बेहतर गवर्नेन्स का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है, ने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और मैक्रो इकोनॉमिक संतुलन के संदर्भ में हाल ही की अवधि में महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाला है। राजकोषीय पारदर्शिता में आर्थिक नीतिगत निर्णयों के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रभावों से संबंधित विस्तृत और विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता अपेक्षित है। राज्य स्तरों पर सरकार के राजकोष परिचालनों में पारदर्शिता को राजकोषीय समेकन और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि सरकार की राजकोष नीति की विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके। राज्य बजटों के माध्यम से सूचना की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता न सिर्फ नीति निर्माताओं की सहायता के लिए अथवा राज्य स्तर पर पारदर्शिता में वृद्धि के लिए जरूरी है बल्कि इसकी आवश्यकता निवेशकों को भी होती है 'सूचित' निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा राजकोषीय पारदर्शिता नागरिकों को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराकर लाभान्वित करती है जिसकी आवश्यकता उन्हें सरकार को उसकी चयनित नीति के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए होती है।

यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आइएमएफ) ने 1998 में राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में अच्छे व्यवहार की एक संहिता लागू की है। इसने सभी देशों के द्वारा राजकोषीय पारदर्शिता मूल्यांकन के लिए स्वैच्छिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। वर्ष 2007 में आइएमएफ ने हाल ही में हुई विभिन्न प्रगति को ध्यान में रखते हुए संहिता में संशोधन किए हैं। इस संहिता के 4 स्तंभ हैं- (i) भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की स्पष्टता (ii) बजट प्रक्रियाओं में खुलापन (iii) सूचनाएं जनता को उपलब्ध कराना और (iv) विश्वसनीयता का आश्वासन । यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा एफआरएल कानून बनाने के बाद राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता में हाल ही में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार स्तर पर प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा ऐसा भी है जो लेखांकन व्यवहारों में एकरूपता की कमी के संबंध में है। एक उदाहरण बजट में पावर बांडों का दिया जा सकता है जहां राज्यों ने अलग-अलग व्यवहार अपनाए हैं। कुछ राज्यों (कर्नाटक और मध्य प्रदेश) के द्वारा पावर बांडों को अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के अंतर्गत प्रावधानित किया जाता है कोड (6003 (109))। कुछ राज्य (उदाहरणार्थ उत्तराखंड) पावर बांडों को बाजार उधारी कोड (6003 (101)) के अंतर्गत प्रावधानित करते हैं जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि जैसे कुछ अन्य राज्य पावर बांडों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांडों के अंतर्गत प्रावधानित करते हैं कोड (6003 (106))। दूसरा उदाहरण है एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों का लेखांकन । 1999-2000 में लेखांकन प्रथा में परिवर्तन के बाद एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों को आंतरिक ऋण के अंतर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित है। तथापि कुछ राज्य (उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, कर्नाटक,राजस्थान आदि) इन्हें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत दिखाते आ रहे हैं (कोड-6004)। इसके अलावा दो राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर अपने बजट में 'आंतरिक ऋण का उन्मोचन' के ब्यौरे नहीं देते । इस प्रकार की प्रथाएं मदवार विशुद्ध उधारियों और राज्य सरकारों के जीएफडी वित्तीयन के संबंध में सूचनाएं समेकित करने में कठिनाई प्रस्तुत करती हैं। पश्चिम बंगाल, नगालैंड, केरल, मणिपुर (लेखा वर्ष के लिए) और तमिलनाडु जैसी कुछ राज्य सरकारें अपने बजट में सभी अनुदान राशियों के लिए कोड-वार और योजना-वार / गैर-योजना-वार सार उपलब्ध नहीं करातीं।महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल,मणिपुर और गुजरात जैसी अन्य राज्य सरकारें समस्त मांग में से आंतरिक ऋण (कोड-

6003) के विस्तृत कोड-वार सार उपलब्ध नहीं करातीं।महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ राज्य बजट में ब्याज भुगतानों (कोड 2049) के कोड-वार सार ब्यौरे उपलब्ध नहीं करातीं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बजट में डेटा-रिपोर्टिंग के लिए एकसमान प्रथा अपनाएं।

अभी भी राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में एक मुद्दा है जिसका विशेष उल्लेख करना आवश्यक है और वह है बकाया देयताओं और आकस्मिक देयताओं के संबंध में डेटा उपलब्ध कराने में नाकाम रहना। अधिकतर राज्यों के बजट इन दो राजकोषीय परिवर्तियों पर खामोश हैं। पिछले वर्ष के अध्ययन में जैसी कि चर्चा हुई थी, राज्य सरकार देयताओं के समेकन पर गठित कार्यदल ने एक फार्मेट विनिर्दिष्ट किया था जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा उनके बजट कागजात में बकाया देयताओं से संबंधित डेटा प्रकाशित किया जाना चाहिए था। एक संबंधित समस्या और है जो राज्य बजटों में वेतन तथा परिचालनों एवं रखरखाव के संबंध में डेटा की कमी से जुड़ी है। इसके अलावा राज्यों ने बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं के आकलन की कठिनाइयों की ओर भी इंगित किया है, क्योंकि अधिकतर वांछित डेटा राज्य सरकार के स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों से यह भी अपेक्षित होगा कि वे अपने बजट से इतर ब्यौरों, यदि कोई हो, भी उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें। राज्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे राजकोषीय गतिविधियों, ऊपर की गई चर्चा में सम्मिलित मदों संबंधी डेटा सम्मिलित करते हुए, के संबंध में रिपोर्टिंग की पारदर्शिता बढ़ाएं और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं । इसके अतिरिक्त जनता को राजकोषीय डेटा की जानकारी देने की बारंबारिता ,उदाहरण के लिए तिमाही आधार पर, में वृद्धि की जानी अपेक्षित है।

बजट अनुमान और लेखा आंकड़ों के बीच निरंतर चले आ रहे बृहद् विचलन, विशेष रूप से राज्य सरकारों से राजस्व की प्राप्तियों के संबंध में, गंभीर चिंतावाली बात है क्योंकि इनका विपरीत प्रभाव बजट अनुमानों की विश्वसनीयता पर पड़ता है और वर्ष के लिए संभावित राजकोषीय परिणाम के उचित मूल्यांकन को संदिग्ध बनाता है।

VIII.4 ऋण धारणीयता

ऋण की धारणीयता के संबंध में सबसे अहम मुद्दा है राज्य सरकारों के द्वारा उनके अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की क्षमता के बारे में चिंता। कई वर्षों से बृहद राजस्व घाटों ने बृहद राजकोषीय घाटों और उत्तरोत्तर बढ़ते ऋण को जन्म दिया है उसके परिणामस्वरूप अधिकतर राज्य सरकारें घाटे, ऋण और ऋण चुकौती भुगतान के एक कुचक्र में फंस गईं। जीडीपी के संदर्भ में राज्य सरकारों के ऋण का समेकित स्तर मार्च 1991 के अंत के 22.5 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 32.7 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार की वृद्धि 2001-05 की अवधि में अधिक तेजी से हुई। ऋण के धारणीय स्तर के संदर्भ में ग्यारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति की थी कि राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान (आइपी) के अनुपात को तत्कालीन 22.0 प्रतिशत के औसत की तुलना में घटाकर 18.0 प्रतिशत किया जाए। तथापि टीएफसी रिपोर्ट ने उल्लेख किया है कि 2000-03 से 17 राज्यों के संबंध में औसत अनुपात 18 प्रतिशत से अधिक था जिसमें से 11 राज्यों का उक्त प्रतिशत 22 से ऊपर था। इस प्रकार ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों के मानदंडों के संदर्भ में, टीएफसी ने निष्कर्ष निकाला कि 28 राज्यों में से 17 का ऋण अधारणीय अथवा धारणीय नहीं था। रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण धारणीयता पर प्रारंभ किए गए एक अध्ययन[12] ने भारत में राज्य स्तर के ऋण की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों पर जोर दिया है जो व्यय संपीडन, स्व-राजस्व वसूली प्रयासों में सुधार और विभिन्न संस्थागत परिवर्तन के रूप में हैं। संस्थागत परिवर्तनों के प्रमुख उपायों में एफआरएल का विधान करना (ताकि राजकोषीय अनुशासन की प्रक्रिया कानूनी रूप से बाध्य की जा सके), गारंटी सीलिंग लागू करना, समेकित निक्षेप निधि और गारंटी रिडेम्पशन निधि में भागीदारी करना सम्मिलित है। यह नोट करने योग्य है कि विभिन्न राज्य सरकारों के एफआरएल में ऋण-जीएसडीपी अनुपात पर कैप प्रावधानों और साथ ही राज्य गारंटियों के लिए प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।

ऋण स्टाक के लिए सामान्य जीएसडीपी की वृद्धि दर और सामान्य ब्याज दर एकसमान रहने पर जीएसडीपी के प्रति स्थिर ऋण अनुपात के संदर्भ में ऋण धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक अधिशेष उत्पन्न करना एक अनिवार्य शर्त है। प्राथमिक घाटे की दशा में ऋण स्थिरीकरण परिस्थितियों के लिए अपेक्षित है कि ऋण स्टाक में सामान्य जीएसडीपी की वृद्धि दर सामान्य ब्याज दर से अधिक होती हो। इस संदर्भ में यह नोट करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों के प्रमुख घाटे के सूचकों में सुधार के बावजूद कई राज्यों का प्राथमिक शेष, और परिणामतः समेकित स्तर पर, निरंतर घाटे में ही रहता आया है।

[12] राजारमन, आइ.एस.भिडे और आर.के.पट्टनायक (2005)। 'भारत में राज्य स्तर पर ऋण धारणीयता का अध्ययन' भारिबैं.,मुंबई।

तथापि, हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल ब्याज दर परिवेश में राज्यों के जीएसडीपी के प्रति ऋण का अनुपात हाल की अवधि में कम हुआ है। भारी भरकम पुनर्भुगतानों के दबाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो डीएसएस के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान बड़ी मात्रा में उधार लिये जाने के कारण वर्ष 2012-13 से 2015-16 में चुकाये जाने हैं। इसके लिए सकल उधारियों की बृहत्तर मात्रा की आवश्यकता होगी जो उस ब्याज दर पर, जिस पर राज्य सरकारें उधार प्राप्त करती हैं, ऊर्ध्वगामी दबाव डालेगा और इसके परिणामस्वरूप ऋण धारणीयता परिस्थितियों में और अधिक अस्थिरता आ सकती है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों ने वर्ष 2009-10 के लिए 15 प्रतिशत के टीएफसी के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान का प्रावधान बजट में 16.9 प्रतिशत रखा है। राज्य सरकारें राजकोषीय पुनर्संरचना के द्वारा धारणीय स्तर पर अपने ऋण को नियंत्रित करें।

टीएफसी ने समस्त स्रोतों, लघु बचतों और राज्य के लोक लेखा तथा रिज़र्व निधियों को सम्मिलित करते हुए,से प्राप्त उधार राशियों को हिसाब में लेते हुए प्रत्येक राज्य के लिए उधार की सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कई देशों में राष्ट्रीय स्तर से नीचे अर्थात राज्य के स्तर पर ऋण और घाटे की नियमावली प्रचलन में है। अमरीका के सभी,केवल दो राज्यों को छोड़कर,राज्यों में कानून है जिसके अंतर्गत संतुलित बजट रखना आवश्यक होगा और राज्यों के द्वारा ऋण की उगाही एक सीमा तक ही की जा सकेगी। कनाडा के नौ राज्यों और प्रदेशों में संतुलित बजट के संदर्भ में राजकोषीय नियमावली प्रचलित है जिसके अंतर्गत अपेक्षा की गई है कि वे निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण मात्र के प्रयोजनार्थ ऋण लेंगे। ऋण सीलिंग घाटे की नियमावली के लिए उपयोगी अनुबंध है। व्यवहार्य रूप में उच्च ऋण स्तरों को कम करने की चिंता से ऋण सीलिंग का प्रचलन हुआ है और व्यक्तिगत देशों के अनुभवों के आधार पर सामान्यतया इनका चयन किया जाता है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारें विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से बजटेतर उधार राशियों का एक बृहद भाग जुटाती हैं। ये सभी गारंटी/आकस्मिक देयताओं की प्रकृतिवाली होती हैं,जो अंतत: संबंधित राज्य सरकारों की देयता में बदल जाती हैं। गारंटियों के वृद्धिमान स्तर के दुष्प्रभावों,जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा गठित राज्य सरकार गारंटियों (1999) पर राज्य वित्त सचिवों की रिपोर्ट में भी चिह्नित किया गया है,को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने गारंटियों पर सांविधिक/प्रशासनिक सीलिंग लागू करने की पहलकदमी की है। उपर्युक्त रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2001 में जीआरएफ स्थापित करने के संबंध में दिशा निदेश जारी किया था, जिसमें 2006 में संशोधन किए गए। राज्य सरकार गारंटियों(2002) के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए राज्य वित्त सचिवों के समूह ने गारंटी देयताओं के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एक विधि सुझाई थी। गारंटियों से उपजे राजकोषीय जोखिमों और इनसे उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों को परिचित कराने के लिए तथा इस प्रक्रिया के लिए तकनीकी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु भारिबैं ने कार्यशालाएं संचालित की हैं। इसके अलावा, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान(एफआरएल) पर गठित राज्य वित्त सचिवों के कार्यदल ने राज्य स्तर पर सुझाव दिया है कि राज्य द्वारा दी जानेवाली जोखिम भारित गारंटियों की एक उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए। इस संबंध में यह नोट करने योग्य है कि कुछ राज्यों की सरकारों के एफआरएल में ऋण-जीएसडीपी अनुपात पर तथा गारंटियों के संबंध में भी कैप से संबंधित प्रावधान निहित हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने अपनी जीएफडी को कम करने हेतु भूमि की बिक्री के द्वारा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए हैं। उपयोग में न आनेवाली भूमि को बेचकर संसाधन जुटाने के लिए इस प्रकार के उपाय जीएफडी कम करने में मात्र अल्पावधिक समाधान उपलब्ध कराते हैं और ऋण के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में लघु बचत संग्रह में आए उफान और इन संग्रह राशियों में फॉर्मूला आधारित हिस्सा के कारण राज्य सरकारों की उधारियों के स्वायत्त कंपोनेंट उनके पास इतने थे जो उनके जीएफडी को वित्त उपलब्ध कराने के लिए वांछित राशि से भी अधिक मात्रा में थे। राज्य सरकारों के बकाया ऋणों के स्तर में अनुपात से अधिक वृद्धि अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा रखे जा रहे बृहद अधिशेष नकदी में परिलक्षित होती है जो 14 दिवसीय इंटरमीडियट और नीलामी खजाना बिलों में निवेश के रूप में होता है। इन निवेशों का समेकित स्तर 23 नवंबर 2007 को लगभग 62,996 करोड़ रुपए था। चूंकि राज्यों को इन संसाधनों के उधार की लागत की तुलना में लाभदर कम प्राप्त होती है,अत: उनके राजस्व खातों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

VIII.5 आधारभूत संरचना का वित्तीयन

किसी भी अर्थव्यवस्था की पूर्ण संभाव्य वृद्धि प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता के साथ-साथ कुशल आधारभूत सेवाओं का प्रावधान

प्रथम अनिवार्यता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्यों के ऊपर ही अधिकतर आधारभूत संरचनाओं(दूरसंचार,रेलवे और प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर) की जिम्मेदारी है। आधारभूत संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश के कारण राज्यों की आर्थिक वृद्धि और उनका विकास बाधित हुआ है। राज्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे राजकोष संरचना और संस्थागत सुधारों के द्वारा अपने वित्त को मज़बूत बनाएं जिससे उन्हें पर्याप्त बजट संसाधन उपलब्ध करने में और साथ ही आधारभूत संरचनाओं के वित्तीयन के लिए निधि जुटाने में अधिक आसानी होगी। नियम आधारित राजकोषीय प्रशासन के अंतर्गत बजट सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के लिए भी आवश्यक है कि वे आर्थिक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा दें। पीपीपी से संबंधित कारणों और मुद्दों के प्रति अभी भी विभिन्न राज्यों में जागरूकता की कमी है और समान प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है। पीपीपी को प्रोन्नत करने की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भारत सरकार द्वारा एक पीपीपी कक्ष स्थापित करने हेतु सूचित किया गया था जिसके नोडल अधिकारी के रूप में किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। पीपीपी के लिए राज्य सरकारों में समग्र क्षमता का निर्माण करने के लिए एशियन विकास बैंक से तकनीकी सहायता (टीए) प्राप्त हुई है। तकनीकी सहायता के द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न पीपीपी कक्षों को निधि उपलब्ध कराकर उन्हें मज़बूत किया जाएगा। इसमें परामर्शदाताओं को अनुबंधित करना और कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी सम्मिलित है।

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति के एक मूल्यांकन से हाल के वर्षों में प्रमुख घाटा सूचकों में दर्शनीय सुधार का पता चला है। 2006-07 के संशोधित आकलनों में इन्हें सम्मिलित करते हुए राज्यों का समेकित आरडी और जीएफडी,जीडीपी के अनुपात के रूप में,को क्रमश: 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत पर रखा गया। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान बजट में जीडीपी के प्रति जीएफडी अनुपात को कम करके 2.3 प्रतिशत किया। जीएफडी में की गई कमी राजस्व खाते में निहित कायापालट, बजट में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत आधिक्य/सरप्लस होने की संभावना है, पर आधारित है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि कई राज्यों ने आरडी और जीएफडी में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति टीएफसी और उनके अपने एफआरएल के द्वारा पुन:संरचना के लिए की गई संस्तुति में तय समय से पूर्व ही कर ली है।

राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में जिन प्रमुख कारकों की भूमिका है, वे हैं : (i) राजकोषीय सुधार के लिए नियम आधारित प्रक्रिया और अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा एफआरएल के अंतर्गत अंगीकार किया गया समेकन; (ii) राज्य के अपने ही कर-राजस्व में उफान;(iii) राज्य सरकारों द्वारा व्यय प्रबंधन,(iv) केंद्र सरकार से उच्च चालू अंतरण। राज्य सरकारों को संसाधनों के उच्च डिवोल्यूशन और अंतरण ने राजस्व सुधार और समेकन प्रक्रिया में सहायता की है, विशेष रूप से राजस्व खाते में महत्वपूर्ण वृद्धि की प्राप्ति हुई है। कम राजस्व की प्राप्तिवाले राज्यों को उनके जीएसडीपी के अनुपात रूप में उच्च डिवोल्यूशन और चालू अंतरण करना समानता के सिद्धांत को भी परिलक्षित करता है।

राजकोषीय सुधार को जारी रखने के लिए राजस्व वृद्धि के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों ने कर संरचना के सरलीकरण/युक्तिसंगतिकरण, बेहतर प्रवर्तन और कर अनुपालन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपायों की घोषणा की है। राज्य सरकारों ने गैर-योजना राजस्व व्ययों को नियंत्रित करने और भविष्य की पेंशन देयताओं को नियंत्रण में रखने के लिए नई पेंशन योजनाएं लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए राज्य के बजटों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)में विनिर्दिष्ट प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा है। तदनुसार राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए आवंटन हेतु उगाही किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार उस बृहद् अंतर को उजागर नहीं करता जो विभिन्न राज्यों के राजकोषीय निष्पादनों में पाया जाता है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय त्रुटिसुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रखी है परंतु राज्यवार विश्लेषणों से पता चलता है कि राजकोषीय त्रुटिसुधार राज्यों में चहुं ओर एकसमान नहीं रहा है। मात्र कुछ राज्यों के जिम्मे ही समग्र त्रुटिसुधार का एक प्रमुख भाग रह सका है। राजकोषीय त्रुटिसुधार प्रक्रिया का राज्यवार विश्लेषण दर्शाता है कि राजस्व खाते में गैर विशेष वर्ग के राज्यों का हिस्सा त्रुटिसुधार में 85 प्रतिशत होगा और जीएफडी में त्रुटि सुधार में उनका हिस्सा 73 प्रतिशत होगा। टीएफसी की यह संस्तुति आने के बाद कि 2009-10 के अंत

तक सभी राज्यों के द्वारा एकसमान लक्ष्योन्मुख राजकोषीय पुनर्संरचना मार्ग अपनाया जाना है, राजकोषीय रूप से दुर्बल राज्य विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राजकोषीय रूप से स्वस्थ राज्यों के साथ तालमेल करने की दिशा में उपाय करें।

यद्यपि राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में अपनी राजकोषीय स्थिति में दर्शनीय सुधार प्राप्त किया है, उन्हें राजकोषीय समेकन को टिकाऊ बनाने के लिए प्रयास करते रहना होगा जिसके लिए उन्हें बजट में राजस्व आप्रवाहों को अधिकाधिक जगह देनी होगी और साथ ही विकासशील उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्ययों को सीमित करने पर अधिक ध्यान देना होगा। समग्र मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों की शक्ति के परिणामस्वरूप राज्यों में उनकी खुद की राजस्व प्राप्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज हुई है और उनकी राजकोषीय क्षमता में भी बृहद् सुधार हुआ है। राजस्व जुटाने की दौड़ में यह भी आवश्यक है कि इन्हें उत्पादक व्ययों और निवेश के लिए सरणीबद्ध किया जाए। यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय त्रुटिसुधार की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूंजी परिव्यय और व्यय को प्रभावित नहीं करती।

भूतकाल में राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटों के उच्च स्तर पर रहने के कारण राज्य सरकारों के खातों में ऋण संचयन का स्तर भी उच्च रहा। कई राज्यों के मामले में ऋण-जीएसडीपी अनुपात का वर्तमान स्तर खतरे की हद तक उच्च था। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने ऋण दायित्वों को चुका पाने में सक्षम हो पाएंगी , यह भी चिंता का विषय बन चुका है। टीएफसी ने लघु बचतों और राज्यों के लोक लेखा तथा रिज़र्व निधि को भी सम्मिलित करते हुए समस्त स्रोतों से प्राप्त उधारियों को हिसाब में लेते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ऋण सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्थिर ऋण- जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में ऋण धारणीयता को, वर्तमान वृद्धि दर और ब्याज दर पर, सुनिश्चित करने में प्राथमिक शेष की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राजकोषीय मानदंडों में सुधार होने के बावजूद कई राज्यों के प्राथमिक शेष, और उसके परिणामस्वरूप समेकित स्तर पर, लगातार घाटे में चले आ रहे हैं। तथापि हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल ब्याज दर परिवेश के कारण राज्यों के ऋण-जीडीपी अनुपात को बढ़ने नहीं दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 के लिए टीएफसी के द्वारा निर्धारित 15.0 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान अनुपात लक्ष्य के मुकाबले राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08 के बजट में राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान अनुपात 16.9 प्रतिशत रखा है । राज्य सरकारें अपने ऋण को धारणीय स्तर पर बनाये रखने के लिए राजकोषीय पुनर्संरचना के द्वारा प्रयास कर सकती हैं।

निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रमों में सुधार के दृष्टिगत राज्य सरकारें अपनी मूल्यांकन क्षमता को मजबूत बनाने, परिणामों को ध्यान में रखकर, पर ध्यान दें। वे एक ऐसी प्रणाली तैयार करें जो खर्च करने की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी और अग्रसर हो।

राजकोषीय पारदर्शिता के महत्व को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकारों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए उन्हें अपने बजटों में बकाया और आकस्मिक देयताओं, सब्सिडी इत्यादि जैसी मदों के संबंध में पर्याप्त ब्यौरे दर्शाने होंगे। इसके अतिरिक्त कम अंतरालों पर, हो सके तो तिमाही आधार पर, राजकोषीय आंकड़ों का प्रचार-प्रसार आम जनता के बीच करने पर विचार किया जाए। बजट अनुमानों और लेखा ब्यौरों के बीच पाए गए बृहद् अंतर, विशेष रूप से हाल के वर्षों में राज्यों के राजस्व लेखे में, के कारण संपूर्ण बजट प्रक्रिया अनुमान और विधि में सुधार लाना लाज़िमी होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संरचना की जांच के लिए अक्तूबर 2006 में छठे वेतन आयोग के गठन के दृष्टिगत यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना में सुधार लाने के लिए अमूमन केंद्रीय वेतन आयोग पंचाट का अनुसरण किया। कई राज्य सरकारों ने अपना खुद का वेतन आयोग गठित किया। राज्यों के वित्त अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद 1990 के उत्तरार्ध में क्षरण से होकर गुजर रहे थे। अतएव, राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे वेतन स्तरों से संबंधित कोई भी निर्णय अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, आबादी के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए वांछित पूरक व्ययों को ध्यान में रखकर करें।

निष्कर्ष यह कि राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में सुधार उनके राजस्व करों में आए उफान के साथ ही साथ केंद्र से उच्च चालू अंतरणों के कारण है। तथापि सरकारों को चाहिए कि वे राजस्व के करेतर स्रोतों से संसाधन जुटाने में अभिवृद्धि के लिए नीति तैयार करें। व्यय प्रबंधन का जहाँ तक संबंध है, राज्य सरकारों को सेवा

सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावशालिता में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्यों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित प्राथमिकताओं की तरह ही गैर-विकासात्मक व्ययों के स्तर को नीचे लाने की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना भी सुनिश्चित करें।